राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 | विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्नीसवां दिवस | संख्या 13

शुक्रवार

दिनांक 14 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, उद्योग, आयुर्वेद, पशुपालन, सामान्य प्रशासन, यातायात, जनसंपर्क, विधि विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री लाभचन्द वैद।

अनिवार्य शिक्षा शाला, रतनगढ़ के कर्मचारी

141. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :** (1) अनिवार्य शिक्षा शाला, रतनगढ़ में अगस्त 65 के बाद किन किन कर्मचारियों को रखा गया, हटाया गया तथा निलम्बित किया गया तथा क्यों ?

(2) क्या इन कर्मचारियों को रखने, हटाने व निलम्बित करने में अनिवार्य शिक्षा एक्ट, 1929 के तहत बने नियम, सन् 1929 के तहत बने नियम, सन् 1933 की धारा 33 ए, 34 सी व पावर स्टेटमेन्ट 35 तथा 37 (ई) तथा राजकीय अनुदान नियम सन् 1934 का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या नव नियुक्तियों पर शिक्षा विभागीय अनुदान मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित है इसलिये इस प्रश्न का उत्तर स्वायत्त शासन मंत्री अपनी टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री लाभचन्द : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 12 महीने से ऊपर हो गया है।

श्री अध्यक्ष : इस सत्र में ले लिया जावेगा। कोई महीना ऊपर नहीं जावेगा अब। नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

मांडवला ग्राम के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा दिये गये भूमि के पट्टे

142. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1965 से लेकर आज तक धारा 99 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसील जालोर में गांव मांडवला के किन ग्रामीणों को और वहां के रहने वालों को कब कब नोटिस दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन किन ग्रामीणों के मामलों को जिनके कि मकान गैरमुमकिन गोचर व काश्त की भूमि में से उनको विनियमित किया गया और किन किन को नहीं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि मांडवला गांव के भूतपूर्व ठाकुर श्री मोडसिहजी थे और उन्होंने जागीर के समय जिनको पट्टे दिये उनको तहसील ने 91 के अन्तर्गत नोटिस दिये ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) किन किन ग्रामीणों के पट्टे जागीरदार द्वारा दिये हुए माने गये और किन किन के नहीं और जिनके नहीं माने गये उनके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील जालोर में उपलब्ध पत्रावलियों के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये नोटिसों की सूची संलग्न है।

(2) ग्राम मांडवला में किसी भी ग्रामीण का मामला गैरमुमकिन गोचर व काश्त की जमीन पर मकान बनाने के सम्बन्ध में विनियमित नहीं हुआ क्योंकि कोई भी मामला जो नियम के अनुसार विनियमित हो सके, कमेटी के समक्ष पेश नहीं हुआ।

(3) हां यह सत्य है कि मांडवला गांव के भूतपूर्व ठाकुर श्री मोडसिहजी थे। और यह भी सत्य है कि उनके द्वारा दिये गये पट्टों को भूमि के सम्बन्ध में तहसील द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये। जिन जिन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये उनकी सूची प्रश्न के भाग 4 के उत्तर में प्रस्तुत की जा रही है।

(4) जागीरदार द्वारा दिये गये जिन पट्टों को मान्यता दी गई व जिन पट्टों को मान्यता नहीं दी गई उनकी सूची कारण सहित संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : सूची दी है। आपने बताया कि जागीरदार ने पट्टे दिये।

(श्री मूलचन्द डागा)

उनको माना गया या नहीं ? कुछ को माना गया और कुछ को नहीं माना गया इसका क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 91 के अन्तर्गत श्री हरिश्चन्द्र के विरुद्ध कार्यवाही चल रही थी उसका फैसला 2-2-66 को हुआ। पट्टे माने जाने पर कार्यवाही ड्रॉप की गयी। मामला सब्जुडिस है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं निवेदन किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत बताया है। यह सूचना गलत है। उसी जमीन को नहीं माना गया है। तहसीलदार ने एक जागीरदार द्वारा दिये गये पट्टों में से तीन पट्टों को माना और दूसरों के दो पट्टों को नहीं माना। आपकी सूचना बिलकुल गलत है। तहसीलदार ने पट्टों को कैंसल कर दिया और आप कह रहे हैं मान लिये हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार यह सूचना है। माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो जानकारी कर ली जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : पट्टाबही थी वह किनके पास थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्व एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत सारी कार्यवाही ज्युडिशियल होती है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री श्रवणलाल) प्रश्नकर्त्ता।

श्री श्रवणलाल : मेरा भी यही प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : जागीर जब रिज्यूम हुई तो पट्टाबही आपने अपने कब्जे में ले ली और आपके पास रही। जागीरदार ने सात साल पहले पट्टे दिये उनको माना है और उन्हीं पट्टों में किन कारणों से तीन को माना और बाकी दो को कैन्सल कर दिया ?

श्री गंगाराम चौधरी : आपका प्रश्न प्रेसाइडिंग ऑफिसर के निर्णय से सम्बन्ध रखता है। इसके सम्बन्ध में मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि किन आधारों पर तहसीलदार ने माना और नहीं माना यह मैं नहीं कह सकता हूं। 91 वीं धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है उसकी अपील भी तो की जा सकती है। किसी को ऐतराज था तो अपील करना चाहिये था।

श्री मूलचन्द डागा : किन कारणों से जागीरदार ने पट्टे दिये ? उसी जमीन के एक पोर्शन को सही माना और दूसरे को गलत माना ?

श्री अध्यक्ष : किसने नहीं माना ? तहसीलदार एज ज्युडिशियल ओफिसर ?

श्री मूलचन्द डागा : एज रेवेन्यू ऑफिसर। सैक्शन 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की। जागीरदार द्वारा दिये हुए पट्टों के एक पोर्शन को मान्यता दी और दूसरे को नहीं दी।

Page No.4

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? इट इज वर्डिक्ट ओफ रेवेन्यू ऑफिसर।

श्री मूलचन्द डागा : गांव वालों ने शिकायत पेश की है।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार के पास कोई शिकायत पेन्डिग नहीं है। जिलाधीश के पास होगी तो उसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : येस। श्री श्रवण लाल।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक जमीन सरकार को हैंड ओवर करने के बाद जागीरदार ने पट्टे दिये तो उसको मान्यता देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : रिजम्पशन के बाद पट्टे दिये हैं तो मान्यता नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अगर इस प्रकार पट्टे दिये हैं तो उनके केन्सेलेशन के लिये क्या विचार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रत्येक मामला प्रत्येक केस पर निर्भर करता है। धारा 91 के अन्तर्गत आता है तो तहसीलदार निर्णय देगा। पट्टे होंगे तो माने जावेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : 91 के बारे में आपकी विज्ञप्ति निकली है और समय समय पर आर्डर निकले हैं। 25-4-65 को नोटिस दिये ग । आज तक दो सौ मिसलें फैसल नहीं हुई हैं। आपने यह आदेश निकाले कि तहसीलदार तुरन्त मौके पर जाकर विनियमित कर दें। उनका आज तक जजमेंट नहीं दिया। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने का विचार रखते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अकारण कोई मिसल पैन्डिग है तो उसके बारे में जांच कर ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

मांडलगढ़ तहसील में अनधिकृत कब्जे

143. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मांडलगढ़ तहसील में किन किन लोगों ने कहां कहां बिना अलाटमेंट के ही भूमि पर कब्जे कर रखे हैं और उनके कब्जे से जमीन छुड़वाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मंत्री राजस्व (**श्री गंगाराम चौधरी**) : मांडलगढ़ तहसील में जिन लोगों ने जहां जहां नाजायज कब्जा कर रखा है उनकी सूची का इस विभाग में अवलोकन किया जा सकता है क्योंकि सूची बहुत बड़ी है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील में कार्यवाही जारी है। जिन मामलों में बेदखली के आदेश हुए हैं उनका कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मांडलगढ़ तहसील ऐसी तहसील है, जहां पर जिसकी मर्जी हुई कब्जा कर लिया और यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्व मंत्रीजी ने खुद ने इनको पट्टे कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह सही है। या तो राजस्व मंत्रीजी अपना पद छोड़ें या मैं छोड़ूं ।

श्री अध्यक्ष : दोनों मत छोड़िये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कौन गलत है, यह साफ हो जायेगा । यह इन्होंने नहीं किया है । जो इनके पहले थे, उन्होंने यह किया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इन लोगों ने बिलकुल नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है । स्वयं राजस्व मंत्रीजी ने तहसील में बैठ कर अलाटमेंट किया है रात रात को और गांव वालों को इसकी इत्तला भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आवंटन का प्रश्न अलग से है । धारा 91 के तहत लगभग 900 मामले पेन्डिग हैं, जिनकी जांच की जा रही है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसकी फहरिस्त आनी चाहिये । इतनी गड़बड़ हुई है, भूमिहीन लोग वहां भूमि के लिए तरस रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों के लिये यह, व्यवस्था कर सकता हूं कि आप अपने आफिस में सम्बन्धित सदस्य को बुला लें और संबंधित सदस्यों को यह सूची दिखा दें यदि प्रति नहीं दी जा सकी हो तो ।

नैक्स्ट । श्री फूलचन्द बाफणा ।

पाली जिले में बी० पी० शीट्स एवं जी० पी० शीट्स का कोटा

144. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पाली जिले में सन् 66-67 के वित्तीय वर्ष में लोहारी व इस्पात कार्य करने वाली अर्थात् बी०पी० तथा जी०पी० शीट्स का काम करने वाली इकाइयां (युनिट) कितनी थीं व उनके नाम क्या क्या हैं ?

(2) उपर्युक्त युनिटों इकाइयों का सन् 67-68 में उत्पादन प्रत्येक का (पृथक-पृथक) कितना कितना था ?

(3) इन उपर्युक्त इकाइयों का सन् 67-68 में एस०पी०आई एवं एस०एस० आइ० के सर्टिफिकेट कुल कितने कितने टन दिये गये ? इन कोटों के अलावा एम०एम० टी०सी० एवं कृषि अथवा अन्य विषय या अन्य प्रकार के कोटे से प्रत्येक युनिट को कितना कितना माल बी०पी० तथा जी०पी० शीट्स का मिला अथवा सरकार द्वारा दिया गया ?

(4) इन उपर्युक्त इकाइयों का सन् 67-68 में कुल कितना कितना उत्पादन हुआ ? उत्पादन की प्रत्येक किस्म व मूल्य भी प्रत्येक किस्म का बताने की कृपा करें ।

उप मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) इकाइयों की संख्या 57 थी। उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक इकाई का उत्पादन उसके नाम के सामने उपरोक्त सूची में अंकित है।

(3) 1967-68 में एस०एस०आई० की 46 इकाइयों को 37 50 टन बी०पी० शीट्स व 1.53 टन जी०पी० शीट्स के कोटा प्रमाण-पत्र जारी किये गये। एस० पी० आई० की 11 इकाइयों को 329 मैट्रिक एन०एम०टी०बी०पी० शीट्स के प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

एम०एम०टी०सी० व राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1967-68 में 139.50 मैट्रिक टन बी०पी० व 19.358 टन जी० पी० शीट्स का आवंटन किया गया। प्रत्येक इकाई को जो कोटा दिया गया यह उसके नाम के सामने अंकित है।

(4) सन् 67-68 में प्रत्येक इकाइयों का उत्पादन एवं उत्पादित वस्तु का मूल्य व किस्म इकाइयों के नाम के सामने उपरोक्त सूची में अंकित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी गई है, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए इसको स्पष्ट-रूप से पढ़ने में दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : यथाशक्ति प्रयास करें।

श्री फूलचन्द बाफणा : यह मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी सूची दी जाय जिसको कि आसानी से पढ़ा जा सके।

श्री हरिदेव जोशी : कौन-सी सूची नहीं पढी जा रही है।

श्री फूलचन्द बाफणा : यह सूची जो आपने दी है।

श्री हरिदेव जोशी : दो सूचियां हैं। उनमें से कौनसी सूची है ? मेरी कापी आपको दे दूं।

श्री फूलचन्द बाफणा : अगर अच्छी हो और पढ़ने लायक हो तो दे दें। अच्छी है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल अच्छी है।

श्री अध्यक्ष : इस पर आपके नोट तो नहीं हैं ?

श्री फूलचन्द बाफणा : बिल्कुल नहीं है। (सूची लेने के बाद) हां यह अच्छी है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, इसको इसी समय पढ़कर प्रश्न पूछना संभव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : तो मैं आगे चलता हूं।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां जहां लोहे का सामान लिखा है, वह लोहे का सामान जी० पी० शीट्स से बना हुआ सामान है। इकाई के सामने लिखा है लोहे का सामान, इस सामान से आपका मतलब क्या है ? यह जी० पी० शीट्स से बना हुआ है ?

Page No.7

श्री हरिदेव जोशी : केटेगोरिकल क्वश्चन आपने इसी रूप में दिया था। कितनी 2 बी० पी० शीट्स, जी० पी० शीट्स का सामान है। उसी रूप में आप इस जवाब को देखें।

श्री फूलचन्द बाफणा : मैंने तो स्पष्ट रूप से पूछा है जी० पी० और बी० पी० शीट्स के बारे में। फिर यह लोहे का सामान क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो पूछा है, वह उत्तर दिया है। जी० पी०, बी० पी० शीट्स के प्रश्न का उत्तर उसी रूप में देखें। जहां लोहे का सामान लिखा है, वह अदर दैन जी० पी०, बी० पी० शीट्स के है।

श्री फूलचन्द बाफणा : तो क्या मैं यह समझूं कि यह लोहे का सामान जी० पी०, बी० पी० शीट्स का ही बना हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो जो इस में लिखा है, उसको उसी रूप में देखें। इसे उसी रूप में देखने की कोशिश कीजिये। मैंने निवेदन किया है कि जहां पर जी० पी०, बी०पी० शीट्स का दिया है, वहां पर उसको उसी रूप में लिख दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बी० पी०, जी० पी० शीट्स के युटिलाइजेशन के बारे में किसी भी अधिकारी द्वारा उनके उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है और ये जारी कर दी गई हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी बात नहीं है। जहां भी दिया है, तो युटिलाइजेशन के बाद दिया है।

श्री फूलचन्द बाफणा : मेरा प्रश्न एक बात के लिये है। वही मैं पूछ रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप क्या स्पेसिफिक जानना चाहते हैं, वह पूछ लीजिये। किस पार्टी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री फूलचन्द बाफणा : मैं किसी पार्टी के बारे में जानना नहीं चाहता हूं। मैं तो जनरली जो गवर्नमेंट की गड़बड़ चलती है, उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

श्री फूलचन्द बाफणा : जो लोहे का सामान लिखा है, उससे आपका क्या तात्पर्य है।

श्री हरिदेव जोशी : यह सारी चीजें जिस चीज की हैं, उसके नाम के रूप में उसको दिया गया है। इसीलिये बी० पी०, जी० पी० शीट्स की जो हैं, वह लिखा है, जिस तरह से उसको कहा जाता है। जो लोहे का सामान है, जैसे सलियां आदि और दूसरी चीजें वे अदर दैन बी० पी०, जी० पी० शीट्स के हैं।

श्री फूलचन्द बाफणा : तो जो मैंने पूछा है, उससे ज्यादा उत्तर आपने दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपना प्रश्न पूछ लीजिये। यह ज्यादा जानकारी आपके लिये है।

श्री फूलचन्द बाफणा : जितनी कीमत हर इकाई के सामान की है, वह वही कीमत है, जो उस सामान की कीमत है और वह कीमत उससे मिलती हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : यह जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें आप देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : प्रश्न संख्या 145।

कमला नेहरू होमियोपैथी चिकित्सालय झालरापाटन

145. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन, जिला झालावाड़ नगर में कमला नेहरू होमियोपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में नर्स (दाई) भी मुस्तकिल रूप से नहीं रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस चिकित्सालय में रोजाना कितने मरीज दवा लेने आते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि औषधालय में दवाइयां आदि की कमी से रोगियों को परेशानी है।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) :

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त औषधालय में धात्री पद सृजित नहीं है।

(3) औसतन दैनिक रोगी संख्या 118 है।

(4) जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि अभी तक वहां डॉक्टर नहीं पहुंचा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : डॉक्टर का अपाइन्टमेंट दिसम्बर के अन्दर कर दिया है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, वहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं हैं। 150 रोगी वहां रोज आते हैं।

श्री अध्यक्ष : अपॉइन्टमेंट हो गया है ? क्या डॉक्टर अपॉइन्ट होकर वहां पहुंच गया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : 28 दिसम्बर 68, को इसके अपाइन्टमेंट होकर उसकी पोस्टिंग्स हो गई है। और डॉक्टर वहां पहुंच गया है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टिंग्स हो गई, ठीक है।

प्रश्न संख्या 146

श्री विजय सिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न संख्या 147।

Page No.9

ऊन वर्गीकरण केन्द्र, जोधपुर में हुए घोटालों की जांच

147. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऊन वर्गीकरण केन्द्र, जोधपुर में ऊन खरीद के मामले में हुए घोटाले के सम्बन्ध में ऊन का सही मूल्यांकन करने के लिये विभाग द्वारा कोई कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो कब और किन किन व्यक्तियों की और उक्त कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी ? सूची मय रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल कितनी ऊन कितने मूल्य की कम पाई गई और उसके लिये सरकार ने किन किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इस प्रकार के घोटाले आइन्दा नहीं हों इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाये जायेंगे ?

(4) उपरोक्त ऊन की कीमत का भुगतान खरीद की तारीख के कितने दिन बाद किस अधिकारी द्वारा, किस बजट से, किसके आदेश से किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। ऊन का सही मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन 24-2-68 को किया गया था। कमेटी के सदस्यों की नामावलि संलग्न है। कमेटी ने अपनी पूर्णरूपेण रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि जांच हेतु समस्त रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने कब्जे में कर रखा है। अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) चूंकि कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी कहने का तथा ऊन की कमी के मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस संबंध में विभाग की ओर से पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।

(4) आय-व्यय के शीर्षक 124 राज्य व्यापार योजना के अन्तर्गत पूंजी की लागत से 3,34,020·60 रुपये का भुगतान ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जोधपुर के द्वारा तथा 2,63,677.71 रुपये का भुगतान जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर के द्वारा खरीद के लगभग 15 दिवस की अवधि में किया गया। निश्चित तारीख रेकार्ड के अभाव में, जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास है, दिया जाना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में जांच किस शिकायत के आधार पर हो रही है ?

श्री हरिसिंह : सबसे पहले एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से शिकायत की गई। उसके बेसिस पर छापा मारा 67 में और अनियमितताएं पाई गई। विभाग की तरफ

(श्री हरिसिंह)

कोई पोइन्ट आउट नहीं था। सारे रेकार्ड स भी सीज कर लिये गये हैं। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरडक : जब भेड़ ऊन विभाग ने पेमेन्ट किया तो किस हैड से किया ?

श्री हरिसिंह : यह बताया न कैपिटल हैड 124 ।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। इसका हैड अलग होता है पर मौके पर जाकर डिस्ट्रिक्ट अफसर को लिखित में देकर उनके बजट से पेमेन्ट कराया है जबकि उनके पास पैसा नहीं था।

श्री हरिसिंह : शीर्षक सही है और ग्रेडिंग अफसर जोधपुर ने भुगतान किया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कमेटी आपने बनाई है चार बार जांच रिपोर्ट दिये बिना बदलने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : कोई चला गया है, रिटायर हो गया है, यह कारण बताया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इस पर मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि यह एक इतना बड़ा घोटाला है जिसके लिए गतसाल यह आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह में दोषी अधिकारियों के नाम बतला दिये जावेंगे ?

श्री हरिसिंह : इसकी जांच जारी है और इसकी जांच पूरी होने पर आपको बता दी जावेगी और आप चाहेंगे तो, जितनी उत्सुकता आपको है हमें भी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : किन किन अधिकारियों के नाम आप छिपावेंगे ? आप इस मामले को टालना चाहते हैं। पर आपने सदन में आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य। नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : 148 ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं और पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया है। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक प्रश्न और पूछूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सारण ने पूछा और मन्त्री उत्तर देने को खड़े हैं। आपको एक प्रश्न करने का मौका दे दिया। अब कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा ही हूं। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक प्रश्न पूछूंगा ही जिन्होंने घोटाले किये हैं…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य कभी तो थोड़ा सा नियमों का आप सम्मान करियेगा। स्थान ग्रहण करें कृपया। माननीय मंन्त्री महोदय। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्यः क्या आप यह बताएंगे कि(XXXX)

श्री अध्यक्ष : उनको नहीं लिखा जाए। अंकित न किया जावे। मन्त्री महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य : (XXXX)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं। माननीय सदस्य। फिर नाम से पुकारता हूं। ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। मन्त्री महोदय।

भेड़ एवं गोपालन के लिए भूमि

148. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में भेड़ पालन के लिये कितनी भूमि किन किन को कहां कहां दी गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गोपालन (कैटल ब्रीडिंग) के लिए भी भूमि दी गई है? यदि हां, तो कितनी? कहां २ और किस किस को?

(3) पशु पालन के लिये पशुपालकों को चरागाह हेतु भूमि देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है और क्या व्यवस्था है?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) व्यक्तिगतरूप से कोई आवंटन नहीं किया गया है। केवल राज्य विभाग को आवंटन किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) अब तक केवल राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (अलॉटमेन्ट ऑफ लेण्ड टू डेरी एण्ड पोल्ट्री फार्म्स) रूल्स 1958 एवं राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू अलाटमेन्ट आफ लेण्ड टू गोशालाज रूल्स 1957 के अन्तर्गत ही ऐसे आवंटन किये जा सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : आपने जो सूची दी है इसके अन्दर संख्या 3 पर चूरू में गोपालन के लिये $194\frac{1}{2}$ बीघा जमीन बताई है यह किसके नाम से है?

श्री गंगाराम चौधरी : इसमें से $3\frac{1}{2}$ बीघा भूमि गोशाला के नाम से और 191 बीघा फिर गोशाला के नाम से ही है।

(XXXX) अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दौलतराम सारण : यह चित्तौड़ में 3 गांवों में बताई है यह सार्वजनिक है या व्यक्तिगत लोगों के नाम से है ?

श्री गंगाराम : भेड़ पालन विभाग को।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : इस जमीन के अन्दर से किसी को बेच दी गई है ?

श्री गंगाराम : जी नहीं।

श्री दौलतराम सारण : यह जैसलमेर में ?

श्री गंगाराम : पशु पालन विभाग को।

श्री श्रवणलाल : यह जयपुर जिले में किसको दी गई ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को ऋण

149. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1952 से लेकर अब तक जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को किस किस काम के लिये कितना कितना ऋण कब कब किन किन शर्तों एवं ब्याज पर दिया गया था ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस किस कर्जे का उपयोग उन्हीं कार्यों में किया गया है जिसके लिए वह कर्ज दिया गया था ?

(3) उक्त ऋणों की राशि सरकार को कब कब लौटाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या किसी ऋण की राशि लौटाने में विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उपमन्त्री, उद्योग विभाग (श्री भीमसेन): कुल 97 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। तालिका क्रमांक 1 व परिशिष्ट क से घ सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) सब दिये गए ऋण का उपयोग उन्हीं कार्यों में किया गया है जिनके लिये ऋण दिया गया था।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई। तालिका क्रमांक 2।

(4) उनको किश्तों के भुगतान में कभी कभी विलम्ब हुआ है जिस हेतु इकरारनामे की शर्तों के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने का सूद वसूल किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : इस सारे ऋण की पहली किश्त कब से शुरू हुई, और कब जमा कराना प्रारम्भ किया और आज तक कितनी किश्तें ड्यू हैं ?

श्री भीमसेन : यह सारी तालिका दो में है।

श्री श्रवणलाल: आप बताइये कि पहली किश्त कब से स्टार्ट हुई है और वह क्या मासिक थी तिमाही थी या वार्षिक ?

श्री भीमसेन : वार्षिक। चालीस लाख का लोन पहले दिया गया उसकी पहली पेमेन्ट की किश्त लोन लेने से ·····

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : किश्त जो ड्यू हुई थी ईयरली कन्ट्राक्ट था। उस कन्ट्राक्ट के अनुसार एग्रीमेन्ट के अनुसार ईयरली करना था और उसी के अनुसार उन्होंने किया है।

श्री भैरों सिंह (किशन पोल, जयपुर) : यह ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट है। यह ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : हो चुका है।

श्री श्रवणलाल : सन् 66 तक साठ लाख लोन दिया था तो 66 तक तो किश्तें जमा हुई और 66 से 69 तक किश्तें जमा क्यों नहीं हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि जब भी ड्यू हुई, हो गई। अब कभी अगर नहीं हुई तो इन्टरेस्ट लिया गया एग्रीमेन्ट के अनुसार।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही नहीं है कि पिछले कर्जे की रकम अदा नहीं हो जाती तब तक दूसरा कर्जा नहीं दिया जा सकता ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस कम्पनी को सवाई-माधोपुर टॉउन को पानी सप्लाई करने को कर्जा दिया गया था तो क्या उसने उस तारीख से पानी देना शुरू कर दिया जो एग्रीमेंट में तय की गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : थोड़ी देर से दिया था।

श्री भैरोंसिंह : कितनी देर से ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे यह तो ठीक याद नहीं है किन्तु इसमें केवल वही कम्पनी ही दोषी हो ऐसी बात नहीं है। रेलवे की लाइन के नीचे से होकर लाइन जाने वाली थी, उसमें थोड़ा समय लगा। वैसे जिस हैड तक उनको पानी देना था वहां तक आ चुका था। फिर रेलवे लाइन के नीचे से लेकर पानी लाना था तो उस लाइन को नीचे से उखाड़ना था और नीचे से पानी लाना था इसमें इसलिये देर हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस डिले को रेग्युलराइज करने के लिये कोई एक्सटेन्शन स्वीकार किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, राजवी श्री रूपसिंह।

मंत्रियों के लिये किराये के मकान

150. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनको सरकारी बंगले न मिलने की वजह से सरकार को उनके लिये मकान किराये पर लेने पड़े हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो मकान मंत्रियों के लिये किराये पर लिये गये हैं उनका अलग अलग क्या क्या किराया दिया गया है व दिया जा रहा है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(राजवी श्री रूपसिंह)

(3) सरकार को इनके रेन्ट, पानी व बिजली का कुल खर्चा हर माह कितना करना पड़ रहा है ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) व (2) सरकारी बंगले न मिलने की वजह से सरकार को जिन जिन मंत्रियों के लिये मकान किराये पर लेने पड़े हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है। इस सूची में मासिक किराये की दर भी अंकित करदी है।

(3) आवापित गृहों का प्रति माह 3,243 रुपया सरकार को व्यय करना पड़ रहा है। पानी व बिजली पर हुए वास्तविक खर्चे की तालिका सदन की मेज पर रखदी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राजवी श्री रूपसिंह : जो मकान आप किराये पर लेते हैं उनके लिये कोई मैक्सीमम लिमिट रखी है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ज़रा जोर से बोलें, सुनाई नहीं दे रहा है।

राजवी श्री रूपसिंह : जो मकान मंत्रियों के लिये किराये पर लिये जाते हैं उनके लिये कोई मैक्सीमम किराया लिमिट सरकार ने बांध रखी है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, बालसिंह सोढ़ा।

जोधपुर जैसलमेर एवं जोधपुर रामदेवरा मार्ग पर निगम की बसें

151. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी जिलों में यातायात सुविधा का अभाव महसूस करते हुए भी सरकार नये परमिट देने में विलम्ब करती है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अगर नहीं, तो वर्ष 1967 व 1968 में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में नये परमिटों के लिये कितने प्रार्थना पत्र आये और कितने स्वीकृत किये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार जोधपुर जैसलमेर व जोधपुर रामदेवरा जैसे महत्वपूर्ण सड़क पर रोडवेज की बसें लगाने का विचार नहीं कर रही है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) जी नहीं। बाड़मेर व जैसलमेर के जिलों में नये परमिटों के लिये प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र एवं स्वीकृत परमिटों की सूची सदन के पटल पर रख दी हैं।

(2) अभी वित्तीय स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि सन् 1967 में नये परमिटों के लिये 60 आवेदन पत्र आये जिनमें से केवल एक परमिट स्वीकार की गई। इसके क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इसका फैसला आर० टी० ए० करती है। उन्होंने जितना आवश्यक समझा स्वीकार किया।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि आर० ट० ए० की एक साल में मीटिंग नहीं होती है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं। अगर आप यह महसूस करते हैं कि इसमें और गाड़ियां चलनी चाहिये तो हम इसके स्कोप की जांच करा लेंगे और अगर गुंजायश होगी तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामसिंह।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जो परमिट इशू किये जाते हैं उनमें 15 प्रतिशत कोटा हरिजनों के लिये रिजर्व होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

नेक्स्ट, श्री रामसिंह कुड़ी।

नागौर जिले में पटवारियों के पेंडिंग बिल

152. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले की प्रत्येक तहसील में किन किन पटवारियों के टी० ए० और डी० ए० के बिल कितनी कितनी राशि के कब कब से पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा दो मास से अधिक पेंडिंग पड़े बिलों के लिये पेंडिंग रहने के कारण भी बताये जायें।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): नागौर जिले की प्रत्येक तहसील में जिन पटवारियों के टी० ए० और डी० ए० बिल पेंडिंग हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अधिकांशतः ये बिल स्वीकृत-शुदा बजट समाप्त हो जाने और कुछ मामले में कोषाध्यक्ष द्वारा ऐतराज न उठाने से और कुछ बिल निश्चित अवधि में प्रस्तुत न किये जाने के कारण पेंडिंग हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कुड़ी : कितने बिल बजट में प्रोविजन न होने के कारण पेंडिंग हैं और कितने ऐतराज होने के कारण पेंडिंग हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग अलग संख्या इस वक्त नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या और भी पुराने बिल पेंडिंग हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : जो भी बिल पेंडिंग हैं वे सूची में आचुके हैं।

श्री अध्यक्ष : सूची में आ चुके हैं, नेक्स्ट।

श्री रामसिंह कुड़ी : मेरे पास पटवारी का प्रार्थना-पत्र है, उसने लिखा है·· ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह कुड़ी : मेरे पास पत्र है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पत्र यहां नहीं पढ़ा जायेगा। पटवारी का पत्र है, सदन में नहीं रखा जायेगा, यह सामान्य नियम है, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यह सही है कि इस सूची में ऐसे भी नाम हैं जिनके बिल सन् 1958 से पेंडिंग हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : कुछ हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो 1958 से लेकर आज तक बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया?

श्री गंगाराम चौधरी : जिस प्रकार कलेक्टर्स के यहां से डिमांड आती है उसी प्रकार बजट में प्रावधान किया जाता है।

प्रश्न सं० 153

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामकुमार नंदवाना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरी सिंह हाड़ा।

चरागाहों में काश्त

154. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार हिन्डोली की गफलत से जिला भीलवाड़ा के काश्तकारों ने तहसील हिन्डोली के ग्रामों की चरागाहों को काश्त कर लिया है? यदि हां तो किस किस ग्राम की कितनी कितनी जमीन कब कब से?

(2) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने, चरागाहों से काश्तकारों को बेदखल करने और तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीगण प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है वह जनता के प्रार्थना-पत्र आने पर किया गया है। जब कलेक्टर महोदय को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने एस.डी.एम. द्वारा जांच कराई, और इस बात को सही पाया, और मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : वे तो इनकार हो गये। क्या जिलाधीश को जनता द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि क्या यह तहसीलदार की गफलत की वजह से हुआ तो उसके उत्तर में निवेदन किया गया कि तहसील दार की गफलत की वजह से कोई नाजायज कब्जा नहीं दिया गया। जिले के कुछ बाहर के लोगों ने अतिक्रमण किया था और उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही नहीं है कि जगन्नाथ नाम के आदमी ने उमर गांव में करीब 20 बीघा जमीन तहसीलदार की जानकारी में होते हुए भी दबा रखी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जगन्नाथ के विरुद्ध राजस्थाल लैंड रिवैन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही कर ली गई है और 26-9-68 को वह की गई है। उसके बाद में उन्होंने राजस्व अपीलेट ऑथोरिटी के समक्ष अपील कर रखी है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि इस जांच के दौरान यह पाया गया कि तहसीलदार ने उस जमीन का कम वेलूएशन किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है। मैंने निवेदन किया इसमें कार्यवाही चल रही है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि यह भूमि जो चारागाह थी उस पर अनाधिकृत कब्जा किया गया और वह सेक्सन 91 के अन्तर्गत आता है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गोचर भूमि पर अगर काश्त किया है तो वह जब्त भी कर सकते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जब्त भी किया हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

हरिजन छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं

155. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान के कितने हरिजन छात्र-छात्रायें राजस्थान से बाहर शिक्षा पा रहे हैं और कितने विदेशों में शिक्षा पा रहे है ?

(2) क्या यह सही है कि गरीब हरिजन छात्र-छात्राओं को राजस्थान से बाहर व भारत से बाहर शिक्षा पाने के इच्छुक होने पर भी मौका नहीं दिया जाकर कुछ हरिजनों के लड़के लड़किया इससे लाभ उठा रहे हैं ? राजस्थान से बाहर शिक्षा पाने वाले हरिजन छात्र छात्राओं की सूची जिले व तहसील तथा ग्राम वाइज जाति व उप-जाति सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान से बाहर शिक्षा पाने वाले हरिजन छात्र-छात्राओं को कुल कितना वजिफा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राजस्थान से बाहर जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी जो कॉलिजों में शिक्षा पा रहे हैं, और जिन्हें इस निदेशालय से छात्रवृत्ति दी जाती है उनकी संख्या निम्नलिखित है:—

(क) अनुसूचित जाति 36 छात्र

(ख) अनुसूचित जन जाति 9 छात्र

(राव श्री धीरसिंह)

(2) ऐसी कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) इस सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी राजस्थान से बाहर कालेजों में शिक्षा पा रहे हैं उनको निम्नलिखित छात्रवृत्ति द्रव्य स्वीकृत किया गया है:—

विद्यार्थियों की संख्या	रकम जो दी गई	जाति
३६ विद्यार्थी	११,०३२	अनुसूचित जाति
६ विद्यार्थी	४,८२८	अनुसूचित जन जाति

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो जानकारी चाही थी वह ग्राम वाइज और तहसील वाइज जानकारी चाही थी, लेकिन आपने पूरी जानकारी नहीं दी हैं, इसका क्या कारण है ?

राव श्री धीरसिंह : इसके अन्दर जिले तो अंकित हैं, तहसील वाइज अगर आप चाहेंगे तो और सूचना दे देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि गांव वाइज और तहसील वाइज सूचना दी जावे, लेकिन इन्होंने गांव और तहसील वाइज सूचना नहीं दी है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं दी जा सकी।

राव श्री धीरसिंह : यह जानकारी और दे देंगे गांव और तहसील वाइज, अभी जिला वाइज जानकारी तो दे दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आया है तो ऐसी सूची देने से क्या फायदा ? मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि हरिजन छात्र छात्राओं को भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं दिया जाता, इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो क्या राजस्थान का कोई भी लड़का लड़की विदेश में नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या राजस्थान से कोई भी लड़का फॉरिन कन्ट्रीज में नहीं गया ?

राव श्री धीरसिंह : इसमें फॉरिन कन्ट्रीज में गये हुये का नाम नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने पूछा विदेशों में कितने विद्यार्थी आपने भेजे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : इसमें कोई बाहर गया हुआ होता तो नाम लिखा हुआ होता। नाम नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दिल्ली विदेश है ? आगरा विदेश है ? मेरा मतलब है जो दूसरे देशों में जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनको पूरा पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका दुबारा उत्तर दिलाया जाय। यह इसका सही उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये। सम्भवतः आपको इसमें सन्तोष हो जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौनसे कौनसे हरिजनों के लड़के, किस किस के लड़के क्यों गये कैसे गये इन सारी बातों की जानकारी के लिए मैंने प्रश्न रखा था। मेरा तात्पर्य पूरा नहीं हुआ, इसको स्थगित करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थगित करने से पहले आप दूसरे प्रश्न पूछ लीजिये, हम विचार कर लेंगे अगर स्थगित करने योग्य होगा तो।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि हरिजनों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में और बाहर भेजने में पक्षपात बरता गया है ?

राव श्री धीरसिंह : कोई पक्षपात की जानकारी मेरे सामने नहीं लाई गई है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : हिन्दुस्तान से बाहर जाने के लिये आपके यहां कितनी एप्लीकेशन्स आई हैं और आपने क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। आगे दूसरा प्रश्न ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अलग से है।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : अलग से नहीं है केवल मंत्री महोदय की दृष्टि में है, प्रश्न स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : व्यवस्था दे दी गई है।

प्रो० केदारनाथ (गंगानगर) : जिन लड़कों को हायर स्टडीज के लिये बाहर भेजते हैं, इनको मैरिट के आधार पर भेजा जाता है- उनको किस बेसिस पर भेजते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैरिट के आधार पर भेजा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने नियम बना रखें हैं, स्कॉलरशिप के तीन तरीके हैं— इन्टरनेशनल स्कालरशिप, गवर्नमेंट आफ इण्डिया स्कालरशिप और किसी को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती है। उनके आधार बनें हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री लादूराम सुलानियां : हम इतना जानना चाहते हैं राजस्थान से कितने लड़के भेजे गये हैं, केवल यह बता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलानियां : बता रहे हैं साहब।

प्रश्न सं० 156

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न सं० 157

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 158

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

उदयपुर खैरवाड़ा मार्ग के आपरेटर पर बकाया।

159. **श्री भैरोंसिंह किशनपोल** (जयपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर-खैरवाड़ा मार्ग के एकाधिकृत (मोनोपोलिस्ट) श्री गुलाम अब्बास में इस मार्ग से सम्बन्धित कितना बकाया शेष है?

(2) विभाग द्वारा आरम्भ में इस व्यक्ति के विरुद्ध कितनी बकाया निकाली गई और उसमें किस किस समय क्या क्या संशोधन किया गया और क्यों?

(3) बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): (1) उदयपुर-खैरवाड़ा मार्ग के मोनोपोलिस्ट श्री गुलाम अब्बास में इस मार्ग से सम्बन्धित मोनोपोली ड्यूज के रु० 54,166.37 पैसे बकाया है। इसमें ब्याज की रकम शामिल नहीं है।

(2) विभाग द्वारा प्रारम्भ में इस व्यक्ति के विरुद्ध रु० 21,369.22 मनोपोली ड्यूज और रु० 5,604.00 ब्याज के रूप में बकाया निकाले गये किन्तु सन् 1964 इस केस में पुनः जांच पर, पुराने उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर 54,166.37 पैसे मोनोपोली ड्यूज के बकाया होना पाये गये।

(3) उक्त मोनोपोलिस्ट द्वारा बकाया की वैधानिकता को चेलेन्ज किया गया जिसकी जांच की जा रही है। अतः मामला विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह: कहां चैलेन्ज किया गया है।

श्री अमृत लाल यादव: सरकार को यह लिखा है कि वैधानिक दृष्टि से यह रुपया वसूल नहीं किया जाना चाहिये। इसके ऊपर लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेन्स डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है कि इनकी मांग कहां तक वाजिब है।

श्री भैरोंसिंह। इस व्यक्ति से रिकवरी के लिये सबसे पहले नोटिस किस साल में दिये गये थे?

एक माननीय सदस्य: नोटिस क्या देंगे, यह तो घर की बात है।

श्री अमृत लाल यादव: माननीय सदस्य, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि इनको कभी नोटिस नहीं दिया गया है?

श्री अध्यक्ष: यह सूचना नहीं है।

एक माननीय सदस्य: दोनों ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह: इस व्यक्ति का रिप्रिजेन्टेशन किस साल में आया था?

(विराम)

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : रिप्रिजेन्टेशन आया ही नहीं आपने यों ही कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब दे दीजिये हाउस में गेप नहीं रखा जाता है। यह भी कह दीजिये मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कब आया ?

श्री अमृत लाल यादव : तारीख नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : इस रिप्रिजेन्टेशन में क्या बात है जो गवर्नमेंट विचार कर रही है ?

श्री अमृत लाल यादव : माननीय सदस्य मैंने कहा मोनोपोली खतम हो गई। उसके बाद कितने दिनों गाड़ी चली उतने दिन का मोनोपोली के हिसाब से वसूल नहीं किया जाना चाहिये। उसको गवर्नमेंट लॉ डिपार्टमेंट और फाईनेन्स डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का रिप्रजेन्टेशन आने के बाद फाईनेन्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उक्त राशि वसूल की जानी है और इसके लिये नोटिस इश्यू कर दिया जाय ?

श्री अमृत लाल यादव : यह अन्तिम नहीं हुआ है। वे अभी जांच कर रहे है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच दुबारा हो रही है या पहले हो चुकी है ?

श्री अमृत लाल यादव : विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय, यह मामला पी० ए० सी० में आया था कई बार आ चुका है, हाउस में भी कई बार आ चुका है। गवर्नमेंट या तो बताये कि वसूली होने में क्या दिक्कत आ रही है। पी० डी० आर० में क्यों नहीं दे दिया जाता है ?

श्री अमृत लाल यादव : विभाग ने अपने रेकार्ड से और अधिक रकम निकाली है अगर ड्यूज मुनासिब होते हैं तो पी० डी० आर० में वसूल करने में दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रकम बताई है उसमें रोड टेक्स, गुड्स एन्ड पेसेन्जर टेक्स शामिल नहीं, ट्रान्सपोर्ट के बाकी के चार्जेज होते थे वह शामिल नहीं हैं ?

श्री अमृत लाल यादव : जो कुछ रकम बाकी निकलनी चाहिये उसके हिसाब से जमा होगी, अभी जांच कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं एक जानकारी चाहूंगा। इन्होंने रिप्रजेन्टेशन सरकार के सामने किया है इसमें 54 हजार में से कितनी रकम देना स्वीकार किया है ?

श्री अमृत लाल यादव : कितनी रकम देना स्वीकार किया है, यह स्वीकार नहीं किया है इसलिये सारे मामलें को जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते हैं तब तक स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। कितनी होती है वास्तविक होती है या कुछ होती है, इसको देखेंगे।

Page No.22

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि इस रिप्रजेन्टेशन के लिये विचार करें इसके पहले कितनी बकाया है उसको अन्डर प्रोटेस्ट जमा कराने के आदेश दें ?

श्री अमृत लाल यादव : बकाया अनडिस्प्यूटेड नहीं है। उसने सभा को चेलेन्ज किया है जब तक एग्जामिन न होकर फाईनल न हो जाय तब तक वसूली की कार्यवाही कैसे हो सकती है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आरम्भ में 41 हजार निकले, बाद में 54 हजार हो गये सरकार को 54 हजार में 41 हजार तो वसूल करने चाहिये थे। यह रिप्रजेन्टेशन के नाम पर जान-बूझ कर छोड़ा जा रहा है। यह क्यों नहीं वसूल किये जा रहे हैं ?

श्री अमृत लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न के अन्दर बताया है कि उसके रिप्रजेन्टेशन का गवर्नमेन्ट पर कोई असर नहीं है। उसकी जो कम रकम थी उसके बजाय गवर्नमेंट ने और रेकार्ड देखकर उससे ज्यादा रकम बताई है। पहले रकम 21 हजार ही थी फिर 5 हजार ब्याज के निकाले और पुराने रेकार्ड को देखकर 21 और 5 मिलाकर जहां 26 हजार होते हैं उसके बजाय 54 हजार निकाले। तो फिर यह सवाल नहीं उपस्थित होता कि उसके रिप्रजेन्टेशन पर रकम कम कर दी गयी है। सवाल अब वसूली का है तो उसके लिए कहा है कि मेरे से वसूली इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उस समय मोनोपोली थी और कान्स्टीट्यूशन के माफिक मानोपोली खतम हो गयी इसलिए वसूली नहीं होनी चाहिए। यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और लॉ डिपार्टमेन्ट से फाइनल होगा तो जल्दी से जल्दी वसूल करने की कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी गुलाम अब्बास को जो मोनोपोलाइज्ड रूट मिला है उसको जब गवर्नमेन्ट ने टेकओवर किया उस समय मोनोपोलाइज्ड रूट्स उसके रूट आउट करने के कारण राज्य सरकार ने उसको कम्पन्सेशन दिया है ?

श्री अमृत लाल यादव : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो कुछ मिला नहीं। न तो जवाब मिला है और न मिलना है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने सूचना यों ही दे दी है। कम्पेन्सेशन के भी कागज चले हैं और रकम वसूल करने के भी कागज चले हैं। केसेज कोर्ट में आ गये हैं और उनका निराकरण भी हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बनवारी लाल।

धौलपुर को जिला बनाने की मांग

158. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर उपजिले की आबादी राजस्थान के इन चार

(श्री बनवारी लाल)

जिलों बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाडा, सिरोही से ज्यादा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर उप जिले में कई जिलों से ज्यादा तहसीलें हैं तथा सब तहसीलें हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से जिले में इससे कम तहसीलें व सब तहसीलें हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि धौलपुर उप-जिले की राजस्व आमदनी राजस्थान के आठ जिलों से ज्यादा है ? यदि हां, तो वह कौन कौन से जिले हैं?

(4) राज्य सरकार जिला बनाने के लिये किन किन बातों का ध्यान रखती है ?

(5) क्या मुख्य मंत्रीजी को जबकि वह गत वर्ष बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ भरतपुर बैठक में गये तो उन्हें धौलपुर के नागरिकों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र जिला बनाने के लिए प्राप्त हुआ था ?

(6) जब कि धौलपुर उप-जिला अन्य कई जिलों की अपेक्षा राजस्व आय में भी ज्यादा है, जनसंख्या में भी कम नहीं है, क्षेत्रफल में भी कम नहीं है, फिर क्या कारण है कि धौलपुर को जिला नहीं बनाया गया है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं, केवल बूंदी व सिरोही जिले से ज्यादा है।

(2) धौलपुर उप-जिले से निम्न जिलों में कम तहसीलें हैं :—

(1) जैसलमेर (2) डूंगरपुर

किन्तु निम्न जिलों में सब-तहसीलें कम हैं :—

(1) बूंदी (2) बीकानेर (3) जालोर (4) झुंझुनू

(3) केवल निम्न लिखित सात जिलों में :—

सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर की राजस्व आमदनी उप-जिला धौलपुर से कम है।

(4) प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से उस भाग की आबादी तथा क्षेत्रफल व क्षेत्र की शासन-व्यवस्था आदि का।

(5) जी नहीं गत वर्ष मुख्य मंत्रीजी भरतपुर नहीं गये थे।

(6) शासन व्यवस्था के लिये ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धौलपुर सब-डिविजन तहसीलों में ज्यादा है, आबादी में ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम में ज्यादा है फिर इसको डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने अपने उत्तर के भाग 5 और 6 में निवेदन कर दिया है कि मुमकिन नहीं है।

श्री बनवारी लाल : क्या उत्तर दिया गया है साफ साफ बतायें। जब रेवेन्यू इनकम ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और तहसीलें ज्यादा हैं तो फिर क्यों नहीं इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि शासन व्यवस्था की वजह से सम्भव नहीं है।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए वहां के पुलिस अधिकारी को वहां से 150 मील चलकर आना पड़ता है और इसके अलावा और भी अनेक कठिनाइयां आती हैं ?

श्री मजलिस खां (चोहटन) : धौलपुर में एस० पी० हैडक्वार्टर तो होना ही चाहिए।

श्री बनवारी लाल : वहां से 150 मील आना जाना पड़ता है⋯

श्री अध्यक्ष : होने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाता इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक रहा है, इसकी बहुत लम्बी चौड़ी व्याख्या होती हैं।

श्री बनवारी लाल : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब मंत्री महोदय के पास नहीं है⋯

श्री रामचन्द्र आर्य : आप मुख्य मंत्रीजी को क्यों नहीं बताते हो घर जाकर ?

श्री बनवारी लाल : इसका क्या जवाब आया, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक।

श्री बनवारी लाल : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको यों ही टाला न जाये ?

श्री अध्यक्ष : टाल दिया गया है वह तो।

श्री बनवारी लाल : कहीं प्रपोज भी किया है इस साल के बजट में ? अध्यक्ष महोदय, क्या इस पर विचार किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : विचार कर लिया गया है फिर भी अवशेष है।

श्री गंगाराम चौधरी : जिस समय अलग अलग जिले बने थे उस समय पहले ही विचार कर लिया गया था।

श्री बनवारी लाल : जब दूसरे जिलों से इसकी आबादी ज्यादा है, तहसीलें ज्यादा है तो फिर और जिलों को भी कम किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। नैक्स्ट।

कस्बा छीपाबड़ोद में सरकारी भूमि पर कब्जा

160. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) (**श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) द्वारा पूछा गया : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपाबड़ोद तहसील के कस्बे छीपाबड़ोद में कई व्यक्तियों ने सरकारी पड़त व बंजर जमीन पर बिना इजाजत जबरन मकानात बनाये हैं ? अगर हां, तो किन किन ने और किस किस नम्बरान की जमीन पर ?

(श्री प्रेमसिंह सिघवी)

(2) क्या सरकार ऐसे जबरन बनाये गए मकानों के लिए पट्टे देगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस तरह जबरन कब्जे करने वाले लोगों के तथा जिन अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसे कब्जे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) हां, यह सही है कि छीपा-बड़ोद में कई व्यक्तियों ने राजकीय पड़त व बंजर भूमि पर अनधिकृतरूप से मकानात बना लिये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे मकानों के लिये पट्टे देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

(3) राजकीय भूमि पर अनधिकृतरूप से अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमणकारियों में से अधिकांश को बेदखल करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जो सूची दी है उसमें कितने आदमियों ने पक्के मकान बनाकर तैयार कर लिये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : कुछ आदमियों ने पक्के मकान बनाये हैं। अब तक कुल मेरी सूचना के अनुसार एक मकान पक्का बना है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : कागजों में ही बना है या जमीन पर ?

श्री श्रवणलाल : इस जमीन पर पहले कब्जा कब किया था और उसकी राज्य सरकार को सूचना कब मिली ?

श्री गंगाराम चौधरी : कब्जा लगभग 68 और उसके बाद में हुआ है और उसी समय उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही चालू कर दी गयी थी।

श्री श्रवणलाल : क्या यह जो सूची आपने दी है क्या इसको गलत समझा जाये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, वह 68 के लिए बता रहे हैं और कब्जा 65 से है तो क्या सूची को गलत समझा जाये या आपके जवाब को ?

श्री गंगाराम चौधरी ; अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय मंत्री महोदय। नैक्स्ट, श्री शिवनाथ सिंह।

झुंझुनूं जिले का पब्लिक प्रोसीक्यूटर

161. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनूं जिले में पब्लिक प्रोसीक्यूटर तथा उसके क्लर्क को माहवारी क्या तनख्वाह मिलती है ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) यह वर्तमान तनख्वाह कब से चली आ रही है और कब कब इसमें बढ़ोतरी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद अन्य कई जिलों में पब्लिक प्रोसीक्यूटर की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो चुकी हैं मगर झुंझुनूं जिले में नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इसमें बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) पब्लिक प्रोसीक्यूटर को 250 रु० प्रतिमाह वेतन (रिटेनर) दिया जाता है तथा उनके क्लर्क को 155 रु० वेतन व 122 रु० महंगाई भत्ता दिया जाता हैं ।

(2) पब्लिक प्रोसीक्यूटर को वर्तमान तनख्वाह 2 मार्च, 1956 से दी जा रही है तथा इसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं है । क्लर्क को वर्तमान तनख्वाह दिनांक 1-3-69 से दी जा रही हैं तथा प्रतिवर्ष वेतन श्रृंखला के अनुसार बढ़ोत्तरी की जाती रही है ।

(3) जी नहीं, 2 मार्च, 1956 के पश्चात् किसी भी जिले में पब्लिक प्रोसीक्यूटर की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है ।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शिवनाथसिंह : सरकार इस पर कब तक निर्णय लेने वाली है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जुझारसिंह ।

सांगोद-रामगंज मण्डी मार्ग पर यात्रियों को सुविधा

162. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांगोद क्षेत्र से रामगंज मण्डी एस०डी०ओ० कोर्ट की पेशियां साधने व एस०डी०ओ० हैड क्वार्टर पर आने जाने के लिये कितनी गाड़ियां पास हैं ? मय नाम व टाइम के बताने का कष्ट करें ।

(2) रामगंज मण्डी जाने व वहां से लौटने के लिये राज्य परिवहन निगम द्वारा कोटा से कितनी गाड़ियां स्वीकृत की हुई है ? मय टाइमिंग्स के बताने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि सांगोद क्षेत्र के लोगों को रामगंज मण्डी पहुंचने के लिए दरा तक प्राइवेट बसों में व दरा से रामगंज मण्डी तक राज्य परिवहन निगम की बसों में ही जाना सम्भव है ? यदि हां, तो सांगोद से आने वाली मोटरों का रामगंज मण्डी जाने वाली मोटरों से दरा में मिलान किस किस समय पर होता है ? कृपया सांगोद से दरा होकर कोटा या दरा तक आने वाली व वहां से रामगंज मण्डी जाने वाली बसों का नाम व टाइमिंग बताने की कृपा करें ।

(4) कोटा – झालावाड़ – अकलेरा राष्ट्रीयकृत रूट पर 10 मील से अधिक फासले तक अभी कितनी मोटरें पास हैं ? मय नाम व टाइमिंग के बताने की कृपा करें ।

(5) क्या राज्य सरकार सांगोद से रामगंज मण्डी जाने हेतु यात्रियों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये और बसें पास करने या चलाने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) बारां से सांगोद होती हुई रामगंज मण्डी के लिए निम्नलिखित बसें पास है :-

(श्री अमृतलाल यादव)

क्रमांक नाम	समय चक्र
1. श्री विश्वम्बर दास	बारां रावानगी प्रातः 6 बजे । अंडवा रवानगी 2 पी०एम० ।
2. श्री कोटा ट्रान्सपोर्ट लि० (दो परमिट)	गाड़ी चलाना बन्द है।
3. श्री भैरूलाल एण्ड को०	बारां रवानगी 10 बजे प्रातः। अंडवा रवानगी 6 बजे प्रातः।

(2) कोटा से रामगंज मन्डी के लिये 2 सेवायें जाना और 2 सेवायें आना स्वीकृत हैं जिनके समय निम्न हैं :—

कोटा से रामगंज मण्डी

8-30	10-30
16-15	19-15

रामगंज मण्डी से कोटा

8-00	11-00
16-00	19-00

(3) जी हां, यह सही है। इन मार्गों से जाने वाले यात्रियों को रामगंज मंडी जाने के लिए राज्य परिवहन निगम की यात्री वाहन संध्या को 5-30 बजे दरा से मिलती है। इन मार्गों पर चलने वाली बसों के नाम व समय की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) प्रार्थना-पत्र आने पर नियमानुसार प्रादेश परिवहन प्राधिकरण विचार कर सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(12 मध्यान्ह)

श्री जुझारसिंह : आपने जो बारां-उंडवा के बारे में चार बसेज के लिये इसमें सूची में बताया है तो कौनसी चार बसेज चल रही हैं?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोटा ट्रांसपोर्ट की दो परमिट्स है ये गाड़ियां बन्द हैं, इसके लिए मैं जांच करूंगा।

श्री जुझारसिंह : बाकी चार बसेज में से कितनी कोटा ट्रांसपोर्ट की हैं? भैरू लाल एन्ड कम्पनी की भी नहीं चल रही हैं तो कितनी चल रही है ?

श्री अमृतलाल यादव : कोटा ट्रांसपोर्ट की नहीं चल रही है यह मुझे सूचना मिली है और विश्वम्बरनाथ और भेरूलाल कम्पनी की चल रही है यह मुझे सूचित किया गया है।

श्री जुझार सिंह : मेरा मुख्य प्रश्न यह था कि सांगोद क्षेत्र रामगंज मण्डी एस० डी० ओ० कोर्ट के सर्किल का एक पार्ट है। और वहां पर लोग पेशियां व दूसरे काम के लिये आया जाया करते हैं। मैंने आपको बताया है कि भैरूलाल कम्पनी ने अपनी बस बन्द की हुई है।

Page No.28

श्री अमृतलाल यादव: माननीय अध्यक्ष, बन्द की हुई है या नहीं और जो गाड़ी बन्द है उसकी जांच करा लूंगा। जो गाड़ियां चल रही हैं वे तालिका में दी हुई हैं। अगर गाड़ियां कम पड़ती है और यह महसूस किया जाता है कि सवारियां अधिक हैं, और गाड़ियां चलना चाहिए तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि कोटा से रामगंज मंडी को रोडवेज की दो ही बसेज आती हैं और दो ही जाती हैं उनमें से भी एक तो कई महीनों से बन्द हैं जाना और आना।

श्री अमृतलाल यादव : यह इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन कार्पोरेशन की बसेज अगर कोई बन्द है तो उसको चलाने की जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री जुझारसिंह : आपकी बसेज बन्द है और मैं इनफर्मेशन दे रहा हूं कि रामगंज मंडी से कोटा दो बसेज जाती हैं और दो बसेज ही आने के लिये हैं लेकिन 2-3 महीनों से एक बस जाती हैं और एक ही बस आती है, और कोई दूसरा साधन नहीं है।

श्री अमृत लाल यादव : मैं माननीय अध्यक्ष, आपको आपकी सूचना के लिए धन्यवाद देता हूं और एश्योर करता हूं कि कार्पोरेशन को जितनी बसेज की परमिट हैं वे बराबर चलें इसके लिए जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आपकी जो नेशनेलाइज्ड रूट है इन पर करीब करीब 29 बसेज प्राइवेट आदमियों की चल रही हैं और 80-80, 85-85 मील पर यह ओवरलेपिंग चल रहा है इसका क्या कारण है? फिर नेशनेलाइजेशन करने का क्या फायदा है?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 164 मुख्य हैं इसका पूरे राजस्थान से ताल्लुक है उसका ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। उसका उत्तर देने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : ......उत्तर दे दिया जाय।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जहां पर कार्पोरेशन की बसेज चल रही हैं और उन पर दूसरे ओवरलेपिंग रूट्स है कितना कहां तक कार्पोरेशन की क्षमता के अनुसार उसको ले सकते हैं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न संख्या 164 वह सार्वजनिक हित का है।......

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना में कालेज

146. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना हाई स्कूल में कितने छात्र हैं और कितने कमरे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना हाई स्कूल मारवाड़ राज्य की सबसे पुरानी स्कूलों में से एक है ?

(3) क्या सरकार इस हाई स्कूल को कालेज बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. (1) छात्र संख्या 542

(2) कमरों की संख्या 25

2. जी, हां।

3. अगले वर्ष के आय-व्ययक में इसके लिये प्रावधान नहीं है।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़

153. श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल भवन वर्तमान स्थिति के आधार पर पर्याप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका एक्सटेन्शन करना चाहती है ? वर्तमान भवन पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और इसमें राज्य सरकार ने कितनी दी है और भारत सरकार ने कितना अंशदान किया है ? विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सैनिक स्कूल में राजस्थान के छात्रों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राजस्थान के छात्रों के भर्ती न होने का आधार सरकार के प्रचार, प्रकाशन की समुचित व्यवस्था न होना है ? यदि हां तो सरकार इस ओर उदासीन क्यों है ?

(3) सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में जो छात्र राजस्थान के बाहर के हैं उनके लिए अन्य स्टेटों द्वारा क्या सुविधा दे रखी हैं ?

(4) राजस्थान के छात्रों को सैनिक स्कूल में स्कालरशिप पूरी, तीन-चौथाई, आधी तथा एक चौथाई कितनी है, इस समय कितने छात्रों को मिल रही है. इसका क्या परसैंटेज है और अन्य प्रदेशों का क्या परसैंटेज है ? अब तक कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गई है ? साल वाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(1) जी हां, अनुबन्धन अनुसार राजस्थान सरकार की भवन के लिये भूमि की व्यवस्था व निर्माण कार्य की जिम्मेदारी है। अभी तक सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के भवन निर्माण पर राजस्थान सरकार द्वारा 28.42 लाख रु० व्यय हुआ है।

(2) जी नहीं। प्रकाशन की समुचित व्यवस्था है।

Page No.30

(श्री शिक्षा मंत्री)

(3) सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अन्य राज्यों से आये छात्रों को उन्ही राज्यों द्वारा उनके नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त कई राज्य जैसे जम्मू-कश्मीर द्वारा छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्रों को यात्रा व्यय व जेब खर्च भी दिया जाता है।

(4) 25 पूरी
15— 3/4
14— 1/2
13— 1/4

योग 67 प्रतिवर्ष

फिलहाल राजस्थान राज्य की स्कीम अनुसार 266 छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न प्रकार मिल रही है:—

228— पूरी
28— 3/4
4— 1/2
3— 1/4
3 अन्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत।

योग 265

---

67 प्रतिशत राजस्थान राज्य द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा 33 प्रतिशत अन्य राज्यों द्वारा दी जा रही है।

राजस्थान राज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के वर्षवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भीलवाड़ा क्षेत्र में कृषि भूमि का आबादी में परिवर्तन

157. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में भीलवाड़ा नगर-पालिका क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों की कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस जिस भूमि को आबादी में परिवर्तित किया गया उसका खसरा नम्बर व रकबा क्या है तथा परिवर्तन शुल्क क्या लिया गया?

उत्तर

(1) सूची प्रस्तुत है।

(2) प्रस्तुत सूची में यह सूचना भी अंकित है!

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्थान दिवस पर व्यय

157. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 30 मार्च, 1968 को दिल्ली में आयोजित राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जन-सम्पर्क विभाग द्वारा कुल कितनी धन राशि खर्च की गई? उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) इस दृष्टि से किन किन अखबारों को कितने कितने रुपयों का विज्ञापन दिया गया ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सन् 1967-68 के वित्तीय वर्ष में जन सम्पर्क विभाग द्वारा कुल कितने रुपये का विज्ञापन विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों को दिया गया ? इसमें से कौन कौन से पत्र राज्य सरकार द्वारा सरकारी विज्ञापन दिये जाने हेतु स्वीकृत सूची में नहीं थे जिस समय विज्ञापन दिये गये थे ? इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) रुपये 8,170-70 पैसे की धन-राशि (विज्ञापनों के व्यय के अतिरिक्त) व्यय हुई विवरण (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रुपये 5,239-00 का राजस्थान दिवस के अवसर पर विज्ञापन दिया गया था। तालिका (परिशिष्ट ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सन् 1967-68 के वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत समाचार पत्रों को कुछ रुपये 2,70,434-06 पैसे एवं राजस्थान के अन्य पत्रों को रुपये 3586-00 की विज्ञापन प्रकाशनार्थ दिया गया। तालिका ग एवं घ सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बहुधंधी सहकारी समिति, निवाणा

82. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बहुधन्धी सहकारी समिति, निवाणा पंचायत समिति गोविन्दगढ़ कब स्थापित हुई थी, उसमें कितने सदस्य हैं ? कार्य-कारिणी के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सच है कि नियमानुसार कार्यकारिणी का चुनाव नहीं किया गया। सिर्फ एक बार ही चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब तक इस समिति को कितना कितना ऋण किस काम के लिए कब कब मिला और उसकी वसूली कब की गई और अब कितना ऋण बकाया है ?

(4) क्या यह सच है कि आज तक समिति के सदस्यों की आम सभा नहीं बुलाई गई ? जिसके कारण समिति के सदस्यों को आय-व्यय की जानकारी नहीं हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सच है कि समिति में कई ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर रखें हैं जो वास्तव में सदस्य नहीं हैं ?

(6) इस समिति को अब तक किस काम के लिए कितना अनुदान मिला और उसको किन किन कामों में खर्च किया गया।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(7) क्या यह सच है कि इस समिति को कन्ट्रोल के गेहूं, चीनी व अन्य चीजें वितरण के लिए दी गई थीं उनका सही वितरण नहीं किया और सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रमाण-पत्र पेश कर दिया। यदि हां, तो किस किस साल में क्या क्या सामान कितना कितना दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) समिति का ऑडिट कब कब हुआ ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बहुधन्धी सहकारी समिति, निवाणा पंचायत समिति गोविन्दगढ़ का दिनांक 16-2-59 को नं० 1104 एल पर पजीयन इस समिति में 59 सदस्य है कार्यकारिणी का चुनाव दिनांक 17-2-69 को हुआ उस में निम्न सदस्य चुने गये :—

(1) श्री रामेश्वर पुत्र नाथूलाल — अध्यक्ष

(2) ,, रामेश्वलाल पुत्र नारायण लाल — मंत्री

(3) ,, गणपत पुत्र रामदेव — कोषाध्यक्ष

(4) ,, जवाहरलाल पुत्र नन्दा — सदस्य

(5) ,, मूंगालाल भूंबालाल — ,,

(6) ,, नन्दाराम पुत्र धन्ना — ,,

(7) ,, जगदीश पुत्र रामदेव — ,,

(2) जी नहीं।

(3) इस समिति को अब तक निम्न प्रकार ऋण मिला :—

क्र० सं०	ऋण देने की तारीख		जिस कार्य के लिए ऋण मिला
1.	27-3-59	14000)	अल्प कालीन कृषि
2.	24-6-59	7000)	,, ,,

(4) इस सारे ऋण की वसूली दिनांक 29-12-67 को पूर्ण की गई। अब कोई ऋण शेष नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(6) इस समिति को निम्न प्रकार अभी तक जिस जिस कार्य के लिये जितना जितना अनुदान दिया गया है :—

क्र. सं.	अनुदान की रकम	अनुदान देने की तारीख	जिस काम हेतु दिया गया
1.	150)	वर्ष 59-60	व्यवस्थापक हेतु
2.	200)	वर्ष 60-61	,,
3.	200)	वर्ष 61-62	,,
4.	100)	वर्ष 62-63	,,

(सहकारी मंत्री)

यह अनुदान इसी कार्य में खर्च किया गया। जिसके लिये स्वीकृत किया गया है।

(7) यह सही है कि समिति को कन्ट्रोल के गेहूं, चीनी वितरण के लिये दी गई है लेकिन यह सही नहीं है कि सही वितरण नहीं किया गया और सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रमाण-पत्र पेश किया। इस समिति ने वर्ष 1963में चीनी 3637.72 पैसे की व गेहूं 1627.75 पैसे का वितरण किया।

(8) समिति का निम्न प्रकार ऑडिट हुआ ?

क्र. सं.	ऑडिट होने की तारीख	जिस वर्ष का आडिट हुआ
1.	5-8-59 से 6-8-59	1958-59
2.	19,20-5-62	1959-60
3.	4,5-6-62	1960-61
4.	29,30-6-63	1961-62-62-63
5.	9,10-5-65	1963-64
6.	30,31-1-66	1964-65
7.	25,26-3-68	1965-66,66-67
8.	ऑडिट नहीं हुआ	1967-68

आॅडिट रिपोर्ट सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

अधूरे स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 68-69 में शिक्षा विभाग द्वारा अधूरे स्कूल भवनों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कितनी और चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी तथा किस किस स्कूल के लिए कितनी कितनी दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 68-69 में इस कार्य हेतु आय-व्यय आयोजना मद में कोई प्रावधान नहीं है।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

84. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाने की व्यवस्था है? तथा इसके साथ साथ कक्षा 5 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें भी सरकार की ओर से देने की व्यवस्था है ?

(2) किस किस जिले में निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं और कहां कहां नहीं ?

उत्तर

(1) जी हाँ राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाने की

(शिक्षा मंत्री)

व्यवस्था हैं। कक्षा 5 तक के निर्धन छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी दी जाती हैं।

(2) सभी जिलों में निर्धन छात्रों को राजकीय एवं मान्यताप्राप्त विद्यालयों में निशुल्क पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसी कोई शिकायत की पुस्तक न दी गई हों प्राप्त नहीं हुई है।

राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला बूंदी का भवन

85. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) बूंदी की राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला का भवन किसका बनाया हुआ है? यह कब बना था और इसकी लागत क्या लगी थी?

(2) क्या यह सत्य है कि यह भूतपूर्व बूंदी राज्य का बनाया हुआ नहीं है? सन् 1947 में जब राजस्थान सरकार के आधीन यह स्कूल आया उस वक्त इसके मुख्य द्वार पर किसका नाम अंकित था?

(3) एकीकरण के पूर्व इस स्कूल का नाम क्या था और किन कारणों से सरकार ने इसका रेकार्ड में नाम तब्दील किया?

उत्तर

(1) यह शाला भवन श्रीमती महारानी साहिबा बाघेलीजी बूंदी द्वारा सन् 1943 में बनवाया था। लागत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(2) वास्तव में शाला भवन का मुख्य ब्लाक जो मुख्य दरवाजे के ठीक सामने है वह श्रीमती महारानी साहिबा बाघेलीजी द्वारा सन् 1943 में बनवाया गया था जैसा कि भवन में लगे हुए नींव के पत्थर से विदित होता है जब यह भवन राजस्थान सरकार के आधीन आया तो इसके मुख्य द्वार पर महारानी कन्या उच्च शाला अंकित था।

(3) एकीकरण से पूर्व इस शाला का नाम महारानी कन्या उच्च शाला था व शिक्षा विभाग राजस्थान के गजट पत्र संख्या डीडीई ।5।जी।वाई।डी।हिन्दी।वर्क।1।61।13 दिनांक 22-2-62 के आधार पर इस शाला का नाम महारानी कन्या उच्च शाला से बदल कर राजकीय कन्या उच्च शाला कर दिया गया। परन्तु बाद में अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश अनुसार इस शाला का नाम पुनः राजकीय महारानी कन्या उच्च विद्यालय कर दिया गया है।

नगरपालिकाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं

86. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार नगरपालिकाओं द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं को राजस्थान शिक्षा विभाग को सौंपने का विचार कर रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(2) इन अध्यापकों को वेतन कौनसी वेतन श्रृंखला में किस तारीख से दिया जायेगा?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) नगर पालिकाओं द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में न लेने का निर्णय किया है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राज्य की सूची में सम्मिलित भित्ति चित्रादि

87. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुरातत्व की दृष्टि से कितने भित्ती चित्रों के तथा स्थापत्य के स्थान राज्य की सूची में सम्मिलित किये जा चुके हैं ?

(2) उनमें से कितने संरक्षण में आ चुके हैं ?

(3) कृपया इन दोनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लगभग पांच सौ।

(2) लगभग दो सौ।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक

88. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय राज्य में किन किन एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूलों में कितने कितने अध्यापक ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

(2) राज्य में कितने एस० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की आवश्यकता है और आवश्यकताओं को देखते हुए यह केन्द्र कब तक चलाये जायेंगे ?

(3) ऐसे कुल कितने एस० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापक हैं जिनको अब तक सेवाओं में नहीं लिया गया है और क्यों ?

(1) सूची संलग्न है।

(2) सन् 1966-67 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 9000 मैट्रिक पास अध्यापक अप्रशिक्षित थे जिनमें यह अनुमान है कि 68-69 के अन्त में लगभग 7000 अध्यापक अप्रशिक्षित रह जावेंगे जिनको प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 5000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है। 1 प्रतिशत रिप्लेसमेन्ट रेट (Replacement rate) से लगभग 3500 अध्यापकों की आगामी पांच वर्ष में रिटायरमेंट के कारण और आवश्यकता होगी। इस प्रकार मोटेरूप से आगामी पांच वर्षों में 15500 अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 120 की इन्टेक ( ) से लगभग 26 संस्थाए प्रर्याप्त होनी चाहिए।

(3) विभाग के पास ऐसे आंकड़े नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

कोटा राज्य के महकमा बन्धान द्वारा बनाये गये बन्धे

89. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी उत्तर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्वाइल एवं वाटर कन्जरवेशन बोर्ड की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय महकमा बन्धान नाम का विभाग चलाया जाता था जिसके तहत भूमि का कटाव रोकने व पानी का सदुपयोग किये जाने की व्यवस्था थी ?

(3) कोटा राज्य के महकमा बन्धान द्वारा किन किन स्थानों पर कितने बंधे बनवाये गये थे और अधिकतर किन किन तहसीलों में ?

(4) उक्त बन्धों की मरम्मत व हिफाजत की सरकार द्वारा पिछले 20 सालों में क्या व्यवस्था की गई है व आगे क्या योजना है ?

(1) भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना दिसम्बर, 1966 में की गई थी। इसके निम्न उद्देश्य थे:—

1. राज्य में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए नीति निर्धारित करना।

2. भूमि एवं जल संरक्षण से संबंध रखने वाले मामलों के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना।

3. योजनाओं के अन्तर्गत कार्य का समन्वय करने तथा तत्सम्बन्धी कठिनाईयों के निराकरण के लिए मार्ग और उपाय निकालना।

4. राज्य या उसके किसी भाग के लिए भूमि एवं जल संरक्षण पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

5. योजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति की जांच करना।

6. ऐसे अन्य कार्य करना जो राजस्थान भू एवं जल संरक्षण अधिनियम 1964 द्वारा या इसके अन्तर्गत निर्दिष्ट किए जाये।

(2) जी हां।

(3) सूची संलग्न है।

(4) क्योंकि उक्त भू-संरक्षण बोर्ड का कार्य सन् 66 से ही प्रारम्भ किया गया अत: सन् 66 से पूर्व की स्थिति का ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं उठता। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 25,000) रुपये का प्रावधान बन्धों की मरम्मत हेतु रखा है व कार्य शुरू किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

मकराना की खानें

90. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मकराने में गोचर भूमि में व तालाब की भूमि में व आम रास्तों में खानें दी गई हैं ? अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

लघु-उद्योग निगम और होटल निगम के एकीकरण के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट

91. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान लघु उद्योग निगम और होटल निगम को मिलाकर एक करने के सम्बन्ध में कोई कमेटी श्री बालकृष्ण कौल की अध्यक्षता में गठित की थी ? यदि हां, तो कब और उक्त कमेटी ने राज्य सरकार को कब और क्या रिपोर्ट दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कमेटी पर कुल कितना खर्चा किस मद से हुवा।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लघु-उद्योग निगम और होटल निगम को मिलाकर एक नयें निगम के संस्थापन सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन, श्री बालकृष्ण कौल की अध्यक्षता में सन् 1968 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 30 जून, 1968 को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है, अतः रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) स्टाफ, स्टेशनरी व कन्वीयेन्स पर करीब 6,585) रु० खर्च हुआ है। कुछ अन्य बिल जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

तहसीलदार हिन्डोली द्वारा मकानों के तोड़ने के आदेश

92. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार हिन्डोली द्वारा बहुत पुराने मकानों की जमीन के पट्टे तलब किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा ता. 3-2-67 को इस प्रकार के नोटिस जारी किये गये हैं ?

(3) यह नोटिस कौन-कौन से गांवों के लोगों के नाम से जारी किये गये हैं ?

(4) वर्षों के बने मकानों को तुड़ाने के ये आदेश तहसीलदार हिन्डोली ने किन कारणों से दिये हैं ?

1. जी नहीं। केवल उन्हीं मकानों के पट्टे तलब किये गये हैं, जिनका निर्माण कोटा, बूंदी, मेवली रोड के किनारे की 100 गज की परिधि में सरकारी भूमि पर कुछ सालों पहले ही अवैधानिकतौर पर किया गया है अथवा किया जा रहा हैं।

2. जी हां, जिन व्यक्तियों ने राजकीय राजपथ के किनारे 100 गज के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैधानिकतौर पर मकान तथा दुकानों का निर्माण किया है उन्हीं के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधि-नियम के अन्तर्गत कार्यवाही के नोटिस दिये गये हैं।

3. सूची संलग्न है।

4. कारण प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में अंकित किये जा चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

ग्राम सांवतगढ़ व कोठी के बीड़ की भूमि का आवंटन

93. केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील हिन्डोली के ग्राम सांवतगढ व कोठी के बीड़ का आवन्टन 67 के चुनाव से पूर्व तहसीलदार, हिन्डोली ने कराया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि आवन्टन की फाइलें अभी तक भी तहसील से नहीं लौटी हैं और काश्तकारान को कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार अब काश्तकारों को शीघ्र ही कब्जा दिलाने का विचार रखती है और जिनके कारण कब्जा अब तक नहीं दिया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. तहसील हिन्डोली के ग्राम सांवतगढ़ व कोठी के बीड़ का आवंटन 1967 के चुनाव के पूर्व अक्टूबर, 66 में पराना अधिकारी नैनवां द्वारा किया गया था।

2. आवंटन की फाईलें पराना अधिकारी, नैनवा (आवंटन-अधिकारी) ने तहसील को लौटा दी है और सम्बन्धित काश्तकारों को तहसील द्वारा कब्जा भी दिया जा चुका है।

3. प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(12.15 म.प.)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं जो इस प्रकार है :—

पहले स्थगन प्रस्ताव का संबंध जयपुर नगर में रात्रि के 11 बजे तक समस्त दुकानें, होटलें, रिक्रिएशन आदि बन्द कर देने तथा 11 बजे के बाद नागरिकों के आवागमन पर रोक लगाए जाने से संबंधित जिला अधीक्षक आरक्षी के आदेश से उत्पन्न स्थिति से है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव का संबंध श्री अनुसूया प्रसाद थपलियाल, नगर संवाददाता "दैनिक" नवज्योति से है जिनको नवज्योति के संचालकों द्वारा बेरी आयोग के समक्ष जयपुर की मार्च, 1967 की घटनाओं के संबंध में "दैनिक नवज्योति" में प्रकाशित समाचारों की पुष्टि में आयोग द्वारा बुलाए जाने पर गवाही देने के कारण दिनांक 17-12-1968 से सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तथा इस मामले को श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को सुपुर्द करने में इन्कार कर दिया जाना भी बतलाया गया है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं सदन के माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

Page No.39

(श्री अध्यक्ष)

इनके अतिरिक्त निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु पेंडिंग रखा गया था। ये प्रस्ताव इस प्रकार है :—

(1) ग्राम भुनास, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा के हरिजनों की पानी पीने की कुई को सवर्णों द्वारा भर देने से हरिजनों के लिए पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री दौलतराम सारण व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव।

इस कुई को हरिजनों की रिपोर्ट पर कलेक्टर द्वारा खुदवा दिया गया है और हरिजनों को दूसरे सार्वजनिक कुएं से भी पानी भरने देने में किसी को उज्र नहीं है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि धौलपुर उप-जिला क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में पुलिस थाने के थानेदार द्वारा एक महिला को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से गिरफ्तार करके अपने मकान में रखकर उसके साथ बलात्कार करने के कारण उक्त महिला द्वारा आत्म-हत्या कर ली गई है। इस मामले में एस० डी० एम० धौलपुर द्वारा मजिस्टेरियल एन्क्वायरी चालू कर दी गई है।

(3) श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने जोधपुर डिविजन के अकाल राहत कार्य के संबंध में नियुक्त अधिशासी अभियन्ता, बी० एण्ड आर०, जोधपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस विषय में माननीय सदस्य कल बजट पर हुई बहस के दौरान अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इन स्थगन प्रस्तावों के अलावा निम्नांकित चार स्थगन प्रस्तावों की ओर सूचनाएं प्राप्त हुई है :—

(1) हरजीराम बुड़क, सदस्य, विधान सभा, ने अपने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना में यह कहा है कि डीडवाना से नीमोद बिजली की लाइन 10 मार्च, 1969 से खराब पड़ी है जिसके कारण सैंकड़ों कृषि कुएं बन्द हैं तथा खड़ी फसल बिना पानी से सूख रही है।

(2) श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें उन्होंने यह बतलाया है कि बीकानेर जिले के ग्राम सूरपुरा में पशुओं के लिए घास डिपो बन्द कर देने से 50 पशुओं की भूख से मृत्यु हो गई हैं तथा जिले भर में घास समय पर नहीं पहुचने से सैंकड़ों पशु मर गए है।

(3) श्री आईदान सिंह, श्री दुर्गालाल बाढ़दार व श्री पृथ्वीसिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने भीनमाल में पीने के पानी की अव्यवस्था के फलस्वरूप जनता में असंतोष के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री देवीलाल बुरासिया, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा है कि सन् 1956 में अजमेर स्टेट के विलीनीकरण के समय केकड़ी नगर की जितनी शामलात की जमीन थी वह बिना नाम रह गई और अब अतिरिक्त तहसीलदार, केकड़ी द्वारा शामलात जमीनों से आसामियों को बेदखल किया जा रहा है जिससे जनता में असंतोष फैल रहा है।

उपरोक्त चारों स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। इसके अलावा इस मामलों को बजट तथा अनुदानों की मांगों पर बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र माननीय अध्यक्ष, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव के लिए…

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, रात के 11 बजे के पश्चात् जयपुर नगर में नागरिकों के आवागमन पर करफ्यू टाइम का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कोई आदमी 11 बजे के बाद नहीं निकल सकता है, कोई दुकान नहीं खोल सकता है। केवल एक आदमी का प्रश्न नहीं है अगर 11 बजे मुख्य मंत्रीजी जयपुर शहर में जायं तो उनको पता चलेगा कि नागरिकों के आवागमन पर किस प्रकार की पाबन्दी लगी हुई है। कोई रिक्शा मिलता नहीं, कोई टेम्पू मिलता नहीं, कोई चाय मिलती नहीं और कोई 11 बजे के बाद जयपुर शहर में आजाय तो उसको खाने को मिलता नहीं।

श्री आईदानसिंह : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के बारें में सूचना दी है उसके संबंध में मुझे सूचना मिली है कि वहां पर एजीटेशन हो सकता है और उसके बारे में समाचार पत्रों में भी समाचार आये हैं कि जालोर में काफी कुओं में पानी कम हो गया है और उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया जा रहा है। कुए सूख गये है इसके लिए राज्य सरकार को ‥

श्री अध्यक्ष : फैमिन मिनिस्टर को संकेत करूंगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं एक जानकारी चाहता हूं कि 26 तारीख को मैंने लिखकर दिया था एक एक्सीडेन्ट के बारे में ‥

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी का प्रश्न सदन का नहीं है, यह निजी है।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या एक 28 (3) उद्योग (क) 66 दिनांक 22 दिसम्बर 1966 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान लघुस्तर के उद्योग को (बिजली के सम्बन्ध में) आर्थिक सहायता देकर उद्योगों के नियम, 1966 जारी किये गये है।

अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री बालसिंह सोढ़ा(जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर जिले में लगातार अकाल से व सरकार द्वारा समय पर व्यवस्था न करने से, जो पशुधन व जन मानस को पहुंची क्षति की पूर्ति एवं पुनर्वास की व्यवस्था से सम्बन्धित दो हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, मैं देसूरी जिला पाली की पानी एवं नारू की समस्या हल करने हेतु जल प्रदाय योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में 4 याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो एजेण्डे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव थे उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य प्रो० केदार से बातचीत हो चुकी है। उसके बाद में, उसको मैंने 18-3-69 को लेने की अनुमति दी है।

वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व समय के बारे में ·······

श्री भैरोंसिंह : यह समय की जोड़ बाकी बाद में लगा लेते।

श्री अध्यक्ष: इसमें हमें सहायता मिलेगी।

8 घण्टे कांग्रेस के थे। स्वतन्त्र पार्टी के 4 घण्टे। एक घण्टा अवशेष है। जनसंघ के ढाई घण्टे थे। अब 1 घण्टा 50 मिनट व्यय हो चुके हैं। 40 मिनट जनसंघ के अवशेष हैं एस० के० डी० 1 घण्टा, संसोपा के 6 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। इन्डिपैन्डेंट का समय है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल सब बाकी है।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा, 2 बजे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बोलेंगे। उनका समय निश्चित कर दिया है।

अब अग्रेतर वाद-विवाद प्रारम्भ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं बोलूं साहब ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे हुक्म दिया है ?

श्री अध्यक्ष : संघर्ष हो रहा है, विश्नोईजी में और डागाजी में। आप दोनों ही दोस्त हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप दोनों को बिठा दीजिए और मुझे इजाजत बख्श दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

Scanned by CamScanner

Page No.42

आयव्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में दो सिक्के रखे हैं वित्त मन्त्रीजी ने। उन्होंने कोशिश की है, राजस्थान में दो सिक्के बजट में रखे हैं। उनकी कितनी अच्छाई है। कितने खरे हैं उनको जानने की कोशिश की है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं वह बजट में नहीं है। बजट सिद्धान्तों को लेकर चलता है। वह सिक्के देश की हालत और देश का मूलाधार है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि सड़क पर खड़े होकर जो देश की तरक्की के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, उसकी रोक को हटाने की वित्तमन्त्री ने कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या हम यह चाहते हैं कि जहां वित्त मन्त्री ने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया है, वहां उन्होंने एक बात का ध्यान दिया या नहीं। देश के अन्दर जनता में अपनी तनख्वाह के बारे में, जन सेवकों के बारे में जहां तनख्वाहों के बाबत बहुत कुछ किया है। मैं एक बात कहता हूं कि देश में दौलत बढ़ती है, सबसे बड़ी दौलत-पूंजी का बढ़ावा नहीं, लेकिन मानव की जो प्रेरणा है, उसको उत्पन्न करना सबसे बड़ी दौलत का बढ़ावा है। किसी देश की कीमत वहां की इमारतों और खेतों से नहीं की जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के खेतिहर युवक हैं, जो बेकार बैठे हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं। वह भी दौलत है या नहीं? उसके अन्दर जो प्रेरणा है, जो साधन हैं, वह सबसे बड़ी दौलत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रेरणा को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की है। हम लोगों ने खेतों की उपज को गिना है। लेकिन जो खास बीज है; हमने मानव मानव में एकता पैदा की है? राजस्थान का मजदूर जो यह महसूस करता है कि राजस्थान विकास के मार्ग पर चल रहा है। हमारे विरोधी भाई यह कहते हैं कि उन्होंने टैक्स लगा दिया है। टैक्स लगा दिया है। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं कि हर टैक्स की नई बात को लेकर कितने आदमी हैं जो राजस्थान में आज बेकार हो रहे हैं। युवक हैं, जो उनकी स्थिति है। उनमें प्रेरणा का बल है या नहीं? पंचायत समितियों के अन्दर विकेन्द्रीकरण के कारण हमारे गावों में रहने वाले युवक और शहरों में रहने वाले युवक भाइयों में यह प्रेरणा नहीं हुई है। वह आगे नहीं बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कारण प्रेरणा का है। आज हमें यह कहना पड़ता है, जहां पर यह कहना पड़ता है, जो काम वित्तमन्त्रीजी ने लिये हैं वह सोच समझ कर लिये होंगे। जहां हमारे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। उनके लिए जो सभी काम करते हैं, विभागों के रूप में कितनी धनराशि बढ़ाई गई है। मैं समझता हूं कि ये शब्द काम में आते हैं। आज हम देखते हैं, उन्होंने कहा है, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बार बार बढ़ाने की समस्या मुंह बाये खड़ी

(12.17 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रहती है। और राजस्थान के खजाने पर इसका जो भार पड़ता है। कितनी योजनाओं में हमें गति मिली है उन कामों में वह कह सकते हैं। मैं, राजस्थान में उनकी जो फौज है उनसे यह पूछा जाये, यह पहली, दूसरी और तीसरी जो योजनाएं हैं, यह जो आपका

(श्री मूलचन्द डागा)

शासन है उन्होंने यह प्रेरणा फूंकी है या नहीं यह हम को देना पड़ता है। अनिवार्यरूप में देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि आप की दौलत और बढ़े। अभी कर्मचारियों को कितनी दौलत देते हैं। हम उसको भार नहीं समझते हैं। उन्होंने आखिर में लिखा है। यह बात बताई है उन्होंने कि राजस्थान में 1969-70 में राजस्व खाते में होने वाले व्यय 134 और 157 करोड़ है। यह भी योजना है यह। जन सेवक और जनता के प्रहरी हैं। मैं कहता हूं कि लाखों का खर्च होता है। इनके चाहे बंगले तिलक नगर में हों, चाहे गांधी नगर में, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यह लोग चाहें मोटर में घूमें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान में रहने वाले किसान और मजदूर हैं उनकी गरिमा और गौरव बढ़ा है या नहीं ? लोकतन्त्र में व्यक्ति की गरिमा बढ़नी चाहिये। मैं चाहता हूं कि राजतन्त्र में रहने वाले जो लोग हैं, शासन में जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक हुकूमत कायम हुई है, उसका इनके जरिये काम चलता है, मैं कहता हूं इनके लिए जिस शब्द का उपयोग किया है वह शब्द हटेगा तब हम सोचें कि उन्होंने राजस्थान के किसान और मजदूरों की गरिमा को बढ़ाया है या नहीं। आज हमारे पंच, सरपंचों का सम्मान तहसील में होता नहीं है। हमारे कलेक्टर के द्वारा प्रधानों का सम्मान और शोभा बढ़ाई नहीं जाती है। यह प्रश्न है, वैसे हमें इस शब्द का उपयोग न करने का निर्णय लेने में दिक्कत नहीं है। वैसे मैं मानता हूं कि वित्तमंत्री का 'भार' शब्द इन कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर एक प्रहार है। लोकतन्त्र का जो मंदिर है, उसके यह पुजारी हैं लेकिन इनके द्वारा पूजा की सामग्री लूट ली जाती है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का एक ही काम है कि व्यक्ति की गरिमा बढ़े, इन्सान ऊंचा उठे। लेकिन आज लाखों की फौज बढ़ाने के बाद भी आज जो तहसील में कार्यालय हैं, जिलों में कार्यालय हैं और उनमें जो जन सेवक बैठे हैं, जो जन प्रहरी बैठे हैं, जिनके लिए करोड़ों की राशि खर्च की जाती है, उनके द्वारा आज हमारा विकास हो पाता है या नहीं ? मेरा विचार विकास के मामले में साफ है। मैं कल कारखानों में होने वाले विकास को विकास नहीं मानता। खेती के अन्दर जो विकास हो रहा है उसको विकास नहीं मानता। मैं इन्डस्ट्री के क्षेत्र में होने वाले विकास को विकास नहीं मानता। मानता हूं कि मनुष्य में चेतना उत्पन्न होने से जो कार्य करने की शक्ति और कुशलता में वृद्धि होती है, उसके अन्दर काम करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है तो वह कहीं पर भी बैठा हुआ देश को आगे बढ़ा सकता है। देश को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का साधन बिजली, कृषि और उद्योग नहीं है बल्कि इन्सान है। इसलिए इस लोकतन्त्र में इन्सान की गरिमा बढ़नी चाहिये। इस बात के लिए जो राज्य कर्मचारी हैं वह प्रयत्नशील नहीं हैं। वह तो अनिर्णय के प्रहरी हैं और इनडिसिसिव हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में कानून के बारे में कई दफा हिदायत निकाली है। अनेक बातों के संबंध में जो हिदायतें निकाली हैं, उनकी एक

(श्री मूलचन्द डागा)

किताब छपी हुई है जिसमें मैं समझता हूं कि आपने करीब बाइस बार हिदायतें निकाली हैं, नाजायज कब्जा और भूमि सुधार को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में।

आज जो भूमि सुधार का मुद्दा है, मेरे ख़याल में इस सदन के अन्दर और जगह जगह पर प्रश्न पदा होते हैं कि हजारों बीघा ज़मीन गलत ढ़ंग से एलॉट की गई है। आज पाली तहसील के लिए मैं कह सकता हूं कि गलत आदमियों को जमीन एलॉट हुई है, आवंटित कर दी गई है, अगर उनसे पैसा लिया जाता है तो बजट बनाते समय जो आपके सामने एक समस्या पैदा होती है, जो देश के सामने आज आमदनी बढ़ाने का सवाल है, मैं समझता हूं वह पैदा नहीं होती। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी हिदायत थी कि आप पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, आप तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, और आप एस० डी०ओ० के खिलाफ ऐक्शन लेंगे गलत एलॉटमेंट के सम्बन्ध में। आपने जो हमें बजट के आंकड़े बताये हैं हम इन आंकड़ों के भूखे नहीं हैं। हम एक बात जानना चाहते हैं कि आपने इस सम्बन्ध में अब तक कितने पटवारियों को सस्पेन्ड किया है, नीचे के कितने अधिकारियों को नौकरी से हटाया है ? आपने कितनी गबन की रकम की वसूली की है ? आपने कितनी चोरी को रोका है ? हम वास्तव में यह आंकड़े चाहते हैं। जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जिनकी लाखों की फौज है, जिनके ऊपर मंत्रियों की कृपा रहती है और मंत्री महोदय उनके कार्यों की सराहना करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके कार्यों की सराहना की जाय लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय जब उनके कार्यों की सराहना करते हैं तो क्या कभी उनका गुस्सा और उनकी गर्मी किसी ऑफिसर पर भी उतरती है ? यह एक सोचने का विषय है। हम पूरी योजना के मामले में करोड़ों रुपया देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि और रुपया दिया जाय जिससे हमारे यहां काफी लोग इन्जीनियर बने, डॉक्टर बने और देश को आगे बढ़ायें। लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता की गरिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कितना सहयोग दिया है ? हम यह जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि रिकवर की गई है जो गबन में चली गई थी ? चोरी करने वाले कितने व्यक्तियों को हटाया है ? और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है ऐसे कितने पटवारियों के खिलाफ आपने ऐक्शन लिया है ? भूमि सुधार के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो भूमि आवंटन से आप रकम वसूल कर सकते हैं। पाली तहसील में पिछले पांच साल में कृषि की भूमि आबादी भूमि के रूप में पर्सनली तहसीलदार ने अपनी कलम से दे दी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हजारों बीघा जमीन इस तरह एलॉट हुई है। राजस्थान का कृषि-कानून और भूमि सुधार एक क्रांतिकारी कानून है, इस कानून ने क्रांति को देश में जन्म दिया है। लेकिन उसको सहीरूप से कार्यान्वित करने में कितना ऐक्शन हुआ है ? राजस्थान में भू-राजस्व विभाग ने हजारों सैकड़ों ऑर्डर

(श्री मूलचन्द डागा)

निकाले हैं लेकिन एक भी ऑर्डर की अनुपालना नहीं हुई है। आपने कहा कि हम क्लेक्टर तक को नौकरी से निलम्बित करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भूमि आवंटन का संबंध है, बस्ती निर्माण के लिए नगरपालिका और पंचायतों को भूमि का आवंटन किया, जिन पंचायतों तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके देश के अन्दर जागृति पैदा की, वहां कृषि के लिए योजनायें बनाई गईं। लेकिन, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अनिर्णय के प्रहरी हैं, जिनसे कि हम यह चाहते हैं कि उनका सहयोग हो, और आपके और हमारे सहयोग से देश आगे बढ़े।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में खेतिहर मजदूर है, जो काश्तकार हैं, जो काश्त करना चाहते हैं, उनके अलावा जो बेकारी की समस्या है, जो बेकारी से ग्रस्त युवक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कालेज से निकल कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं— उनकी जो समस्या है इसका आपको निराकरण करना होगा। उनका समाधान जमीन से हो सकता है। आखिर आज राजनैतिक क्षेत्र में जो नये नये चित्र उभर रहे हैं, जो नये नये प्रश्न सामने आ रहे हैं-उनका क्या समाधान हैं? क्या हम देश के विकास के नाम पर भूखे लोग इकट्ठे करना चाहते हैं? मैं विरोधी दल के भाइयों की इस बात से निराश हूं, और जैसा वह विरोध करते हैं मैं उनके खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि मजदूर और खेतों में काम करने वाले किसान हैं, वह यह अहसास करें कि देश के विकास में उनका सहयोग है। अगर किसान और मजदूर यह समझता है कि देश में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें उनका भी सहयोग है तो देश तरक्की कर सकता है। आज यह अभिमान और स्वाभिमान गिर चुका है। किसान आपको कर देता है तो वह इसके साथ ही इन्साफ भी चाहता है। इसलिये मैंने जो भूमि सुधार के बारे में सबसे बड़ी बात बताई उसका निराकरण करके जो गलत और दोषी व्यक्ति हैं उनको आप दण्ड दीजिये। मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा सुधार होगा।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो पांचवां वित्त आयोग बैठा जिसका गठन महावीर त्यागी की अध्यक्षता में हुआ। उन महावीर त्यागी ने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं दी है लेकिन उन्होंने जो अन्तरिम सुझाव दिये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह अन्तरिम रिपोर्ट हमारे उप-प्रधान मंत्री श्री देसाई द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी जिसमें इंगित किया है:

(1) राज्यों द्वारा अपने अधिकार से अधिक रुपया रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों द्वारा निकालने की प्रथा बहुत अशुद्ध एवं अनुचित है। यह निन्दनीय है, इस पर अंकुश लगाये जाने चाहिएं।

(2) दूसरा सुझाव दिया, राज्यों को स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए तथा उन्हें अपने साधनों के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। इन्हें घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं अपनानी चाहिए।

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) तीसरा सुझाव था योजनायें राज्यों को अपने आंतरिक साधनों एवं केन्द्रीय सहायता के अनुकूल ही बताना चाहिए। रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेकर खर्च नहीं करना चाहिए।

(4) और चौथा है, राज्यों को अनुत्पादक व्यय में कटौती एवं प्रशासनिक व्यय में कमी कर अपने बजट को संतुलित करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि बजट के अन्दर आप उन आंकड़ों को रखें। आप बतायें कि आपने कितनी जीप कम कर दी है, कितना खर्च कम कर दिया है ? हम इन आंकड़ों को देखना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि ऑक्ट्राय के बारे में अच्छा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा कदम जो चाहते हैं वह भूमि सुधार के सम्बन्ध में है, जो कि मूलाधार है, और इस कानून के मामले में मैं यह सुझाव देना चाहता था कि हम लोग इस बेकारी से, बेरोजगारी से किसानों को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को एक बात माननी होगी कि जो कृषक आज पीछे की पंक्ति में हैं, जो लोग आज समाज की पंक्ति में पीछे हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, यह हमें देखना होगा, उन लोगों को बेकारी और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिये हम यह चाहते हैं कि उन लोगों के लिये हमें कुछ न कुछ साधन जुटाने होंगे। इसके लिये आपको आधार निकालना होगा, काम करने वालों के आधार पर इस समस्या को सुलझाना होगा, इसका यह आधार निकालना होगा कि जो लोग वकील हैं, एम० एल० ए० हैं, डॉक्टर हैं, दूसरे सरकारी अधिकारी हैं जो एक जगह काम करते आये हैं और खेती से भी अपनी रोटी कमाना चाहते हैं, जो खेतिहर मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं, जो उनसे जमीन छीन कर अपनी अतिरिक्त रोटी कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जमीन छीन कर आने वाली पीढ़ी के खेतिहर और बेकार खेतिहर मजदूरों को वह जमीन दे देनी चाहिये। बेकारी और बेरोजगारी को मिटाना समाजवाद का मूल साधन है, मूल लक्ष्य है और वह साधन भौतिक और आर्थिक साधनों का समान बंटवारा करना है, इन भौतिक और आर्थिक साधनों का सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बंटवारा हो, इसी को लोकतन्त्र कहते हैं, इसी को समाजवाद कहते हैं। जो अपनी दूसरी कमाई खेती से करना चाहते हैं, उनसे जमीनें लेकर इन बेकार खेतिहर मजदूरों को देनी होगी। इसके लिये इस सिद्धान्त को मानना होगा कि जो बोए उस ही की जमीन।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो रहे उसी का मकान।

श्री मूलचन्द डागा : आज देश में मानव की संख्या बढ़ रही है, उसकी बेकारी को मिटाने का यह एक उपाय है……

श्री मनोहरसिंह मेहता : साथ ही यह जोड़ दो कि जो रहें, उस ही का मकान क्योंकि बहुत से लोग किरायेदार रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पर हम लोग उन लोगों को जमीनें नहीं देना चाहते जिनके पास साधन कमाई के हैं। तो सवाल पैदा होता है कि हमें इस प्रकार का तरीका राजस्थान में अख्तियार करना चाहिये।

खेतिहर मजदूरों की समस्या बिहार में 74.3 है, मध्य प्रदेश में 82.3 है, पंजाब में 73.2 है, उत्तर प्रदेश में 78.3 है और राजस्थान में 89.2 है। तो हमें इस समस्या को देखना होगा और हल करना होगा। जो गांवों में साधन हैं खेती के उनमें प्रेरणा देनी होगी। इसके लिये पंचायतों का, पंचायत समितियों का निर्माण हुआ था, उसके पीछे एक भावना थी कि लोकतन्त्र में व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

एक दफा मुख्य मंत्री ने कहा था कि कलेक्टर लोग अपना दरबार लगायेंगे और उसमें गांवों के लोगों की समस्याओं का सप्ताह में एक दिन निराकरण करेंगे। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जो सरकारी अधिकारियों से हमें आशा है, आसमान की ओर काश्तकार देखता है, आसमान की कृपा पर कृषक की खेती लहलहाती है, जैसे आसमान की कृपा पर किसानों की खेती पनपती है, इसी प्रकार इन अधिकारियों की कृपा से शासन सुन्दर बनता है, ये बादल हैं, जैसे बादल से खेती पनपती जाती है उसी प्रकार अगर सरकारी अधिकारी प्रेम और सम्मान की भावना रखकर काम करने वाले लोगों के साथ, जिनके यहां से गैरयोजना में पैसा आता है, उनमें स्वाभिमान को ऊंचा बढ़ाने का काम करें तो मैं समझता हूं कि देश आगे की ओर बढ़ेगा। मै समझता हूं राजस्थान के बने हुए कानून, विकासशील देश में कर लगाने के कानून हैं, उसमें मजदूर भी अपना सहयोग दे कर गौरव प्राप्त करना चाहता है, इस ओर आपको एक कदम उठाना होगा। उनमें स्वाभिमान जागृत करना होगा। जितने पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर हैं, उनमें मजदूरों को भागीदार बनाना होगा। नये जमाने में नया कदम उठाना होगा। वित्त मंत्रीजी कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हम पर आरोप लागायेगी कि हमने जमाने की चुनौती का मुकाबला नहीं किया। मुकाबले से पहले एक चुनौती देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को बेरोजगार, बेकार रखना चाहते हैं तो लोकतन्त्र के 18 साल के इतिहास के पन्ने उलटने होंगे, आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको इन लोगों को आगे बढ़ाना है, नये तरीके से उन्हें अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो किसान अपनी मेहनत का हिस्सा अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहता है, वह अपना हिस्सा देने को तैयार है उसको यह महसूस कराना है कि देश के निर्माण में हमारा भी हाथ है, मजदूर भी इस चीज को महसूस करते हैं कि देश के निर्माण में हमारा हाथ हो।

तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का बढ़ता हुआ स्वाभिमान, उनका बढ़ता हुआ मनोबल आज देश के निर्माण के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा देने को तैयार हैं, किसान इसके लिए आगे आने लगे हैं, वे लोकतन्त्र में हिस्सा देने लगे हैं, उनके सम्बन्ध में क्या आप यह चाहते हैं कि उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

पटवारी की मेहरबानी पर छोड़ दें ? आप भूमि सुधारों में- भूमि आंवटन में, सिंचाई के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, पर जहां किसान पटवारी का मोहताज है, जिसका दिमाग अभी पलटा नहीं है, जिसका दिमाग पलटने में अभी समय लगेगा , इस मामले में हम चाहते हैं कि आप उन किसानों को पटवारियों की मेहरबानी पर मत छोड़ियेगा।

जो आज आपको सबसे बड़ा काम करना है वह है करों की चोरी करने वालों को सजा देना। आप बजट में बतायें कि जिन्होंने करों की चोरी की है, उनकी काली मूर्तियां खड़ीं की जायं जो लोग करों की चोरी करते हैं, देश में करोड़ों, अरबों की सम्पत्ति की करों की चोरी करते हैं, उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या उनको लक्ष्मणसिंह गिल की तरह गिरफ्तार किया जाय ?

श्री मूलचन्द डागा : जिस तरह आप कहते हैं कि भयंकर अकाल है तो यह करों की चोरी भी भयंकर अपराध है।

किसानों के टैक्स पर वृद्धि कर रहे हैं, किसानों पर कर लगा रहे हैं, यह आपने ठीक किया है। कुछ विरोधी भाई बातें कहना चाहते थे उनसे दो बात कहनी हैं। किसानों पर पहले आपने लगान की छूट की थी और वापिस कदम उठाया था तो विरोधियों ने बड़ा तूफान मचाया था कि यह किसानों पर बड़ा भारी जुल्म हो गया है वह उनका केवल पोलिटिकल स्वार्थ साधन था। आम काश्तकार लगान देने को तैयार हैं, किसान समझ चुके हैं कि 3-4 अरब की रकम हमारे विकास पर खर्च की गई है तो हमें भी कुछ देना चाहिए। किसान एक बात समझ चुका है कि हमारी दौलत खजाने में पहुंचे। पर इससे छोटे छोटे काश्तकार, जो नये साधनों को उन्हें उपलब्ध नहीं कराने के कारण 90 प्रतिशत काश्तकार वंचित हो जाते हैं। आपने 10 एकड़ की छूट दी है, इससे 1/3 हिस्से को छूट दी है, आप उन लोगों पर भी टैक्स लगाइये और उन्हें आधुनिक नये साधन व उपकरण मुहैय्या कीजिये।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े कारखानें आप राजस्थान में खोलना चाहते हैं और उन कारखानों को खोलने के लिये अरबपतियों को राजस्थान में बुलाना चाहते हैं। राजस्थान के विकास के लिये, देश के विकास के लिये आप चाहते हैं कि हमारे यहां बड़े-बड़े कारखानें लगें।

लेकिन अब कन्सेसन कितना देना चाहते हैं। किन्हीं किन्हीं कारखानों को आप जितना कन्सेसन देते हैं उससे कई गुना वे मुनाफा कमा लेते हैं। उनको कम कीमत में भूमि दी जाती है, पानी दिया जाता है, तीन पैसा युनिट पर बिजली दी जाती है। जहां छः पैसा युनिट खर्चा आता है वहां तीन पैसा देकर उस खर्चे का भार सरकार उठाती हैं। इस तरह से लाखों की दौलत आप उनको दे रहे हैं आप उनको तीन पैसे की जगह छः पैसे में बिजली देकर वह लाभ आप किसानों की समृद्धि के लिये किसान

(मूलचन्द डागा)

में लगाइये यदि इससे काश्तकार की दौलत बढ़ती है तो बढ़ने दीजिये। आज का काश्तकार बढ़ना चाहता है वह नये बीज और खाद को समझने लगा है। उसके उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं; उसकी भलाई के लिये काश्तकार को आप और अधिक राहत दीजिये, इसके लिये आप करोड़पति अरबपति लोगों से कर के रूप में दौलत लीजिये आप में इस प्रकार की भावना हो मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। कारखानों को भूमि के मामले में बिजली और पानी के मामले में जो सुविधायें दे रहे हैं उसमें कमी कीजिये उस पर कन्ट्रोल कीजिये, जो यह चाहते हैं कि सारे देश की दौलत हमारे ही पास रहे ऐसे व्यक्तियों की आप सुविधाएं कम कीजिये।

जहां तक सिंचाई का मामला है सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आप इस तरह से जो दौलत आती है उसको सिंचाई के साधनों को बढ़ाने में लगाइये। आप ने सिंचाई के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन किसानों का मन सिंचित होना चाहिये पूंजीपतियों का मन सिंचित नहीं होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है लोकतन्त्र में पानी और बिजली के बंटवारे के मामले में कदम उठाने होंगे और सिंचाई के साधन बढ़ाने होंगे।

आज लोकतन्त्र में होना यह चाहिए कि जिससे ज्यादा समाज प्रभावित हो, ज्यादा व्यक्तियों का जिसमें हित साधन हो ऐसे कामों को किया जाना चाहिये उसमें कुछ व्यक्तियों की उपेक्षा भी हो जाय तो अनुचित नहीं होगा। आज जो दौलत कुछ लोगों के पास इकट्ठी हो रही है उस दौलत को बांटा जाय। मैं एक बात चाहता हूं जो बजट आपने रखा है उसकी बाबत में देश की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान हालात को देखते हुए मैंने ऊपर जो सुझाव दिये हैं उनको कार्यरूप में परिणत किया जायेगा ताकि आने वाले समाज को ध्यान में रखकर मानवीय साधनों का उपयोग कर सकें, कृषि की व्यवस्था मजबूत करें ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, उनको काम मिले और ज्यादा जोश के साथ इस देश को आगे बढ़ा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 69-70 का बजट इस सदन में प्रस्तुत हुआ है। उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं भी अपने विचार इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं।

पिछले वर्षों में जिस प्रकार के बजट रखे जाते हैं राज्य की उपलब्धियों के बारे में और आने वाले वर्षों में जो कार्य किये जाते हैं उसके बारे में लेखा होता है। इस साल का जो बजट है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने दिमाग लगाकर उसको प्रस्तुत किया है जिसमें राजकीय वित्तीय स्थिति का पूर्णतः चित्रण किया है। वित्त मंत्रीजी के सामने समस्यायें थीं उनके निराकरण के लिये उन्होंने टैक्सेज का भी प्रोवीजन किया है। राजस्थान की विकास की स्थिति को देखते हुए सब तरफ नजर दौड़ाई है उसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ टैक्सेशन के प्रोपोजल भी सदन के सामने रखे हैं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसका बहुत सारा भाग रेगिस्तानी है। इस प्रान्त में पेय जल की भयंकर समस्या रहती है। उसके साथ साथ पशु पालन का धन्धा भी एक विकट समस्या है। पिछले सालों में राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे जिलों में कोई पुख्ता योजना अमल में नहीं लाई गई। इन जिलों में पशुपालन, भेड़ पालन आदि ऐसे उद्योग हैं, यहां का जो केटल वेल्थ है उसी पर यहां के लोगों की आजीविका निर्भर करती है। इस साल तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ये जिले भयंकर अकाल से ग्रसित हैं और राजस्थान का केटल वेल्थ बहुत मुसीबत में है। इस साल ऐसा अनुमान है आधे से ज्यादा केटल वेल्थ समाप्त हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर आदि इलाकों में भयंकर अकाल है। चारे की यहां विषम स्थिति है। इसकी समुचित व्यवस्था के अभाव में वहां के पशु पालकों को बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है। यहां तक कि वहां का मवेशी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अगर चारे की व्यवस्था समुचित नहीं की गई तो वहां पशु धन काफी खत्म हो जायगा। इस साल चारे का जो संकट है उसमें मीलों दूर से लाकर उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी रेल और यातायात से चारे को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिये रेल के डिब्बे न मिलने के कारण भी भयंकर समस्या है। जालोर जिले में बहुत कम चारा पहुंच पाया है इनके कारण सांचोर की जो कांकरेज नस्ल हैं उस पर बड़ी मुसीबत है। संवत् २०२३ से जो अकाल पड़ा था उसमें भी आधी मवेशी खत्म हो गई थी पिछली साल जब कभी अकाल पड़ता था वहां की मवेशी गुजरात चली जाया करती थी लेकिन इस साल बनास कांठा से भी अकाल पड़ने से वहां मवेशी जा नहीं पायी मवेशी बाहर नहीं जा सकी इस कारण भी कठिनाई पैदा हो गई है और पशुओं के लिये भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां चारे की उपलब्धि हो, ज्यादा से ज्यादा तादाद में चारा पहुंचाया जाय। कई डिपोज में तो एक तिनका चारा भी नहीं है। इसलिये मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर चारे की व्यवस्था के लिये आदेश प्रदान करें।

इसके अलावा इन इलाकों में पेय जल की भी भयंकर समस्या है पिछले वर्षों में ६।। करोड़ रुपया रूरल वाटर सप्लाई के लिये खर्च किया गया। इसी तरह से पेय जल की समस्या हल करने के लिये जहां राजस्थान का आज तक का कुल बजट ५०७ करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहां रूरल इलाके के लिये केवल ६।। करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो बहुत ही कम है। इससे आसानी से यह अन्दाज लगाया जा सकता है गांवों में रहने वाले लोगों की जहां ८० प्रतिशत संख्या है वहां पर पेय जल के लिये केवल मात्र ६।। करोड़ खर्च किया गया। और बाकी का सारा रुपया शहरी जल योजनाओं पर खर्च किया गया। शहरों में बहुत होशियार आदमी रहते हैं, वे ज्यादा आन्दोलन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर सकते हैं इसलिये उन पर ज्यादा ध्यान और धन खर्च किया जाता है वहां पोलिटिकल पार्टीज भी काफी काम करती हैं गांवों में राजनैतिक पार्टीबाजी नहीं होती। किसान बेचारे भोले भाले हैं इस कारण वहां पेय जल की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता आज काश्तकार इस बात को भी समझने लगा है वह भी चाहता है कि उसको पानी पांच मील के आसपास मिल जाय इस बारे में मांग करते हैं। मैं वित्त-मंत्रीजी से कहना चाहता हूं गांवों में पानी की भीषण समस्या है। उसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये और उसके लिये ज्यादा से ज्यादा बजट में प्रावधान करें। उनको कम से कम पांच मील की दूरी पर पानी मिल जाय इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी।

बाड़मेर, जालोर और फलोदी शेरगढ़ का इलाका है वहां का पानी कहीं कहीं खारा है। वहां पर ट्यूब वेल लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। इसलिये क्षेत्रीय जल योजना के सिवाय वहां पानी पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। इसी प्रकार से सांचोर का एक गांव हडेचा है जहाँ पर काफी जन संख्या है वहां पर आस पास बीस गांवों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त-मंत्रीजी जब सांचोर पधारे थे उस समय आश्वासन दिया था कि हम इस योजना को हाथ में लेंगे। मुझे आपके जरिये कहते हुए खेद होता है कि अभी तक उस योजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ। फेमीन के अन्दर भी जल पहुंचाने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है।

मैंने आपको सुझाव दिया था कि कम से कम एक दो लाख रुपए खर्च करके अगर पाइप द्वारा लाकर एक हौज में पानी डाल दिया जाय तो अकाल सहायता के रूप में पानी पहुंचने पर जो खर्च हो रहा है उसमें बचत होती और पुख्ता रूपसे आगे भी पानी की समस्या का समाधान होता तो इस बारे में विशेष रूप से वित्त-मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थोड़ा सा ही, एक दो लाख ही रुपया लगाकर इस समय कम से कम एक जगह हौज भर दिया जाय तो ५-१० मील में बसने वाले गांव के लोग आकर पानी पी सकते हैं। अकाल के अन्दर खर्चा वैसे ही फिजूल जायगा। बाद में कुछ फायदा नहीं होगा और पानी की समस्या के हल के लिए वापस खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर इस समय स्कीम हाथ में लें हालांकि वित्त-मंत्री ने मन्जूरी जरूर दी है स्कीम की, परंतु उसके साथ साथ भीखाभाईजी ने बताया कि पैसा एक भी नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो फायदा नहीं। इसमें वित्त-मंत्री और मुख्य मंत्री सोचें कि अभी भी जो अकाल में होने वाला खर्चा है उसमें बचत के लिए योजना को हाथ में लें। एक ट्यूबवेल सांचोर में चालू हो गया है तो एक पाइपलाइन अंदर भेजकर एक हौज भर लिया जाय तो 15-20 मील के रेडियस में रहने वाले लोगों के लिए सुविधा हो जाय। नीचे का पानी बिल्कुल खारा है इस लिए अगर मेरा निवेदन स्वीकार किया गया तो वह जनता के हित में होगा।

जो सांचोर का नेड़ एरिया है पूरे क्षेत्र के अंदर पानी खारा है। जब बरसात होती

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है तो पानी उपलब्ध होता है परन्तु उसके अलावा नीचे का जो पानी तीन चार फुट पर जरूर मिल जाता है लेकिन पीने योग्य नहीं। तो इस बारे में राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र के लिए जहां पानी बिल्कुल खारा है, वहां कम से कम मीठा पानी 5–10 मील के रेडियस में उपलब्ध हो सके, ऐसी योजना सरकार को हाथ में लेनी चाहिए।

इसके अलावा इस बजट में वित्त मंत्रीजी ने सरकारी आंदोलन के बारे में विशेष रूप से बजट में ज्यादा एलाकेशन नहीं किया। तो इस बारे में भी ज्यादातर गांव के लोग एफेक्टेड हैं। इस मशीनीकरण के युग के अन्दर जब खातियों की गाड़ियां बेकार हो गईं, लुहार बेकार हो गए तो उन लोगों को सहकारी समितियों के जरिए ऋण दिया जाकर छोटे उद्योग धंधे अगर राज्य सरकार नहीं अपनायेगी तो गांव में दिनों दिन बेकारी बढ़ती जा रही है, भूमि की समस्या विकट होती जा रही है और यहां तक कि भूमि के बारे में भी बड़ा भारी काम्पीटीशन हो गया है। जो रीयल काश्तकार हैं वे किराएदार बन रहे हैं और ब्लैक मनी वाले पूंजीपति वहां आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए काश्तकारों को मजबूत बनाने के लिए, छोटे उद्योग धंधे अपनाने के लिए वित्तमंत्री को सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा धन देना चाहिए और इसके साथ में आशा करता था कि यह जो सहकारी मार्केटिंग मूवमेंट है वह ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जिसके जरिए भावों को कन्ट्रोल कर सकते हैं और काश्तकारों को कुछ राहत दे सकते हैं। तो जो गांवों के अंदर क्रय विक्रय संघ हैं, अब तक का मेरा अनुभव है कि यह मूवमेंट असफल रहा है, सोसाइटीज के पास धन नहीं है, लोन नहीं मिल सकता ताकि वहां 75 प्रतिशत फसल का काश्तकारों को पैसा देकर फसल को अपने कब्जे में कर दें और बाद में भाव आने पर बाकी पैसा दें। ऐसी कोई संस्थाओं की केपैसिटी नहीं है। नतीजा यह होता है कि मार्केटिंग मूवमेंट कमजोर रहा है। इन संस्थाओं को भी मजबूत करने की आवश्यकता है वरना काश्तकारों का भविष्य अंधकार में है इस बारे में राज्य सरकार को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है।

जो प्रशिक्षण संस्थायें हैं सहकारी आंदोलन की उस बारे में भी राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि हर सहकारी समिति को बायबुल यूनिट माना जायगा और सहकारी विभाग से सब्सीडी लेकर मेनेजर रखा जायगा और वहां पर संस्थाओं का पुनर्गठन किया जायगा। परंतु उस बारे में विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सहकारी आंदोलन के अंदर छोटे कुटीर उद्योगों की तरफ जब तक सरकार का ध्यान नहीं जायगा, काश्तकार जो गांवों में बसना चाहते हैं, उनका एट्रेक्शन गांवों में रहे, शहरों की तरफ नजर नहीं दौड़े उस बारे में वित्तमंत्री का विशेष ध्यान जाना चाहिए था परंतु इस तरफ ध्यान कम गया है और मैं मुख्य मंत्री से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि कलकत्ता में जो बड़े बड़े

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूंजीपति दंगों की वजह से राजस्थान में आने की कोशिश में हैं वे लोग और इधर अहमदाबाद और बंबई में पिछले एक साल का मुझे अनुभव है वे भूखंड और कुए खरीद रहे हैं और लोगों की माली हालत, किसानों की खराब हालत होने की वजह से, पैसे का लालच होने से, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से धड़ाधड़ किसान जमीनें बेच रहे हैं और किसानों को किराएदार बना रहे हैं। इस बारे में भी राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि रीयल कल्टीवेटर के हाथ से जमीन पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है और काश्तकार उसका किरायेदार बनता जा रहा है, तो इस बारे में जो हमारी टेनन्सी एक्ट की धारायें हैं, उनमें ऐसी समस्या को रोकने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी वरना जो रीयल काश्तकार हैं जिनको मजबूत बनना चाहिए, उनका अहित होगा। मेरा पिछले दो तीन सालों का अनुभव है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जमीनें दूसरे लोगों के हाथ में चली गयीं और वे उनके किरायेदार बनते जा रहे हैं।

राजस्थान की जो एग्रीकल्चरल अर्थ व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोग जमीन का कब्जा करके बैठ जायं तो हमारे सामने वैसी समस्या उत्पन्न न हो कि भूमिहीन काश्तकार को फिर दूसरी जमीन दी जाय। ऐसी समस्या को रोकने के लिए जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कई एकड़ जमीन देकर ट्यूबवेल्स के आसपास 10 साल तक जमीन फ्री दे सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ राज्य सरकार को यह भी सोचने की आवश्यकता है कि जो भूमि है वह वास्तविक काश्तकार के पास रहनी चाहिए वरना उत्पादन गिरेगा और खाद्यान्न की समस्या विकट होती चली जायगी।

काश्तकारों को एग्रीकल्चरल उत्पादन में पिछले 20 साल में विद्युत् बहुत कम दिया है और उस बारे में जो विद्युत् मंडल का बजट है और जो पावर पोटेन्शल है उससे जो आज तक एग्रीकल्चरल कनेक्शन्स दिए हैं, बैरों को बिजली दी है, उसका अनुपात कम है। बड़े उद्योगपतियों को करीब 55 प्रतिशत पावर मिला है और कृषि के लिए 8:82 प्रतिशत पूरे पावर का दे पाए हैं और जो डोमेस्टिक खर्च है वह 8:22 प्रतिशत है परंतु ज्यादातर हमने उद्योगों को दिया है और रियायती दरों पर दिया है। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो पावर पोटेन्शल है उसको कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा देने की आवश्यकता है।

सिरोही, पाली और जालोर ऐसे जिले हैं जहां पिछले दो तीन सालों में सैकड़ों की संख्या में पंपिंग सेट्स लगाए हैं परंतु कभी ये सैट्स फेल हो जाते हैं, कभी क्रूड खराब हो जाता है, कभी 'नोजिल' खराब हो जाता है, कभी क्रूड नहीं मिलता तो डीजल से काम लेना पड़ता है और हाई यील्डिंग वैराइटीज होने की लालच से लोग बहुत पंपिंग सेट्स लगाते हैं परंतु उसके साथ बड़ी समस्यायें हैं। पंपिंग सेट्स ठीक करने का कारखाना हर जिले में, जिनको पंपिंग सेट्स बेचने का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लाइसेंस दिया है, उनको ऐसा कारखाना लगाना चाहिए और कम रेट पर पंपिंग सेट्स और जो कृषि के काम में आने वाले औजार हैं वे वहीं दुरुस्त हो जायं। इस बारे में राज्य सरकार ने आज तक नहीं सोचा है।

और नतीजा यह हुआ कि जो एजेन्ट्स हैं पंपिंग सेट्स के और मशीनों के उनके किसान टारगेट्स बन गये। आज उनका अन्धाधुन्ध बड़ा खर्चा होता है। राज्य सरकार को चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ काश्तकारों ने जो पंपिंग सेट लगाये हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराये। मुझे माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह सूचना देते हुए खेद होता है कि जिला जालौर में वेल्स पर पावर दिया वह बिलकुल नेग्लीजेबल है जब कि हजारों पंपिंग सेट लगाये गये हैं। माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि लाइन जरूर जावेगी लेकिन एग्रीकल्चर को एक्सप्लोयट करने के लिये काश्तकारों को बड़ा खर्चा हो रहा है। उसको बचाने के लिए पाली सिरोही जालोर में जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय और हर एक कुओं पर बहुत कम खर्चे के पंपिंग सेट लगाये जायं तो काश्तकारों को बहुत इन्सेन्टिव मिलेगा।

(1 म० प०)

भेड़ और ऊँन के महकमे पर माननीय वित्त मंत्रीजी का और विशेष कर माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान की ऊँन की बहुत बड़ी प्रोड्यूस राजस्थान से बाहर जाती है। हमारे यहां पर भेड़ों की भी बहुत ज्यादा संख्या है। लेकिन भेड़ पालकों की माली हालत को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया है। वे सारे देश में अपने हड्र्स लेकर घूमते रहते हैं। उनकी चराई के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। भेड़ पालक हर जगह मार खाते हैं यहां तक कि कत्ल भी हुए हैं। भेड़ पालकों को भेड़ों की चराई के लिए जमीन और ट्यूब वेल्स दिये जाने चाहिए। यहां पर भी उनको चारा उगाने के लिए जमीन देना चाहिए और ट्यूब वेल्स का इन्तजाम करना चाहिए। पट्टे वाले कोई भी किसान नहीं चाहते हैं कि भेड़ और मवेशी उनके खेतों में चरें। अभी से राज्य सरकार को इस ओर सोचना चाहिये वरना सारी भेड़ों को मार दिया जावेगा और यह उद्योग खत्म हो जावेगा। जहां ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं वहां उनको जमीन देकर इस प्रकार की किसी स्कीम पर कन्सेन्ट्रेट करना चाहिए। इस ओर राज्य सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। भेड़ ऊँन विभाग का कार्य पिछले वर्षों में दुर्भाग्य पूर्ण रहा है। अलग रूप से महकमा सोचा गया। भेड़ पालकों की कोई गल्ती नहीं थी कीमत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऊँन बोर्ड की घोषणा है वह स्वागत योग्य है। यह बोर्ड कैसा काम करेगा यह तो आगे देखा जावेगा। इससे भेड़ पालकों को ऊन उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा। इस महकमें को रिओर्गेनाइज करके इससे फोरिन एक्स्चेन्ज और राजस्थान के वेल्थ को ज्यादा बढाया जाय और भेड़ पालकों की माली हालत

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सुधरे इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो ढांचा है वह बिलकुल असंतोषजनक है। गांवों में आपने सिंगल टीचर लगा दिये हैं। उनका खुद का ज्ञान कम है इससे बच्चों की शिक्षा बहुत खराब हो रही है । अनुभव भी उन अध्यापकों को कुछ नहीं है। रूरल क्षेत्र में आज जिस प्रकार से शिक्षा चल रही है उसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। रूरल स्कूलों में गांव वालों को पैसा देना पड़ता है और मास्टर का भी इन्तजाम करना पड़ता है। जो हालत है उसको देखते हुए राज्य सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। शहरों में होस्टल वगैरह खोलते हैं वे सब राज्य सरकार की ओर से बनते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर स्कूल बिल्डिंग नहीं, रहने के लिए बच्चों के होस्टल, कोई स्थान नहीं उनके लिए योजना बनानी चाहिए और आज भी बीस पच्चीस मील में भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं मिलता है। कुछ स्कूल जरूर खोल दिये हैं बेकवर्ड एरिया के हिसाब से उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा । होस्टल और बिल्डिंग की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि ५० होस्टल राज्य सरकार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएगी उसके लिए अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हायर सेकेन्डरी स्कूल वेल इक्विप्ड हो, होस्टल्स हों और गावों में बच्चों की शिक्षा बहुत कम एक्स्पेन्सिव हो। आज गांवों के लड़के जो इन्जीनियर्स बने हुए हैं वे बहुत बेकार हो गये हैं। डाक्टर्स की तो कमी है । गांव से आने वाले इन्जीनियर्स को भूमि देकर बसाया जाय। एक तरफ तो कहते हैं कि शिक्षा बढ़ाओ और दूसरी तरफ ग्रेजुएट पढ़े लिखे बेकार फिरते हैं। इससे गांवों में बड़ा भारी फ्रस्ट्रेशन है। इसके लिए कोई योजना बनाने की आवश्यकता है । ऐसे लोगों को कम से कम जमीन और लोन देना चाहिए ताकि गांवों से आने वाले ये पढ़े लिखे खेती में तरक्की करके जीविका उपार्जन कर सकें। लोग इसलिए पढते हैं कि नौकरी मिलेगी, हरएक को नौकरी मिल नहीं सकती। ऐसी बुनियादी ट्रेनिंग लड़कों को देने की आवश्यकता है ताकि जीविका का उपार्जन कर सकें और बेकार न फिर सकें। ऐसे इन्जीनियर्स और युवक बेकार फिरते हैं इसलिए तोड़ फोड़ होती है, आन्दोलन होते हैं । देश की प्रधान मन्त्री ने भी चिन्ता व्यक्त की है। इसलिए यह जो समस्या है उसको राज सरकार नहीं सोचेगी और दूर नहीं करेगी तो असन्तोष नहीं मिटेगा। राजस्थान में ऐसे इन्जीनियर्स और ग्रेजुएट्स बेकार हैं उनको कोई न कोई धन्धे पर लगाने की सोचना चाहिए वरना शिक्षा का प्रसार आगे होने में कठिनाई पैदा होगी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, वित्त मंत्रीजी ने कुछ टेक्सेज लगाये हैं। आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि टेक्स लगाने जरूरी हैं और राजस्थान के विकास के लिए दो पैसे लेकर उसकी माली हालत सुधारी जाय तो टेक्स लगाने में कोई हर्ज भी नहीं है । लेकिन आपको भलीभांति मालूम होगा कि गांवों में केश क्राप्स पर टेक्स लगा रहे हैं और सारा ढांचा पटवारियों के हाथ में सौंप रहे हैं। पटवारी केश क्राप्स

Page No.56

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की फसल नहीं होगी तब भी लिख देंगे और टैक्स लग जायेगा। इसके लिए सरकार को निश्चित योजना बनानी चाहिए ताकि पटवारियों के हाथ से काश्तकार बच सकें। गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत पटवारियों से है। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ऊपर करतार नीचे पटवार। कम से कम पटवारी से पल्ला पड़े काश्तकार लोग यही सोचते हैं। हमारे इस क्षेत्र में राजस्थान में श्रावणु काश्त होती है। काश्तकार अनाज के साथ साथ तिल, सरसों आदि उगाते है। उनमें मिक्स्ड क्राप उगाने की टेन्डेन्सी बढ़ गयी है उस पर कैसे गिरदावरी करेंगे और टैक्स लगायेंगे?

इसके अलावा दूसरा यह जो 50 रुपये भू-राजस्व का ग्रेडेशन आपने किया है, जो टैक्स लगाया है, वह गरीब किसानों पर है। हमारे यहां का जो इलाका है, वह एक फसली है। उनका भी भू-राजस्व 50 रुपया है। वे आर्डीनरी काश्तकार हैं और उनकी आमदनी एक हजार रुपया भी नहीं है। इसलिये इन लोगों को आप इससे एक्जेम्पट करें। यह टैक्स 100 रुपये से कम पर नहीं होना चाहिये। यह 50 रुपया पर अधिभार तो गरीब काश्तकारों पर आ जाता है। इसके बारे में आपको सोचना होगा।

वित्त मन्त्री महोदय ने कुल मिला कर जो बजट पेश किया है, वह राजस्थान की हालत को देख कर ठीक है, उनका पूरा पालन किया जायेगा। टैक्ससेज में जो लूप होल्स हैं और जिनकी वजह से पूरा टैक्स वसूल नहीं हो पाता है, वह अब पूरा वसूल होना चाहिये। राजस्थान के विकास के लिए जो टैक्स लगाये गये हैं, वे ठीक हैं। इसके लिए हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो दिमाग लगाया है, वह स्वागत योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सुझाव दिये हैं, आशा करता हूं वित्त मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। बाकी जो बजट है, वह अच्छा है। राजस्थान की जो समस्या है, उसकी जो वित्तीय परिस्थिति है, उसको देखते हुए ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इनको मन्जूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

एक माननीय सदस्य : एक पार्टी के दो व्यक्ति बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनका समय ज्यादा बचा हुआ है इसलिए।

श्री मनोहर सिंह मेहता : निर्दलियों को समय कब मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : वह भी जल्दी ही मिल जायेगा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करूंगा। आज बूंदी जिले के अन्दर जो जो समस्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा।

सबसे पहले मैं बूंदी जिले के अन्दर जो चम्बल नहर आई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। चम्बल नहर आने के समय, उस वक्त जो कार्य हुआ वह हुआ। उसके बाद में जो काम बाकी रह गया, वह आज तक नहीं हुआ है। इससे

(श्री नंदलाल बैरवा)

वहां के काश्तकारों को उनके खेत तक पहुँचने में काफी दिक्कत होती है। एक समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई है। जितनी बड़ी नहरें बनी हैं और उनके द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है, वह बाहर आ जाता है। इस प्रकार चम्बल द्वारा जो नहरें बनाई गई हैं, उसका पानी ऊपर आ जाता है और जो रास्ते किसानों के पहले निकले हुए थे, उन पर पानी बह रहा हैं। इन में किसानों की बैल गाड़ियां जाने में दिक्कत होती है। कई जगह पर, बल्कि सारा क्षेत्र ही इससे खराब हो गया है और आम रास्ते बन्द हो गये हैं। मीलों तक यह समस्या है और ये रास्ते बन्द हैं।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, इस जिले के अन्दर यातायात के साधन भी पिछड़े हुए हैं। 20 सालों के बाद इस जिले के अन्दर जितने भी रोड्स हैं वे सब वैसे के वैसे पड़े हैं। किसी भी रोड़ पर काम नहीं हुआ है। इससे काश्तकारों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कोई भी आदमी अपनी मवेशी को लेकर बरसात में एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता है। यह बड़ी भयंकर समस्या है। इसी जिले में मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या की ओर भी आपका ध्यान खींचूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा निर्वाचन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यहां स्कूल नहीं है और उसके आस पास कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हैं। लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री में, जो राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी फैक्ट्री है और जहां हजारों मजदूर काम करते हैं, उसके आस-पास में चालीस पचास हजार की आबादी है, कोई स्कूल नहीं है। कोई उच्च शिक्षा का स्कूल नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लाखेरी सीमेंट वर्क्स, या लाखेरी में एक हाई स्कूल अवश्य होना चाहिये जिससे वहां के मजदूरों को राहत मिलेगी।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल से बिजली तैयार की गई है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले इसके नजदीक हैं। परन्तु बूंदी, कोटा, झालावाड़ के साथ बिजली के मामले में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कोटा से सारे राजस्थान को बिजली जा रही है। परन्तु झालावाड़, बूंदी जिले में कम बिजली पहुंच पाई है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहां के काश्तकारों के साथ बिजली के मामले में आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए इस ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा।

इसी प्रकार मैं आपका ध्यान उन भूमिहीन काश्तकारों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। ये भूमिहीन काश्तकार हाली-ग्वाल का काम करते हैं। आज भी उनकी हालत वही है, जो आज से बीस साल पहले थी। एक एक दिन की उनको आठ आने, बारह आने मजदूरी दी जाती है। इसलिए इस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये और इनको दैनिक मजदूरी उचित दर पर दिलाना चाहिये ताकि इनके जीवन को बचाया जा सके। बीस साल से ही ये हाली-ग्वाल का काम कर रहे हैं। हाली-ग्वाल का काम करने का मुख्य कारण यह है कि इस इलाके में वे भूमिहीन हैं। उनके पास

(श्री नन्दलाल बैरवा)

जमीन नहीं है और जो जमीन है, वह दूसरों के द्वारा छीन ली जाती है। और जो नौ-तोड़ जमीन उनके पास है, उसको सरकार द्वारा रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है इसलिये वे हारीग्वाल का काम करते हैं। इसलिये सरकार उनकी दैनिक मजदूरी तय करे या उनको भूमि दिलाई जावे।

अब मैं आपके नये बजट की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे यहां सिंचाई एरिया है। 50 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा तक जमीन छोटे छोटे काश्तकारों के पास हैं। उनका लगान 50 रुपये से ज्यादा है। 50 रुपये से ऊपर के लगान पर आपने सरचार्ज लगा दिया है। यह सरचार्ज छोटे छोटे काश्तकारों पर लगा है। इसका छोटे काश्तकारों पर भार पड़ा है। छोटे छोटे काश्तकारों को यह देना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के भू-राजस्व पर जो टैक्स लगाया है, इससे उन्हें बचाया जाये और इसमें रियायत करने की कृपा करें जिससे कि हरिजन, आदिवासी और छोटे छोटे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो दूसरा टैक्स आपने लगाया है, वह गन्ना, कपास, मिर्ची, जीरा, धनिया, सौंफ, मूंगफली, तिल्ली, अलसी, राई आदि चीजों पर लगाया है। इनकी आबपाशी पर 6 रुपया प्रति एकड़ टैक्स आप लेंगे। यह छोटे छोटे काश्तकारों पर टैक्स है। इन काश्तकारों के पास दस दस बीघा जमीन है। वे इसमें गन्ना, अलसी, तिल्ली इत्यादि चीजें बोकर अपना जीवनयापन करने की कोशिश करते हैं। इस पर इन छोटे काश्तकारों को टैक्स देना पड़ेगा इससे उन पर भार पड़ेगा। उनको नुकसान होगा।

इसी प्रकार मैं आपका ध्यान बूंदी सीमेंट फैक्ट्री की ओर दिलाना चाहूंगा। गत वर्ष आपने इसका आश्वासन दिलाया था और इसके सर्वे पर लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन इस बजट में आपने इसको नहीं रखा है, जिससे वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और उनको गांव छोड़ कर चला जाना पड़ेगा। सीमेंट फैक्ट्री से वहां के लोगों को बूंदी जिले के लोगों को और राजस्थान के दूसरे लोगों को राहत मिलती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में लगाने की ओर भी ध्यान दिया जाय।

एक बात मैं आबकारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के एरिया में मजदूरों की बस्ती के पास पास शराब वेतन मिलने के दिनों में बन्द रक्खी जावे ताकि मजदूरों का पैसा बच सके और उनके बालबच्चों और परिवार वालों का गुजारा महीने भर ठीक तरह चल सके और उनकी जेब में कुछ पैसा बच सके।

इस प्रकार राज्य सरकार मजदूर लोगों को अपने मकान बनाने के लिये लोन का प्रावधान रक्खे। हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को जहां जहां सरकार ने पैसा दिया उन्होंने कुछ नहीं किया वह पैसा या तो वे हड़प गये या बेकार गया। मजदूरों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये जहां जहां राज्य सरकार मजदूर बस्तियां बसाना चाहे वह स्वयं वहां मकान तैयार करके मजदूरों को दे और मजदूरों से पैसा

(श्री नन्दलाल बैरवा)

काट ले। वरना इन को-ऑपरेटिव सोसायटियों से मजदूरों को कोई लाभ होगा नहीं।

डाकुओं का बड़ा आतंक है। पुलिस निष्क्रिय है। अभी हमारे यहां के एक सरपंच साहब को डाकू उड़ाकर ले गये। पुलिस आज दिन तक पता नहीं लगा सकी न उनको छुड़ाया जा सका है। पता नहीं वे जिन्दा भी हैं या नहीं। इसके लिये विशेष-तौर से पुलिस का प्रबन्ध किया जावे।

इसी प्रकार जहां कहीं भी गांवों के लोग जिस विभाग में भी अपना काम काज कराने जाते हैं तो पैसे दिये बगैर उनका कोई काम नहीं करता। तरह तरह के इन्सपेक्टरों की भरमार हो गई है। पुलिस इन्सपेक्टर, आबकारी इन्सपेक्टर, कृषि इन्सपेक्टर न जाने कितने कितने इन्सपेक्टर हो गये हैं। पैसा हर गांव के लोगों को देना पड़ता है और तभी अपना काम कराना पड़ता है। इसलिये खासतौर से इस रिश्वतखोरी को बन्द करने का सरकार इन्तजाम करे।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री अमीलाल यादव : मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि राज सरकार केवल प्रशासन पर और दूसरी गति विधियों पर अपना सारा व्यय करके और वह भी करजा लेकर या इधर उधर से बटोर कर, अपना कर्त्तव्य पूरा हुआ मानकर बैठ जाती है।

जहां तक पानी का सिंचाई का प्रबन्ध करने या इसी तरह की अन्य विकास से सम्बन्धित योजनाएं हैं इसके लिये राजस्व में बहुत गुंजाइश है। यही कारण है कि पंचम वित्त आयोग के सामने बहुत मुश्किल राज्य सरकार को पड़ रही है अधिक पैसा मांगने में।

जो बजट रखा गया है उसमें राजस्व आय 144 करोड़ की रखी गई है, जब कि व्यय 174 करोड़ का है। इस प्रकार से राजस्व में 30 करोड़ का घाटा रहता है लेकिन यह जो ऋण केन्द्र से राज्य सरकार को 12 करोड़ का मिला था वह केपिटल में है और दो करोड़ का रेवेन्यू अकाउन्ट में दिखाया गया है उसको एडजस्ट करने के बाद भी सीधा घाटा 21 करोड़ का रहने वाला है।

इसके लिये राज्य सरकार यह आशा लगाकर चलती है कि केन्द्र से अधिक सहायता मिलेगी और कुछ ऋण मिलेगा और इससे यह 69-70 का वर्ष किसी तरह पूरा कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे सामने राज्य या देश की तस्वीर होती है और उसकी योजना का जहां तक सम्बन्ध आता है यह तो मैं नहीं कह सकता कि आजादी के बाद कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। निश्चितरूप से कुछ न कुछ किया जा रहा है, पर यह भी साथ में कहूंगा कि जिस ढंग से ये योजनाएं अपनाई गई हैं

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

यह प्लानिंग कमीशन भी स्वीकार करता है कि मूलतः वे गलत थीं, जिसके कारण ये योजनाएं तीन पूरी कर लेने के बाद भी प्रकृति के प्रकोप का मुकाबला करने में हम अक्षम हैं। बड़े बड़े बांध हमने बनाये। भाखरा नांगल, चम्बल पर महाराणा प्रतापसागर, गांधी सागर बनाकर हमने देखा कि जब 63-64, 64-65, 65-66 और 66-67 के वर्षों में निरन्तर अकाल पड़ते हुए चले गये तो बान्धों ने भी जवाब दे दिया। पानी कम आया, इसके कारण विद्युत भी कम हुई, सिंचाई भी कम हुई। काफी खेती सूखी रह गई। तो ये बृहद् योजनाएं भी प्रकृति अनुकूल हो तो ही काम दे पाती हैं। अगर प्रकृति प्रतिकूल हो और अनावृष्टि हो तो वे भी खेती के लिये जवाब दे जाती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी योजनाओं के अंतर्गत मद रखे गये हैं उनमें भी इस प्रकार से सामन्जस्य नहीं बैठ पाया है कि सही स्वरूप राज्य या देश का आ सके और हम विश्वास से कह सकें कि प्रकृति का कितना ही प्रकोप हो, हम उसका मुकाबला कर सकते है।

राज्य में चार साल ऐसा देखने को आया कि कभी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ, तो कभी अनावृष्टि के कारण और इस वर्ष तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों के एक साथ होने के कारण राजस्थान के 23 जिले अकालग्रस्त हैं। परिणाम इसका यह हुआ है कि आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है। राज्य को सम्भालने में दिक्कत महसूस हो रही है। इसका मूल कारण यह था कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह न समझा और अच्छी तरह न समझ कर सबसे अधिक प्रयास करने के कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया।

राजस्थान नहर का ही सवाल लें। अगर आरम्भ से हमने सही तरीके से इसके बारे में सोचा होता और इसे केन्द्र के हाथ में दे दिया होता तो आज राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया होता और राजस्थान तेजी से समृद्धि की ओर दौड़ लगाता। पर आज 15-20 वर्षों तक जिस तरह से हमने इन सब को चलाया उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। राजस्थान नहर का काम बहुत मन्थर गति से चल रहा है उससे कब जाकर रेगिस्तान में खुशहाली आवेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। यू. पी. में और दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी नहरें बनीं, केन्द्र ने बनाईं, तो इसी तरह केन्द्र पर दबाव डालकर उसको भी पूरा करा लिया जाता तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका आज दूसरी ही स्थिति में होता। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जहां तक रेगिस्तानी इलाके को उपजाऊ बनाने का प्रश्न है, कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि इसका अलग प्लान बनाकर केन्द्र पर दबाव डालकर अतिरिक्त सहायता देकर पूरा किया जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो इसको पूरा कराना ही चाहिये। केन्द्र से इस योजना को अलग करके अगर विशेष सहायता ली जाय और उस काम को पूरा किया जाय तभी जाकर रेगिस्तानी इलाके की समस्या दूर हो सकती है। हमको यह कहने में गुरेज नहीं है आज 15 साल नि-

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जाने के बाद भी, आजादी को 20 साल हो गये लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनते हुए एक बहुत बड़ा खेद होता हैं कि राजस्थान में पेय जल की समस्या पूरी नहीं कर सके। पेय जल की समस्या उत्तरी पश्चिमी इलाके में ही हो ऐसी बात नहीं है बल्कि और दूसरे जिलों में भी पेय जल की समस्या बराबर बनी हुई है। राजस्थान राज्य द्वारा 62/64 के बीच जिस समय चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप चल रहा था उस समय जिला परिषद् और पंचायत समितियों के मारफत इस संकट को दूर करने के लिये बड़ा प्रारूप तैयार किया जा रहा था। यह पंचायत समिति और जिला परिषद् के माध्यम से किया जा रहा था। यह मालूम किया गया कि कहीं बिलकुल नये कुए चाहिए, कहां गहराई के कुए हैं, कहां ऐसी जगह है जहां एक भी कुआं नहीं है। पूरा पूरा कार्य राज्य स्तर पर किया गया था। लेकिन उस योजना का क्या हुआ, कितनी मिलाकर उसमें लागत थी, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कितना काम सम्पादित किया, कौनसी योजना है ऐसी कोई भी बात सामने नजर नहीं आई बल्कि मैं मान-कर चलता हूं पंचायत समिति, जिला परि-षद् और तहसील के मारफत जो कम्प्रीहैंसिव प्लान बना है वह खटाई में पड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से विधान सभा के सदस्यों को उसका कोई पता नहीं है कि उस योजना का सरकार ने क्या किया ? इस प्रकार पेय जल की समस्या उसी प्रकार बनी हुई है। देश में सबसे ज्यादा अभिशाप रहता है और राज्य के लिये विशेष कर, जहां अकाल पड़ते हैं वहां मैं यह मानकर चलूंगा कि राज्य सरकार के लिए यह वरदान भी रहा है।

स्वयं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में क्षमता नहीं है तो जब अकाल का काम पड़ता है तो केन्द्र से उदारतापूर्वक पैसा मिलता है तो सारे पक्षों को काम करने के लिये पैसा मिल जाता है। इस बर्ष अकाल के आंकड़े जो सदन में आए हैं उनसे लगता है जो बड़ी राशि केन्द्र से हमें ऋण के रूप में, सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में मिली है उससे देखते क्या हैं ? वहां स्थान पर जाकर वह सही तरीके से नहीं लग पाती उसके झूठे हिसाब बनते हैं। रुपए खर्च हो जाते हैं उस जगह में काम नजर नहीं आता है। कहना यह पड़ेगा कि पैसे को पानी में बहाया जाता है। इस प्रकार पैसे को बहा दिया जाता है। इस बार मुझे बजट भाषण पढ़ने के बाद ऐसे लगा जो कुछ राहत के कार्य हुये हैं उन्हें ही काम में लिया जायगा, नये काम हाथ में बहुत कम लिये जावेंगे।

नसीराबाद में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कौल के क्षेत्र में जो राहत के कार्य हुये हैं और जिनका प्रश्न यहां खड़ा किया गया था उसमें साफ था कि जितना अकाल राहत का पैसा इकट्ठा हुआ उसका बहुत दुरुपयोग किया गया। डूंगरपुर में दो करोड़-दो जिलों में दो करोड़ रुपया खर्च किया गया। उसका असेसमेंट किया जाय। आज भी सदन में उसकी रिपोर्ट नहीं आई हैं। देखा जाय तो क्षेत्र में 50-60 हजार का काम भी नहीं हैं। अकाल पीड़ित क्षेत्र के मनुष्य अकाल से परेशान हैं और अकाल के पश्चात् आपका यह शोषण। उनको मजदूरी नहीं दी जाती

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

है। फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं लेकिन वास्तव में वहां काम 50 परसेन्ट ही हो पाता है। यह बहुत खेदजनक बात है। इसकी तरफ़ ध्यान दिया जाना चाहिये।

(1.34 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही साथ यह चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि आपकी जो कुछ योजना का पैसा है उसको योजना के शुरू के सालों में यानि 3-4 साल में खर्च नहीं करते हैं। चुनाव जब 71-72 में होगा उस समय सारा पैसा अनाप-सनाप खर्च कर दिया जावेगा। जो राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिलता है वह सही तरीके से नहीं लग पाता है। मैंने जो कुछ बजट भाषण पढ़ा है उसको देखने से यह कह सकता हूं। जब कभी प्रकृति अनुकूल रही है यहां अच्छी खेती हुई है। 67-68 में अनुकूल वर्षा हुई है और रेकार्ड प्रोडक्शन है खेती में। उसका इन्डेक्स 145 के करीब पहुंचा है। यह 61-62 से 17 परसेन्ट अधिक है। यह योजना के कारण है, यह मैं नहीं मानता। गये 15 वर्षों में जो भूमि बहुत अधिक बंजड पड़ी हुई थी उसका अलाटमेंट हुआ है, खेती का क्षेत्र बढ़ा है और खेती का क्षेत्र बढ़ने के कारण हमारे जो आंकड़े 67-68 के 66 लाख टन उपज के आंकड़े आते हैं यह केवल इसलिये कि आपने अधिक बीज दिये थे, बिजली की सुविधायें दी थीं, सिंचाई की सुविधायें थीं इसी कारण यह हो गया। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन से अकाल का काम नहीं चल सकता है उसके साथ अच्छे बीज के रूप में, कुछ बिजली के रूप में और कुछ नहरों से सिंचाई होने लगी है इसके कारण 66 लाख का उत्पादन 67-68 में हुआ यदि हम सारे आंकडे को देखते हैं तो उसमें साफ़ संकेत है। जहां तक सिंचाई का सवाल है राजस्थान में केवल 15 प्रतिशत भूमि है जो इसमें लाई जा सकी है। 15 वर्षों में यह आपकी प्रगति है। यह प्रगति सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती है। मैं यह मानकर चलता हूं कि हमें और अधिक प्रगति करनी चाहिये थी और अधिक साधन जुटाये जाने चाहिये थे।

जहां तक इरीगेशन से सिंचाई का प्रश्न है मैं यह मानकर चलता हूं कि माइनर इरीगेशन स्कीम हमेशा काश्तकारों के लिये लाभप्रद होती है और विशेष परिस्थितियों में विशेष जगह में और भी अधिक अनुकूल पड़ती है। सिंचाई के लिये अभी पूरी जरूरत है लेकिन दूसरी बिजली है। मैं सवाई माधोपुर की बात कहता हूं वहां पर मीडियम इरीगेशन का काफी अच्छा काम चला है लेकिन इसके उपरान्त भी बहुत सारा क्षेत्र इस प्रकार रह जाता है कि मीडियम इरीगेशन के द्वारा सिंचाई उपलब्ध नहीं हो सकी है बल्कि वहां केवल कुएं से सिंचाई होती है।

यदि योजना का प्रारम्भ इस ढंग का बनाया जाये कि जो क्षेत्र मीडियम इरीगेशन या मेजर इरीगेशन वर्क्स के माध्यम से दूर रहे गये हैं और कुओं के द्वारा वहां पर सिंचाई की जा सकती है तो बिजली वहां पर अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन आखिर कैसे कराई जाये? जब आपकी योजना का इम्पलीमेन्टेशन का

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

प्रश्न आता है तो आपके सामने पार्टी की हार और जीत का प्रश्न आ जाता है और इस प्रश्न के क्रियान्वयन ने योजना को बिलकुल असंतुलित कर दिया है। इसलिए आपका ख्याल यह रह जाता है कि कहां से कांग्रेस पार्टी जीत कर आई उस क्षेत्र में कुछ काम कर दिया और कहां हार कर आई वहां आंसू पूंछने के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर दिया। सवाई माधोपुर, जिला गंगानगर जिले के बाद दूसरे नम्बर का है। वैसे भरतपुर भी कम नहीं पड़ता है। तो जो पूर्वी क्षेत्र राजस्थान का है वह इस प्रकार का है कि यदि सिंचाई और बिजली की सुविधायें वहां पर परिपूर्ण कर दी जायें तो पूर्वी राजस्थान का पूरा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान को चाहे कितनी ही बार अकाल पड़े जहां तक चारे और अन्न का प्रश्न है उसको कभी भूखों नहीं मरने देगा और न कभी आवश्यकता पड़े राजस्थान को इस बात की कि जिसके कारण से केन्द्र से और बाहर से अन्न लाने की आवश्यकता पैदा हो। तो जहां तक मीडियम इरीगेशन वर्क्स का सवाल है पूर्वी राजस्थान में वह अधिक है वहां पर आपको एक काम्प्रीहेन्सिव प्लान बनाना चाहिए कि इसके बाद

(1.42 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

में कौन से ऐसे गांव रह गये हैं जहां कुए काफी हैं और पानी की बहुतायत है लेकिन बिजली के अभाव के कारण वहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होने के कारण वे कुएं उतने अधिक उपयोग में नहीं आ सकते जितने कि बिजली के साधनों से। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे हमारी राज्य सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में एक आदेश जारी किया था और उसमें रखा था कि इस वर्ष जो मौजूदा लाइन चल रही है उसके एक मील के सर्किल में जो लोकेलिटी आ जाती है उसका विद्युतिकरण कर दिया जाये, लेकिन उसकी जो क्रियान्विति हुई है वह बड़ी डिफेक्टिव हुई है और वह इस माने में डिफेक्टिव हुई है कि उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक मील का जो राज्य सरकार का सरकूलर था इसकी मेरे क्षेत्र में सही क्रियान्विति होती तो कम से कम 80 गांव इलेक्ट्रिफाइड हो जाते एग्रीकल्चर की दृष्टि से और लाइट की गांव वालों को कोई आवश्यकता नहीं है। वह 80 गांव ऐसे थे कि जो सवाई माधोपुर में सबसे अधिक उपज की दृष्टि से ऊंचे माने जाते हैं लेकिन राजनैतिक कारणों से वहां की रिपोर्ट पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने बना कर भेजी थी उसको ताक में रख दिया गया। इसी प्रकार से पुराने दूसरे काम हैं चाहे वो सड़कों के हों। हमारे वहां पर जो सड़क सन् 52 और 55 में स्वीकृत होकर जिसका काम चालू हो गया था बौंली से निवाई तक की उस पर 1½ लाख रुपया खर्च हो गया और उसके ऊपर ब्रिज पर 1½ लाख रुपया खर्च हो गया इस तरह से उस 3 लाख का तो खर्चा हो गया लेकिन सड़क की हालत यह है कि उस पर गाड़ियां चल नहीं सकतीं, बसें चल नहीं सकतीं क्योंकि वह कच्चा काम हुआ था। उस पर स्टोन बिछा दिये गये लेकिन उसके बाद में दुर्भाग्य से वहां पर कांग्रेस हार गयी और उस सड़क को बिलकुल

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बन्द कर दिया गया। उस पर पत्थर गिर गए, गिट्टियां गिर गयीं थीं और इस प्रकार मालूम होता है जैसे यहां सड़क तो नहीं बन रही है लेकिन सड़क का खण्डहर जरूर मौजूद है इस लिए वहां पर गाड़ियां पास नहीं हो सकतीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि निश्चितरूप से हमारे साधन सीमित हैं और यह भी निश्चित है कि हम अधिक साधन जुटाने में समर्थ हैं पर क्षेत्रीय पक्षपात के कारण सीमित साधनों का भी सही उपयोग नहीं होता

टैक्सेशन का भार जितना अधिक हो सकता था हमारे राजस्थान के अन्दर पब्लिक के ऊपर डाला गया और परिणाम यह है कि राजस्व कर और अराजस्व कर सब को मिला कर प्रति व्यक्ति 34 रुपया कर के रूप में राजस्थान सरकार को देना पड़ता है लेकिन विकास के काम में प्रति व्यक्ति 7 रुपया ही खर्च होता है। तो यह जो कर लगाने का तरीका है वह सही नहीं है। कर लगाने के पहले आप स्वयं में मितव्ययता रखें किंतु ऐसा लगता है कि मितव्ययिता का शब्द राज्य सरकार ने अपनी डिक्शनरी से, शब्द कोष से बिलकुल ही निकाल दिया, आर्थिक नीति में राज्य सरकार को मितव्ययिता का खयाल जैसे है ही नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि मितव्ययिता को अपनाया जाये और उसके बाद में जो फण्ड्स अवेलेबल हैं, अधिक से अधिक अच्छे तरीके से उनका यूटीलाइजेशन किया जाये और इस बात की पूरी निगाह रखी जाये कि जो राज्य सरकार में आमदनी होनें वाली है उसमें लीकेज नहीं हो तो मैं निश्चितरूप से कहूंगा कि राज्य सरकार को राजस्व से योजना में लगाने के लिये और अधिक धन प्राप्त हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं मानकर चलता हूं कि कुछ स्थानीय महत्व रखने के सवाल पर भी ऑफिसेस को इधर उधर रखने होते हैं। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन की दृष्टि से एक ही हैं, एक जिला है लेकिन उसका हैड ऑफिस करोली में रखा है। करौली जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलकुल उत्तरी कोने पर है - पूरा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट रह जाता है और टोंक डिस्ट्रिक्ट उसके दक्षिण में चला जाता है। इसलिए शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय करौली केवल एक महत्व रखने के लिए रखा हुआ है। मेरा खयाल है कि और कोई कारण नहीं हो सकता शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय को करौली में रखने का केवल उसको महत्व देना था। अगर उसको हटा दिया जाता है तो कोई करौली का महत्व घटने वाला नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल पहले से ही मौजूद है और इसके अलावा और भी एक दो ऑफिसेज हैं। वहां पर एस. टी. सी. स्कूल है और कॉलेज भी वहां पर है। तो उस दृष्टि से जो सुझाव दिया है कि दोनों जिलों के मध्य में कहीं पर उस शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय को स्थापित किया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसा करने पर मैं मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार को टी०ए० और डी०ए० में कम से कम 50 हजार रुपये साल की बचत हो सकती हैं। इतने बड़े बड़े आफिसेज हैं वह दूर दूर फिके हुए हैं इसके कारण अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ता है। जब आर्थिक विपत्ति राज्य सरकार के ऊपर है तो केवल महत्व बढ़ाने की वजह से एक ऑफिस को वहां पर रख दें तो यह उचित नहीं है, उसका ज्यादा असर राज्य सरकार की जेब

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

पर पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम ऐसा करने से एक करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस समय कि टैक्सेशन की वसूली का प्रश्न होता है चाहे वह लैण्ड रेवेन्यू का प्रश्न हो, चाहे बिक्री कर का प्रश्न हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी का प्रश्न हो, मैं यह कहने में कतई नहीं हिचकिचाऊंगा कि चाहे वह माइनिंग लीज का प्रश्न हो, इन सब में जो आय के श्रोत हैं सब में लीकेज है और जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आ पाता और जो करदाता है उसकी जेब से तो उतना ही पैसा जाता है निश्चितरूप से, लेकिन असेसमेंट के टाइम पर या दूसरे टाइम पर वह पैसा कम असेस हो जाता है और राज्य सरकार को कम आय होती है। इस प्रकार 10-15 परसेन्ट का लीकेज बराबर है। और खर्चा करते समय खुलेआम जानते हैं कि 20-25 परसेन्ट जो भी एलोकेशन होता है उसमें ऊपर के खर्चे के लिए बाकायदा प्रावधान रहता है और एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं और खर्च होते समय तो 25 परसेन्ट तो खर्च नहीं हो पाता है बल्कि प्राइवेट पोकेट में इधर उधर चला जाता है तो राज्य के ऊपर जहां आर्थिक संकट है वहां इस पर थोड़ा आपको न्याय करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह डर है कि क्योंकि सन् 67 के चुनावों के बाद जो सरकार की नीतियां हैं उससे वसूलियां पूरी की जा सकेंगी। वैसे तो यों कहना चाहिए कि हमारा नेशनल करेक्टर उतना ऊंचा नहीं रहा है जितना कि आजादी के दिनों में था।

लेकिन उसमें धीरे धीरे इतनी गिरावट आती ही चली गई कि जिसके कारण इसको हम नियन्त्रण करने में सर्वथा असमर्थ हैं। लेकिन जब आज सरकार की पोजीशन इतनी मजबूत है, मैं यह मानकर चलता हूं कि यह समय है। देश में पहले नेहरूजी भी अगर चाहते तो कांग्रेस की हालत को ठीक कर सकते थे और देश में दूसरे प्रकार के नियन्त्रण ला सकते थे और उस समय भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते थे। आज राजस्थान में जब ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि ये हालात ठीक किये जा सकते हैं, लेकिन दल के पास कोई काम नहीं है आॅफिस में खाली बैठे हैं, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस बात की कल्पना करके नहीं चल सकते हैं कि हमको स्वच्छ प्रशासन मिलेगा। आज का शासनतन्त्र पूरा करप्ट है। करप्ट होने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीति जो इस देश में या इस राज्य में आज चल रही है उसे अपनी दिशा बदलनी होगी। इसलिए यदि जब सरकार नियम बनाती है, अधिनियम जितने भी हैं उनको यह सदन बनाता है, आप अधिनियम सदन में पास करवाते हैं, उनके अधीन नियम राज्य सरकार बनाती हैं तो उनका इन्टरप्रिटेशन उसके प्रशासनिक आफिसर्स पर छोड़ा जाय। उनको इन्डिपेन्डेन्ट रहने दिया जाय और इन्डिपेन्डेन्ट वर्क करने दिया जाय तो आज शासनतन्त्र में बहुत अधिक लोग इतने अच्छे हैं कि हालत में आवश्यकरूप से सुधार ला सकते हैं।

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

बजट से जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का प्रश्न है, मैं यह कह सकता हूं कि जो कुछ यह बजट है वह किसान-विरोधी बजट है। वह किसान-विरोधी बजट इसलिए है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय को स्पष्ट कहना पड़ता है कि जिसको आप अधिक दूध देने के लिए कामधेनु की गाय कहकर चलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि आप बिल्कुल कसाई बन जाना चाहते हैं और उस कामधेनु को समाप्त कर देना चाहते हैं। जो कुछ सेटलमेंट रेट के अनुसार लगान किसानों का कायम होता है वे बन्दोबस्त की रेट के मुताबिक लगान देते हैं। बारानी जमीन है और अगर उसको चाही बनाते हैं तो लगान बढ़कर चाही का हो जाता है। कमाण्ड एरिया में अगर वह जमीन आती है तो पिलाई वह देते ही हैं लेकिन संग के संग बैटरमेंट लेवी है, तो फिर कौन सा ऐसा सैंस रह जाता हैं, जो कुछ फायदा या इम्प्रूवमेंट राज्य सरकार किसान के लिए करती है तो उसका एवजाना किसान नहीं देता है? वह निश्चितरूप से देता है। लेकिन बजट के भाषण में आपने कह दिया कि 10 एकड़ जमीन जिस किसान के पास होगी उससे सरचार्ज नहीं लिया जायगा, मगर 50 रुपये लगान हैं और 50 रुपये लगान की सीमा में पहुंच गया तो 50 रुपये का डेढ गुना लगान उसको देना पड़ेगा और 100 रुपये पर आगया तो पौने दो गुना और 100 रुपये से ज्यादा चला गया तो दुगुना हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह किस आधार पर है? वित्त मंत्री ने यह क्यों बढाया है। सरचार्ज लगाने के बारे में कारण दिया है कि हमने यह देखा हैं कि 67-68 में जो हैं फूडग्रेन बिलकुल टार्गेट्स पर पहुंच गये, एकदम प्रगति हुई और रेकार्ड प्रोडक्शन था, और दूसरा वह शायद मानकर चले हैं कि बारिश की दृष्टि से बहुत भयंकर अकाल राजस्थान के 26 में से 23 जिलों में आज है, लेकिन प्राइस की दृष्टि से हमारे यहां कोई अधिक महंगाई नहीं बढ़ी है। ये वह स्वयं मानते हैं कि वह बहुत जरूरी है कि 67-68 में पहले की अपेक्षा एकदम दुगनी महंगाई होगी। यह जो आपका कहना है कि बीच में प्राइस बढ़ी नहीं हैं और प्रोडक्शन कुछ हैवी हुआ है, इसलिए किसान इस क्षमता में हैं कि वे राज्य सरकार को टैक्स दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इनकम टैक्स है वह भी 3600 रुपये की आय पर केन्द्र द्वारा लगाया जाता है। इससे कम आय वालों को तो केन्द्र ने भी छोड़ दिया है। मैं केवल इस आस्पेक्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि 50 रुपया जो लगान देता है उसकी 3600 रु० आय हो सकती है या नहीं? मेरे ख्याल से 3600 रु० की आय नहीं होती है। फिर इस आमदनी को, किसान की आय को एक पृथक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, और वह इस दृष्टि से कि किसान का पूरा कुनबा, पूरा परिवार अपना श्रम कृषि में लगाता है और सारे का सारा अगर मान लिया जाय कि उनका अपना शारीरिक श्रम है और उसकी मेहनत को निकाल दें उपज में से तो बहुत इस प्रकार का रह जाता है जिसको आमदनी की संज्ञा दी जा सकती है। पिछले दिनों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो बिजली के चार्जेज और दूसरी प्रकार की

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

लागें, रक्षा कोष का पैसा, अकाल कोष का पैसा पटवारी की मार्फत उस पर लाद दिया जाता है। किसान जो कि आज की प्रशासनिक व्यवस्था से रोता रहता है उसके ऊपर यदि इस प्रकार का हम सरचार्ज लगाते हैं कि 49 रुपया है तो उसको माफ और 50 रुपया हैं उसको 50 रुपया और उससे ज्यादा हैं तो और ज्यादा देना पड़ेगा, तो इस लाग का मैं घोर विरोध करता हूं, और इसलिए इस बजट को मैं किसान विरोधी बजट मान कर चलता हूं।

यह माना जा सकता है कि कम से कम टैक्स या सरचार्ज इस प्रकार का हो कि उसकी हम किसान से योगदान की माँग कर चलते हों कि चूंकि उन्नति के काम जैसे रूरल-इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च करना चाहते हैं, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से सन्तोषप्रद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, हो सकता है कि अरबन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो। मेरे क्षेत्र में तो नाम मात्र भी नहीं हुआ है, यह मैं कह देना चाहता हूं। यदि आप यह चाहते हैं कि ऐसा हो तो कुछ सीलिंग का प्रोवीजन रखना चाहिए। सीलिंग को सीमा तक कोई सरचार्ज नहीं लगायेंगे। सीलिंग की सीमा से ज्यादा पर सरचार्ज लगाना चाहिए तो यह वाजिब चीज होगी। जिसका मुख्य धन्धा कृषि नहीं है और दूसरा काम करता है लेकिन उसके पास खेती की जमीन भी है तो उस पर सैस लगा सकते हैं। जो स्वयं काश्तकारी का धन्धा करता है उसके ऊपर 50 रुपये से कम की राशि को छोड़ कर यानि 49 रुपये तक की राशि को छोड़ कर 50 रुपये से ज्यादा है तो उस पर डेढ़ा सरचार्ज कर दिया है, उसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर निश्चितरूप से वित्त मंत्री महोदय पुनर्विचार करके उनको संशोधन प्रस्ताव लाना चाहिए। मेरा सुझाव तो इस में यह है कि सीलिंग तक की सीमा तक सरचार्ज मुक्त रहना चाहिए। ऐसा करने से सीलिंग लागू करने में फायदा होगा और सीलिंग के सिद्धान्त में लोगों का विश्वास होगा। आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से वह ठीक है, और जिस समाजवाद को आप लाना चाहते हैं उस दृष्टि में मेरे ख्याल से यह उपयुक्त होगा।

अब मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं आप को...

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है और आपके दल के अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं।

यह फिफ्थ प्लान के बारे में इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यद्यपि संदन के सम्मुख अभी तक जो प्रतिवेदन राज्य सरकार ने पंचम वित्तीय आयोग को दिया है नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो केन्द्र ने सिफारिश मानी है वह अभी 213 करोड़ के लगभग है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो कुछ भी राजस्थान में बाकी है या जिस स्थिति में राजस्थान में आयोजन आरम्भ हुआ है तो उससे दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ही धीमी रही है और यहां दूसरी परिस्थितियों के सामने हमको बराबर करना पड़ रहा है इसलिए यह जो प्रारूप हमारा

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

चौथी पंचवर्षीय योजना का है यह बहुत ही ऐसा नजर आता है कि जिससे यह आशा करके नहीं चल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ सकेगी या हम सम्पन्नता की दृष्टि से अधिक अच्छे होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, समाज में निश्चितरूप से एक ऐसा वर्ग मध्यम श्रेणी में पैदा हो गया है जो स्वयं खूब सम्पन्न है और वह गरीब जनता और राजतन्त्र के मध्य में एक ऐसी दीवार बन कर खड़ा हो गया है जिसके कारण जो कुछ आराम, सुख और समृद्धि को नीचे तक नहीं पहुंचने देता है और बीच में ही शोषण उसका हो जाता है।

(2 म. प.)

यदि उस वर्ग को राज्य सरकार अपनी नीति से पृथक् कर सके तो बहुत अच्छा होगा और उसका फायदा उनको मिल सकेगा। अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य को स्वयं कटौती करनी चाहिए। राज्य के खर्चे में कमी करनी चाहिए। इसका इशारा हम को दिल्ली में भी मिलता है कि मन्त्रिमण्डल बड़ा है। इसको निश्चित रूप से कम करना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो कुर्सी के लालच में इधर से उधर जाकर बैठ गये हैं वे जब साधारण सदस्य की हैसियत से बैठते हैं तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : फिर मोटर और बंगले कहां रहेंगे ?

श्री हरिबल्लभ शर्मा : वह लोग जो कार्य करते हैं वह केवल इतना ही होता है कि कोई शिकायत हुई, उसकी रिपोर्ट ली और यहां पढ़ कर सुना दी। यदि यही लोग स्वयं उस क्षेत्र में जायें तो प्रशासन में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। जैसा कि मैंने एक विज्ञान कक्ष का प्रश्न लिया था। नतीजा क्या हुआ ? सवाई माधोपुर में एक दिन भी विज्ञान कक्ष नहीं खुला। उसकी जो छत टूटी थी वह रुपया सरकार का यों ही चला गया। लेकिन वह विज्ञान कक्ष में नहीं गया। छोटे मोटे काम भी नहीं हो पाये हैं। अभी यहां बात चल पड़ी है तो कहना पड़ता है, उनको किसी कांग्रेसी की चिन्ता नहीं है लेकिन जो कांग्रेस के खिलाफ हैं राज्य सरकार उनको व्यक्तिगत-रूप से परेशान कर रही हैं भय के द्वारा कार्य किया जाता है। यदि उनको किसी प्रकार का सरकारी कार्य मिल जाता है तो छीन लिया जाता है। अगर विरोधी को ठेका मिल गया है तो उनसे छीन लेते हैं। रिवेंजफुल एटीट्यूड अपनाया जाता है। जितने भी सार्वजनिक भवन निर्माण होते हैं, सरकार कहती है कि वह विभाग द्वारा करायें जायेंगे। कई जगह विभाग द्वारा करवाये जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में विभाग के आधार पर हॉस्पिटल निर्माण का काम चलाया जा रहा है उसकी स्थिति यह है कि नींव खोदने का ठेका किसी को और भरने का काम दूसरे को, और चूनागारी का काम तीसरी पार्टी को और पट्टियों का ठेकेदार पांचवां है। यह इस प्रकार का कार्य किया जाता है। जब राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि इस प्रकार स्वयं काम न लेकर अलग अलग करते हैं। जिसके कारण घोटाला होता है। अगर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

नीति के रूप में काम किया जाये तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुख्य मन्त्रीजी !

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस वर्ष के बजट का जो सामान्य वाद विवाद चल रहा है, उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने••••

(2.05 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के चिन्तनीय वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। और, हमारे घाटे के बजट के बारे में भी काफी चिन्ता व्यक्त की है। साथ ही यह बात भी कही है कि राजस्थान में हम केन्द्र के जरिये ज्यादा धन प्राप्त करें और राजस्थान के अन्दर टैक्सेज कम से कम हों। और हमारी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ज्यादा बड़ा है। माननीय अध्यक्षजी, जो तथ्य इस सदन के समक्ष हैं, उसमें यह बात स्पष्ट है कि राजस्थान का इस वर्ष का बजट रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही डेफिसिट है। और, उसके सम्बन्ध में जैसा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बताया है कि जहां रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल है, फाइनेंस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जुलाई के अन्त तक आने वाली है और मैं यह मान कर चलता हूं फाइनेन्स कमीशन रेवेन्यू डेफिसिट के घाटे को पूरा करेगा। फाइनेन्स कमीशन का इसीलिए निर्माण किया जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स का न रहे। इस आशा से उनको अन्कवर्ड रखा गया है माननीय अध्यक्षजी, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं राजस्थान की पिछली 3 पंच-वर्षीय योजनाएं और पिछले दो वर्ष की योजनाओं के काम में 507 करोड़ रुपया इस राजस्थान के अन्दर व्यय हुआ है। इस व्यय होने में राजस्थान में जहां तक लोन कम्पोनेंट का सवाल है, हमारे प्लान एक्स-पेंडीचर में वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा रहा है। और इसी वजह से रीपेमेंट का सवाल राजस्थान के अन्दर ज्यादा मुश्किल हुआ है। अब जो आगे योजना का आधार मान कर चला जाने वाला है, उसमें इस बात को माना जा रहा है कि लोन और ग्राण्ट कम्पोनेंट एक डेफिनेट परसेंटेज हो। उसमें मैं आशा करता हूं कि जो पिछले बजट में आया है उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी के आधार पर सदन को सूचित करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो टोटल 507 करोड़ का एक्सपेंडीचर हुआ है, उसके अन्दर 334 करोड़ और 48 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस से। उसमें ग्राण्ट कम्पोनेंट और लोन कम्पोनेन्ट उसके अन्दर है। और दूसरी स्टेट्स हैं। हमारे यहां बनता है 12 से 14 परसेन्ट है। जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स है। ऑल इन्डिया एवरेज जो आता है वह करीब 24 परसेन्ट आता है। आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर स्टेट्स के अन्दर एलोकेशन हुआ है। उसमें महाराष्ट्र जैसे में स्टेट ग्रांट कम्पोनेंट 51 परसेंट बनता है। जबकि वह स्टेट ज्यादा प्रासपरस है। लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस जो लिया गया उसका कम्पोनेंट का परिणाम जो होता है वह 51 परसेंट ग्रांट का हिस्सा है जब कि हमारे यहां प्लान 12 से 14 परसेंट बनता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस वजह से हमने भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के सामने और वित्त मंत्रालय के सामने इस बात को रखा है कि जो रिपेमेंट का सवाल है वह है चौथी योजना के अन्दर इस प्रकार से फेज आउट किया जाना चाहिए कि जिससे केपीटल साइड पर जितने हम एफर्ट्स कर सकते हैं केपीटल रिसोर्सेज से, उसके अलावा जो हम टैक्सेशन के जरिये और रिसोर्सेज रेज करें वह कैपिटल साइड के रिपेमेन्ट के अन्दर खर्च न होकर हमारे प्लान को बढ़ाने के अन्दर उपयोग में आ सके। वह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बताया था कि भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने इसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए और अन्तिम रूप से निर्णय करने का आश्वासन दिया है।

माननीय अध्यक्षजी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाल कर ज्यादा से ज्यादा वित्तीय साधन प्राप्त करने के बारे में आज देश भर में चर्चा चलती है। हर एक प्रदेश इस बात को कह करके चलता है कि भारत सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसियल पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए। यह एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल है जो आज स्टेट्स उठाती हैं। जहां तक फाइनेंसियल रिलेशन्स स्टेट गवर्नमेंट्स और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, इसके सम्बन्ध में आज इन्कम टैक्स, कोर्पोरेट टैक्स, यूनियन एक्साईज ड्यूटी का, एक तरह से मानें, जो डिवोल्यूशन होता है, वह इन्कम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का होता है जो स्टेट को आता है। आज इसको अलग अलग स्टेट्स के अन्दर बांट दिया जाता है। जिस स्टेट में जितनी इन्कम टैक्स हो, या जिस स्टेट में इन्डस्ट्री हो और उससे जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी होती है वह स्टेट में रहने लग जाय तो उसका परिणाम राजस्थान जैसी जगह के लिए, मैं समझता हूं, विपरीत आयेगा। इस दृष्टि से विपरीत आयेगा कि आज इन्कम टैक्स में जहां पोपूलेशन के हिसाब से अस्सी पर्सेन्ट के करीब डिवीजन होता है और हिन्दुस्तान के अन्दर बीस पर्सेन्ट वहां के कलेक्शन के हिसाब से है, वह अगर केवल कलेक्शन के सोर्स पर किया जाय तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल के अन्दर स्थिति के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर आ जायगा। माननीय अध्यक्षजी, अन्य प्रदेशों को डिवोल्यूशन के बारे में हमारे फाइनेन्स कमीशन में जो अभी तक पैटर्न है 80 पर्सेन्ट के हिसाब से, बीस पर्सेन्ट बैकवर्ड के हिसाब से यूनियन एक एक्साइज ड्यूटी का एक ऐसा हिसाब है कि जिसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा आमदनी का डिवोल्यूशन हो रहा है उसके अन्तर्गत बढ़ता जा रहा है। और हमने यह सजेस्ट किया है कि बीस पर्सेन्ट के बजाय बैकवर्डनेस के आधार पर 33.3 पर्सेन्ट, मतलब, वैसे थोड़े प्रदेशों के अन्दर डिवोल्यूशन होना चाहिए बैकवर्डनेस के आधार पर, और 66.7 पर्सेन्ट जो डिवोल्यूशन हो वह पोपूलेशन के आधार पर हो। इस प्रकार का फार्मुला एडाप्ट किया जाता है तो उससे भी हमारे पास सरप्लस हो जायगा—यह कह कर नहीं चल सकते। लेकिन जो ग्रान्ट कान्स्टीट्यूशन के अन्दर दी जाती है उसके अन्दर कुछ अन्तर पड़ेगा। तो आज भारत सरकार से काफी जो ग्रान्ट दी जाती है उसमें एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो है- प्लानिंग कमीशन, जिसके बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, प्लान का एलोकेशन भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन का स्टेट्युअरी फंक्शन है और प्लानिंग कमीशन को टाइम टू टाइम इन चीजों को रिवोल्व करना पड़ता है। जहां तक फाइनेन्स कमीशन का सवाल है वह एक निश्चित आधार पर डिवोल्यूशन का फार्मूला तय करती है। प्लानिंग कमीशन के अन्दर इस बार इस बात पर पहली बार चर्चा हुई थी कि पैटर्न क्या हो सेन्ट्रल असिस्टेन्स का डिफरेन्ट स्टेट्स के बीच में और वहां पर हमने अपनी तरफ से इस बात को रखा था कि केवल पोपूलेशन के आधार पर यह जो असिस्टेन्स दी जाय तो यह ठीक नहीं समझा जा सकता। असिस्टेन्स देने में इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि स्टेट की बैकवर्डनेस क्या हैं, वहां का एरिया क्या है, वहां की पर-कैपिटा इन्कम क्या है और वहां पर कौनसा ऐसा प्राजेक्ट है जिसका परिणाम काफी अर्से के बाद आयेगा, रिटर्न होना शुरू हो जायगा, जैसे राजस्थान कैनाल जैसा प्राजेक्ट है; और इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए इस बार सेन्ट्रल असिस्टेन्स का फैसला हुआ है और जो कम्युनिकेट हुआ है सब स्टेटों को, उसके अनुसार हमको 217 करोड़ रुपया सेन्ट्रल असिस्टेन्स के नीचे कन्वे किया गया है। यह 217 करोड़ रुपया, सारे स्टेटों को, जिसमें आसाम और जम्मू काश्मीर को छोड़ कर चला जाय तो 3100 करोड़ में से 217 करोड़ रुपया राजस्थान को उन्होंने एलॉट किया है। इस 217 करोड़ रुपये के आधार पर राजस्थान की, जो आबादी इन 3100 करोड़ रुपयों के अन्दर से हिस्सा लेगी, उसमें राजस्थान की आबादी के हिसाब से राजस्थान का 5.1 पर्सेन्ट का हिसाब आता है, उस अनुपात में अगर उस हिसाब से बांटा जाता है तो हमारा हिस्सा 5.1 पर्सेन्ट होता है। लेकिन यह 217 करोड़ रुपया है, इसके हिसाब से यह करीब 3100 करोड़ रुपये का सात पर्सेन्ट होता है, मतलब दो पर्सेन्ट के वेटेज के करीब है, 35, 40 पर्सेन्ट वेटेज राजस्थान के अन्दर बैकवर्डनेस कहिये या जो फोर्मूला हमने रखा उसका परिणाम कहिये. उस बात को मान कर चला गया है।

माननीय अध्यक्षजी, यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि फोर्स ज्यादा काम में लेने से ज्यादा बात होती है। लेकिन एन. डी. सी. के अन्दर कान्शसनैस परस्यूएशन और कन्सेन्ट से काम करने का सिलसिला हुआ करता है। मैं समझता हूं, यह फार्मूला एडाप्ट किया गया है, इस फार्मूला से कुल मिला कर जो बैकवर्डनैस कन्ट्री की है उन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही जिन स्टेट्स ने एफर्ट्स ज्यादा किये हैं टैक्सेज से उनको वेटेज ज्यादा मिला है। लेकिन प्रश्न इस बात का रहता है कि जो स्टेट सेक्टर के अन्दर प्राडक्शन के चैनेल्स हैं, खास तौर पर एग्रीकल्चर को स्टेट सेक्टर में डालना पड़ेगा, जो पावर है, वह पावर भी स्टेट सेक्टर में आ जाता है, इसके अलावा एजूकेशन है, मेडीकल है, कम्यु-

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

निकेशन वगैरह है जो आम लोगों से रात दिन सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी बातें हैं वह स्टेट सेक्टर में आती हैं। मेरा यह मानना है कि आज की जो आल इंडिया सर्विसेज पोजीशन है और जो स्टेट्स की आवश्यकताएं हैं, और जो स्टेट्स की फाइनेंसियल पोजीशन है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि जो टोटल नेशनल प्लान आउटले होने वाला है उसमें सेन्ट्रल सेक्टर के अन्दर कमी की जानी चाहिए और स्टेट सेक्टर के अन्दर बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए, जो 3100 करोड़ रखा गया है उस 3100 करोड़ को बढ़ाया जाना चाहिए कि जिससे आवश्यक योजनाओं को हाथ के अन्दर लिया जा सके, और इस बात को जो अगामी नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मिटिंग होगी उसके अन्दर हम अपनी तरफ से उठायेंगे। मुझे आशा है कि कुछ और राज्य भी इसके सम्बन्ध में जोर देंगे और इस दृष्टि से विचार करके चलना होगा कि जो आज हमारी आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति कर सकें। तो सारी बातें होते हुए भी आज 217 करोड़ रुपये, जिसमें फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन के 19 करोड़ को भी शामिल कर लिया जाय तो यह बात सामने रख कर चलें तो 236 करोड़ रुपये का प्लान है वह और कुछ बढ़ जायगा, उसको लक्ष्य में रख कर चलें तो भी राजस्थान की जो आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने कि जहां तक सेन्ट्रल असिस्टेन्स का सवाल है, चौथी योजना में अलग अलग स्टेट्स को कितना अमाउन्ट हमारे इस 217 करोड़ के कम्पेरीजन में दिया गया है, इसके ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रति व्यक्ति सेन्ट्रल असिस्टेन्स दिया गया, उसमें राजस्थान को प्रति व्यक्ति सेन्ट्रल असिस्टेन्स 79.9 रुपीज पर केपिटो था, उसके कम्पेरीजन में आन्ध्र प्रदेश को 61.3, आसाम और नागालैन्ड और जम्मू काश्मीर को मैं छोड़कर चलता हूं, बिहार के अन्दर 79.9 के मुकाबले में 46.4, महाराष्ट्र को सिर्फ 42.1, गुजरात को 44.2, हरियाणा और पंजाब को 62.2, केरल को 72, मध्य प्रदेश को 67, मद्रास को 55, मैसूर को 63.3, उड़ीसा को 78.1, उत्तर प्रदेश को 48.3, वेस्ट बंगाल को 44.4, और राजस्थान को मैं फिर रिपीट करता हूं, 79.9। इसका मतलब यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश में आसाम और जम्मू काश्मीर को छोड़ करके, जो आमतौर से अलग ट्रीट किये जाते हैं, राजस्थान को सेन्ट्रल असिस्टेन्स पर केपिटा सबसे ज्यादा उपलब्ध हुई थी। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। चौथी योजना में मैंने जैसा निवेदन किया, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके सम्बन्ध में भी मैंने आपसे निवेदन किया कि कुल मिलाकर के क्या स्थिति बनती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पहले से चली आ रही है वित्तीय स्थिति, उसका इन सब चीजों पर असर पड़ता है अखिर तो। फाइनेन्स कमीशन ने, जो पिछली बार फाइनेन्स कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, जो डिवोल्यूशन के लिए तय किया उसके बाद राजस्थान के अन्दर फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही मंहगाई भत्ता और कुछ और कारणों से हमारे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

डेफिसिट की शुरुआत हुई। हमारे पास सरप्लस प्लान के अन्दर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसके लिए जरिया नहीं था। उसके कम्पेरीजन में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का डिवोल्यूशन का फार्मूला था उस फार्मूले के तहत कोई ग्रान्ट-इन एड हम को आर्टिकल 275 में नहीं दी गई। फिर भी अध्यक्ष महोदय, बिहार के पास 89·25 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, इसी प्रकार से गुजरात के पास 8 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, महाराष्ट्र के पास 215.16 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, पंजाब के पास 29·83 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, उत्तर प्रदेश के पास 17.02 करोड़ का सरप्लस रेवेन्यू था, वैस्ट बंगाल के पास 13·97 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था। इस प्रकार से सारे जो स्टेट के पास रेवेन्यू सरप्लस था वह करीब 273 करोड़ रुपये इन सब छः स्टेटों में उपलब्ध था; बाकी स्टेट्स के पास रेवेन्यू सरप्लस नहीं था। माननीय अध्यक्षजी, जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जमींदारी एबोलिशन हुआ तो उसके बाद सीक्योरिटीज के तौर पर और खातेदारी हक भूमिदारी हक देने के लिए यू.पी. जैसी जगह पर जो किसानों से 20 गुना या कितना मल्टीपल लिया गया उससे भी रिजर्व फंड काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ। तो राजस्थान के सामने जो डिवोल्युशन फाइनेन्स कमिशन के जरिये हुआ है उसमें सरप्लस अवेलेबिल नहीं है। उसके बाद, जो राजस्थान को पर-कैपिटा ऐसिस्टैन्स मिलता था, उसमें ज्यादा से ज्यादा होते हुए भी, टोटल प्लान आउटले का जहां तक सवाल है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है और दूसरी स्टेट्स हैं, उनके खुद के रिसोर्सेज हैं, उनके खुद के एफर्ट्स हैं वे हमसे कहीं ज्यादा हैं और उनका प्लान आउटले हमसे कहीं ज्यादा है।

आज, माननीय अध्यक्षजी, यह सभी जानते हैं कि देश की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि जिनका इन्डस्ट्रैलाइजेशन का बेस पहले से बना हुआ है। वहां पर बिजली बहुत पहले से ही उपलब्ध थी, और दूसरी तरह की सुविधाएं और मशीनरी पहले से बन गई जहां हाइडेल सिस्टम पहले से है और जिस वजह से उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत कम है। दूसरी ओर कई स्टेट्स हैं कुछ को छोड़कर, जिनके पास कि डेवलप्ड इन्डस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं। माननीय अध्यक्षजी, सेल्स टैक्स के बारे में भी अगर कभी अर्बन पापुलेशन और रूरल पापुलेशन के रेशो को देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि सेल्स टैक्स की इनकम का प्रपोर्शन अर्बन पापुलेशन पर वैरी करता है। जहां जितना अर्बन पापुलेशन ज्यादा होगी उतना सेल्स टैक्स का रिटर्न ज्यादा होगा। जहां तक सेन्ट्रल सेल्स टैक्स का सवाल है, वह भी उस जगह ज्यादा उपलब्ध होगा जहां से बाहर के लोग आकर सामान खरीदेंगे। तो इन्टर स्टेट या सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की जो उपलब्धियां होती हैं उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति है कि जहां राजस्थान के अन्दर 1968-69 के बजट के अन्दर प्रतिव्यक्ति आय 1.29 उपलब्ध हुई, उसके मुकाबले में महाराष्ट्र में 6.12 प्रति व्यक्ति आय होती है और उसके बाद बंगाल में 5.26 और इस तरह से राजस्थान का इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स रिसोर्सेज में कहीं 12 वां या 13वां नम्बर आता है दूसरी स्टेट्स के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कम्पेरिजन में। इसलिए हमें आज इस तरह की एफर्ट्स करनी पड़ेगी जिससे हम राजस्थान के अन्दर एक इन्डस्ट्रियल बेस इस प्रकार का बना सकें जिससे हमारे यहां की प्रोड्यूस की हुई चीजें बाहर जायें, और हमें भी दूसरी स्टेट्स की तरह इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स का जो रिसोर्स है वह अवेलेबिल हो सके।

अब इनके मुकाबले में, अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में इस पिछली पंच वर्षीय योजना में, बल्कि इस वर्ष के अन्त तक, राजस्थान में इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स पर 180 करोड़ रुपये करीब इनवेस्ट होंगे या हो चुके होंगे। ये 180 करोड़ रुपये जो इर्रीगेशन प्राजेक्ट्स पर खर्च हुए हैं उसका इन्टरेस्ट ही करीब करीब साढ़े आठ करोड़ होगा। उस इन्टरेस्ट और मेन्टेनेन्स को मिलाकर साढ़े आठ, नौ करोड़ बनते हैं और उसके मुकाबले में राजस्थान को इर्रीगेशन से जो इनकम हो रही है वह इनकम 1.75 करोड़ रुपये के आस पास पड़ती है। तो इस प्रकार राजस्थान में जो इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा हुआ है उसके इन्टरेस्ट और मेन्टेनेन्स के खर्च में से यह इनकम निकाली जाये तो राजस्थान को हर साल करीब 6 करोड़ रुपये का घाटा होता है आज जो इर्रीगेशन रेट्स हैं राजस्थान में उनके हिसाब से। तो इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे जो नये बने हुए इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने जो इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिटर्न तो ठीक है, लेकिन जो नये प्रोजेक्ट्स बढ़े हुए कास्ट पर बनाये गये हैं, उनसे इनवेस्टमेंट का इन्टरेस्ट भी नहीं निकल रहा।

राजस्थान में दुर्भाग्य से वाटर वर्क्स की योजना हाथ में लेते हैं तो उसमें भी पानी बहुत दूरी से लाना पड़ता है। आज जोधपुर में पानी लाना पड़ता है जवाई बांध से और अजमेर में पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये बनास से लाना पड़ता है, जिस पर तीन करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इस प्रकार दूसरी स्टेट्स में जहां कम कोस्ट में पानी उपलब्ध हो जाता है, वहां राजस्थान में हमारी कास्ट बहुत ज्यादा होती है। हमारे जितने भी वाटर वर्क्स हैं उनका रिटर्न बहुत कम है।

माननीय अध्यक्षजी, कभी कभी माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा जाता है कि आप किसान पर क्यों टैक्स लगाते हो, क्यों नहीं इन्डस्ट्रीज पर लगाते हो। जहां तक कार्पोरेट सेक्टर पर टैक्स लगाने का प्रश्न है, वह हमारे हाथ में नहीं है, वह भारत सरकार के हाथ में है। उनमें इनकम टैक्स लेना भी भारत सरकार के हाथ है। राजस्थान सरकार नहीं लगा सकती। अब केवल एक ही बात रह जाती है कि इन्डस्ट्रीज को जो हम बिजली यहां देते हैं, उस बिजली की दर बढ़ा दें। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन्डस्ट्रीज के लिये देश में कम्पीटीशन हो रहा है। सभी प्रदेश यह चाहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण हो। आज मैसूर यह चाहता है कि वहां पर इन्डस्ट्रीज ज्यादा एस्टाब्लिश हों, महाराष्ट्र यह चाहता है कि वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज बनें, पंजाब और हरियाणा और दूसरे स्टेट्स भी यह चाहते हैं कि उनके यहां ही इन्डस्ट्रीज हों, केरल भी यह चाहता है कि वहां इन्डस्ट्रीज हों। तो सभी स्टेट्स के लोग यह चाहते हैं कि उनके यहां ही ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से ज्यादा इन्डस्ट्रीज एस्टाब्लिश हों। अब इस कम्पीटीशन के अन्दर उद्योग लगाने वाला उसी जगह जायेगा जहां उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। सुविधा की बात छोड़ भी दें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी उद्योग लगायेगा और पांच छः करोड़ का कारखाना यहां लगायेगा तो वह उसके रिटर्न को पहले आंकेगा और उसको आंक कर ही उद्योग लगायेगा। अब इन्कम टैक्स और सुपर टैक्स आदि में तो राजस्थान कुछ रिलेग्जेशन दे नहीं सकता है। अब राजस्थान के औद्योगिक विकास का लक्ष्य लेकर चला जाये, तो हमें इन उद्योगों को अपने यहां लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। माननीय अध्यक्षजी, आज भी हमारे राजस्थान में दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में काफी रिसोर्सेज हैं। हमारे यहां काफी मिनरल्स हैं। राजस्थान में जिंक स्मेल्टर लगाने का प्रश्न आया। अब दूसरी स्टेट्स में जब चार पैसे युनिट पर बिजली मिलती है तो हमारे यहां 9 पैसे युनिट की बिजली पर कौन उद्योगपति यहां आना चाहेगा। हमें जिंक बेचना है इन्टरनेशनल मार्केट में तो हमें उसका उद्योग यहां लाना ही होगा। तो हमने कहा कि हमारे राजस्थान में जो इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी हम लेते हैं वह आपको माफ कर देंगे और 8-25 या 7.15 का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक रेट्स देंगे, और इस बात के लिये उसको रजामन्द किया तब जाकर उन्होंने जिन्क स्मेल्टर यहां लगाना स्वीकार किया। अगर ऑल इन्डिया लेवल पर एक ही इलेक्ट्रीसिटी का टैरिफ बन जाये तो हम अपने प्रवासी राजस्थानियों को कह सकते हैं कि आप अपने उद्योग यहां आकर लगायें, लेकिन जब तक दूसरी जगह सस्ती बिजली मिलेगी दूसरी जगह चार पैसे में बिजली मिलेगी और राजस्थान में हम 10 पैसे में देंगे तो कहना तो हो सकता है लेकिन उद्योग नहीं आयेगा।

अगर हमारे यहां उद्योग नहीं आयेंगे तो जैसा कि मैंने बताया हमारा टोटल सेल्स टैक्स 23 करोड़ है और महाराष्ट्र का इन्डस्ट्रियल सेल्स टैक्स 24 करोड़ रुपया है, महाराष्ट्र केवल उद्योगों की वजह से 24 करोड़ का लाभ कमाता है।

तो हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हमारे यहां औद्योगीकरण हो, खेती की उपज बढ़ायें, खनिजों का विकास करें और जैसी आज हमारे यहां पिछड़ेपन की स्थिति है उससे आगे निकलने का प्रयत्न करें। हमने प्रयत्न किये हैं, किस दिशा में प्रयत्न करें, किस दिशा में साधन जुटाने का प्रयत्न करें। सेल्स टैक्स के लिये अगर 6 परसेन्ट 7 परसेन्ट सेल्स टैक्स है, उसके स्थान पर 10 परसेन्ट सेल्स टैक्स कर देंगे तो उसका भार कन्ज्यूमर पर जा सकता है और उससे कहीं डिमिनिशन रिटर्न्स नहीं होने लग जायं, इस आधार पर हमें सोचना होगा। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि कौनसे सोर्सेज अपने ऐसे हैं जिनकी तरफ आगे बढ़ें। हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि जो भारत सरकार से हमें 217 करोड़ मिले, उसी से काम चलावें, पंच वर्षीय योजना उसी से चलायें और जिसका विकास हो गया, हो गया, जो रह गया, वह रह गया, सौभाग्य से जिसके खेत पर पानी आ गया, वह तो

Page No.76

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खुश हुआ पर उससे अगर रिसोर्सेज नहीं लेंगे, अपने रिसोर्सेज को नहीं बढ़ायेंगे तो दूसरी जगह पानी नहीं जा सकता, जिसके यहां खेत पर पानी नहीं गया है, वह बिना पानी ही रह जायगा। एक जगह बिजली आगई, वह खुश हुआ, पर वह कहे कि हम पर वजन नहीं आना चाहिए तो दूसरी जगह बिजली नहीं ले जा सकेंगे।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सूखे खेतों में कुछ पैदा नहीं होता था, वहां पानी पहुंचाने से उत्पादन बढ़ा है, उस पर दो पैसे बढ़ा दिये तो, उस पर क्या भार पड़ने वाला है। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि किसानों की कमर तोड़ने वाला बजट है। दो रुपया ड्राई एरिया पर और 6 रुपया इर्रिगेटेड एरिया पर कर लगा दिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल अकाल की स्थिति थी तो किसान गन्ना 15 रुपया, 16 रुपया क्विन्टल में भी नहीं बेचते थे, खरीद दार पीछे पीछे गन्ना लेने के लिए दौड़ते थे पर किसान गन्ना नहीं बेचता था, वही आज गंगानगर में 10 रुपया क्विन्टल से कम भाव में देने के लिये गाड़े के गाड़े खड़े हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा गन्ना पहले खरीद लिया जाय, गुड़ के भाव पिछले साल से आधे से ज्यादा गिर गये, तो आज यह भावों में कमी आई है वह कैसे आई है। इसी तरह से मिर्ची 9 रुपये किलो में बिक रही थी पर पिछले साल प्रोडक्शन बढ़ा तो मिर्ची का भाव रुपया डेढ रुपया किलो हो गया, वह प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ गया क्या बारिश हो गई थी ? इसी तरह से गेहूं के भावों को ले लीजिये, 125 रु० क्विटल के भाव से गेहूं बिकता था, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि 70—72 रु० क्वि० में गेहूं बिकना मुश्किल होगया। तो ऐसी दशा में 2 रु० टैक्स ज्यादा वजनदार हो ऐसी बात नहीं है, यह तो एक नैग्लिजिबल फैक्टर बन जाता है, वह तो भावों के उतार चढ़ाव में कहीं कन्ज्यूम हो जाता है। फिर उसके लिए कहते हैं कि यह तो किस्मत की बात है, यह जानबूझ कर इस बात को कह रहे हैं। कुछ रुपया इससे आये और देश के विकास में उस रुपये को वापिस लगायें जिससे कि विकास के कार्य में चल सकें और हम आगे बढ़ें।

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रोपोजल वित्त मंत्री जी ने पेश किये हैं, चाहे इरिगेशन के लिये हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, चाहे एज्यूकेशन, रोड्स वगैरह के लिए हो, उसको माइनस कर दिया जाय और बजट में प्रावधान किया है उस पर निगाह डालेंगे तो हर माननीय सदस्य के ध्यान में आयेगा कि इससे इस प्रकार की पोजिशन बन जाती है कि हमारी गति रुक जाय। आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि हम हमारी गति कितनी आगे बढ़ाना चाहते हैं, गति को बढ़ाने के लिये कितने एफर्ट्स कराना चाहते हैं कि कितना आगे जा सकते हैं। आगे जाने की बात है तो प्रोडक्शन के लिहाज से आगे बढ़ें लोगों की हैसियत में आज कुछ फरक पड़ा है। आज से कुछ वर्ष पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि उदयपुर के हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर में सुपरफास्फेट निकलेगा, कोटा में यूरिया पैदा कर सकेंगे, खेतड़ी में जो तांबे का कारखाना है उससे टिपो फास्फेट पैदा कर सकें,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सीकर के सलादीपुर से राक फास्फेट से फर्टीलाइज़र पैदा कर सकेंगे, तो आज गति को तेज करने के लिये एफर्ट्स किये जा रहे हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 13,000 के खर्च पर एक आदमी को काम मिलता है और 217 करोड़ को 13,000 से डिवाइड करके कितने आदमियों को काम मिलेगा, यह बताने का प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर 13,000 पर एक आदमी को काम नहीं मिलता, यह तो इस पर डिपेन्ड करता है कि किस प्रकार के काम में किस प्रकार इन्वेस्टमेंट होता है, ओटोमाइजेशन में अगर 70 हजार का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे एम्प्लोयमेंट कम मिलेगा और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लोयमेंट ज्यादा होगा। जहां चौथी प्लान में एम्प्लोयमेंट का सवाल है तो हमारे राजस्थान में 217 करोड़ रुपया और उसके बाद में खुद के ऐफर्ट्स से करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट होगा, वह अलग फैक्टर होगा, इस सबका इम्पेक्ट राजस्थान की इकोनोमी पर होने वाला है। इस ओर राजस्थान में कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट सालों में 51 से 68 तक हुआ वह राजस्थान में 30. 5 करोड़ के करीब दुर्भाग्य से हुआ, वह काफी कम है, राजस्थान के अन्दर जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होकर सामने आया है और जो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसके बारे में अभी से अन्दाज, कल्पना करके चल सकते हैं, हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर में डबल कैपेसिटी करने से 1.24 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, इसी प्रकार हिन्दुस्तान कोपर में 74 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, हिन्दुस्तान साल्ट में $\frac{3}{4}$ करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में $8\frac{1}{2}$ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, प्रेसिशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी में $6\frac{1}{2}$ करोड़ के आस पास इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्रकार 100 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट हाथ में हैं, उनसे आशा करके चलते हैं कि प्रोडक्शन के साथ साथ एम्पोलयमेंट में प्रगति होगी।

भारत सरकार से हमने कहा है कि जहां तक पिराइट्स सीकर जिले में उपलब्ध हुए हैं, उन पिराइट्स को राजस्थान से बाहर लेजाकर इस रो-मेटिरियल से और प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहते हैं तो इसे राजस्थान पसंद नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान बैकवर्ड रहा है, ये खनिज ही हमारे लिये इन्कम के सोर्स हैं। थिकली पोपुलेटेड एरिया होता तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता था, पर आज राजस्थान का डेवलपमेंट डिपेन्ड करता है राजस्थान की मिनरल वैल्थ पर, क्योंकि राजस्थान में यही एक साधन डेवेलपमेंट का है, उसमें से रो-मेटेरियल बाहर जाय तो वह राजस्थान पसंद नहीं करेगा। प्राइवेट पार्टीज की हमारे पास ओफर्स हैं कि फर्टीलाइजर प्लान्ट 30 करोड़ से ऊपर होगा, 100 करोड़ से ऊपर की जो बात मैंने कही है, वह इसमें नहीं मानी गई है, तो पिराइट्स पर भारत सरकार हमारे यहां प्लान्ट नहीं लगाती है तो हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहां पिराइट्स का प्लान्ट हो। आज फर्टीलाइज़र के प्लान्ट प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं इसलिये प्राइवेट सेक्टर में

Page No.78

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फर्टीलाइजर का पलान्ट नहीं हो सकता, यह स्थिति मैं नहीं मानता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हम कर सकते हैं, वह करें। पब्लिक सेक्टर केन्द्रीय सरकार का है, यह जो मैंने कहा वह इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा। इसके अलावा हैल्थ में, एज्यूकेशन में, एग्रीकल्चर में कुछ चौथी पंचवर्षीय योजना में और खर्चा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आटोमिक पावर स्टेशन पर भी खर्च हो रहा है उससे भी राजस्थान से बिजली मिलने वाली है। इस प्रकार से राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्राइवेट एफर्ट्स भी करने हैं। केवल उद्योगों से वह पूरी होने वाली नहीं उसमें किसान भी अपनी बचत करके कुओं पर लगाते हैं, मकानों पर लगाते हैं उसके इस इन्वेस्टमेंट्स से एम्प्लोयमेंट प्राप्त होता है इसके लिये ओवर ऑल एफर्ट्स करने होंगे।

यह बात सही है मैंने एन० डी० सी० में भी कहा है हमें सबसे बड़ा खतरा है प्राइसेज के बढ़ने का। तीसरी योजना काल में और पिछले दो वर्षों में जिस प्रकार के परिणामों की आशा करते थे, वे नहीं आये इसका सबसे बड़ा मूल कारण यह रहा कि मूल्यों में स्थिरता नहीं रही इन पिछले दो सालों में इस महंगाई के कारण जिस सड़क की कोस्ट पहले थी वह सवाई हो गई इसी प्रकार से सब कामों में हुआ। योजना का फल सही रूप में तभी सामने आ सकता है कि जबकि इन चीजों के मूल्यों में स्थिरता रहे। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात याद आती है उसमें जो कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, उनके अन्दर जो विकास के काम हुए हैं उन सबके जरिये हम इस योजना में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चौथी योजना काल में कोई भी आशा करके चले कि जो समस्यायें मूल्यों की है वह आसान और सरल होने वाली हैं ऐसी आशा करके हम नहीं चल सकते। यही नहीं आगे के पांच और दस वर्ष भी हमारे लिये कठिनाई के होंगे क्योंकि हमारा बेकलोग बहुत बढ़ा हुआ है। जहां राजस्थान में प्रति वर्ष सात करोड़ का लगान वसूल होता हो इस साल जहां दो करोड़ की लगान की वसूली हुई उसके अनुपात में जिस प्रकार का भीषण अकाल है इस अकाल में ही पैंतालीस और पचास करोड़ रुपया रिलीफ और दूसरे कामों में खर्च करना पड़े, वहां राज्य की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से सुधार हो सकता है। यह आसानी से एनवीसेज किया जा सकता है कि इससे क्या हालत पैदा हो सकती है।

पहले जमाने में यहां लगान लिया जाता था वहां रिलीफ कार्यों की रेस्पोन्सिबिलिटी पूरी करने की बात नहीं थी। आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि ऐसे अकाल के समय में उनको वाजिब मजदूरी मिले, अकाल राहत के कार्य खोले जांय। सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीज आज के समय में ज्यादा बढ़ गई है। उस समय से पिक्चर ही बदल गई है, बेस ही बदल गया है। इस बदली हुई परिस्थिति में आप इस पर विचार करें।

मैं यह जानता हूं कि टैक्सेज में जब कभी वृद्धि होती है उसका विरोध होता है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या हम इसके बिना योजना में गति ला सकते हैं या नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि पहले राजस्थान कैनाल को पूरा करो, दूसरी तरफ सदस्य कहते हैं कि माही डेम पूरा करो। तीसरी तरफ भरतपुर वाले कहते हैं कि भरतपुर का काम पूरा करो, पीने के पानी के लिये कुए चाहियें, बिजली चाहिये लेकिन उसके लिये हमारे पास धनराशि कहां उपलब्ध है ? आज हमारे सामने जो गंभीर प्रश्न है जैसा कि मुझे याद है श्री के० एल० राव ने पार्लियामेंट में यह कहा था पोंग डेम एक साल पूर्व पूरा करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं चौथी योजना में राजस्थान कैनाल के लिये जो प्रावधान रखा गया अगर उतना ही रखा जाता है तो उससे यह काम जितना तेजी से हम करना चाहते हैं, नहीं कर पायेंगे। उसके लिये इसके अतिरिक्त भी साधन उपलब्ध कराने होंगे नहीं तो हम यह काम तेजी से नहीं करा पायेंगे। इसके साथ साथ पोंग डेम के कारण जो विस्थापित होंगे उनको भी सैटल करने की समस्या आयेगी, उनके लिये जमीन हमारे यहां उपलब्ध नहीं होगी, नहरों का काम तेजी से नहीं हो पायगा जब तक कि अतिरिक्त साधन उपलब्ध न हों, पोंग डेम आउस्टीज को बसाने नहीं पायेंगे। इसकी भी मन्जूरी इसके साथ साथ नहीं होगी तो गेप पड़ने वाला है उसकी पूर्ति करने के लिये साधनों की दृष्टि से क्या किया जाय, यह हमारे सामने अहम सवाल बन जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आज इन परिस्थितियों में इन सारी बातों को देखते हुए वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सेल्स टैक्स से और दूसरे जरिये से जितने साधन जुटाने संभव हो सकते थे उनसे आमदनी करने का प्रयत्न किया गया है। आज हम किसी एक टैक्स में कमी करते हैं उसकी कमी को किसी दूसरी मद में परिवर्तन कर ही कर सकते हैं।

कई बार कहा जाता है कि मिनिस्टर्स की संख्या में कमी कर दी जाय इससे आखिरकार दस लाख रुपया आप बचा लेंगे। यह तो कई करोड़ों का सवाल है आखिर उस बारे में भी हमें सोचना होगा। यह एक गंभीरता से सोचने वाली बात है कितनी गति से हम अपने प्रान्त को आगे लेजाना चाहते हैं उसी लिहाज से हमें उसके लिए आर्थिक सोर्स उत्पन्न करने का प्रश्न भी सामने रख कर चलना होता है।

अध्यक्ष महोदय, कैश क्रोप्स पर सेस और दूसरे सरचार्ज के बारे में बातें सामने आयीं है। बहुतों के दिल में यह ख्याल आता होगा कि यह राजस्थान के अन्दर ही क्यों बात आयी है। मैं निवेदन करू कई स्टेट्स के अन्दर सेस चार्ज होती है। कुछ स्टेट्स के उदाहरण में आप के सामने रखना चाहता हूं जहां एज्यूकेशनल सेस, हैल्थ सेस, लोकल सेस, लाइब्रेरी सेस, मेन्टीनेन्स सेस लगाकर काफी रुपया इकट्ठा किया जाता है मेन्टीनेन्स सेस चार रुपये प्रति एकड़ पर लिया जाता है। केरल के अन्दर चालीस पैसा प्रति एकड़ सेस चार्ज किया जाता है।

उड़ीसा के अन्दर 25 पैसा एक रुपये पर प्लेट चार्ज लिया जाता है। पंजाब के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अन्दर लैण्ड रेवेन्यू है पचास रुपये से नीचे जिसकी लैण्ड रेवेन्यू है उससे पचीस परसेन्ट पचास से ऊपर 70 परसेन्ट सत्तर से ऊपर हण्ड्रेड परसेन्ट। 500 रुपये पर 150 परसेन्ट। 500 रुपये से ऊपर जिनका लैण्ड रेवेन्यू है उनसे 300 परसेन्ट लैण्ड रेवेन्यू चार्ज किया जाता है। इसके सिवाय पंजाब के अन्दर केश क्राप्स पर चार रुपया दो रुपया टैक्स हैं। पंजाब में हरिजन डेवलपमेंट सेस है और इस तरह से कई प्रकार की सेस है।

हरियाणा के अन्दर पिछली बार दस रुपयों से तीस रुपया लगान देने वालों के 25 रुपया सेस का लिया जाने लगा है तीस से ऊपर वालों से चालीस प्रतिशत। और भी स्टेट्स है जिनके बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं आ पाये हैं। आज जैसा कि मैंने कहा सेल्स टैक्स हम बड़ी कामधेनु समझ कर चलते हैं। हर बजट में हम इसमें कुछ न कुछ हेरफेर करके आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ...

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहा पंजाब में ज्यादा टैक्स है आपसे कई गुना वहां खुशहाली भी तो है उसका आप नहीं बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डालें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भाखड़ा क्षेत्र के अन्दर बैटरमेंट लेवी 11 से बढ़कर 22 हो गई। 22 तो थी ही लेकिन जहां पर पानी नहीं पहुंचा था वहां हमने 11 ही रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमें मुश्किल परिस्थितियों को समझना होगा। पंजाब से जो नहर निकलती है वहां पानी पास में ही मिल जाता है। उसके मुकाबले राजस्थान में राजस्थान नहर लाने के लिये 120 मील करीब टनल पंजाब में होकर आती है जिससे कोई सिंचाई नहीं होती है। इसमें केपीटल कोस्ट तो लगती है। जो नहर 400 मील लम्बी हो आखिर उस पानी की कॉस्ट के अन्दर कितना खर्च होता है यह भी देखना होगा। हमारे यहां पर बिजली भाखरा से आती है एक तो भाखरा से पंजाब को बिजली मिलती है और दूसरी तरफ भाखरा से जयपुर बिजली पहुंचेगी उसकी कोस्ट क्या होगी? हाइडल पावर पोटेन्शियल से उसको मीट नहीं कर सकते। एटोमिक पावर हम यह मानकर चलते थे कि तीन साढे तीन पैसे युनिट होगी लेकिन वह भी सात पैसे पर युनिट पर मिलने वाली है। आज हम दूसरों का मुकाबला करें वहां हमारी स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पंजाब में थोड़े से ही माइलेज में काफी विहिकल टैक्स, रोड टैक्स मिल जाता है जहां पर मेन्टीनेन्स कोस्ट कम लगती है। उसके मुकाबले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में सड़कें बनती हैं। उस पर रोड टैक्स क्या बनता है उस रोड पर लगे खर्च के अनुपात में। यहां पर मेन्टीनेन्स कोस्ट बढ़ जाती है। इतना सब होते हुए भी एज्यूकेशन मेडिकल और सोशल सर्विसेज में हिन्दुस्तान के अन्दर जितना दूसरी स्टेट्स में खर्च होता है वहां हम राजस्थान में अपने टोटल रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर में एज्यूकेशन पर खर्च कर रहे है, उसमें हमारा नम्बर पांचवे नम्बर पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाता है। हमारे रेवेन्यू बजट का 58 करोड़ 20.5 एज्युकेशन पर आज खर्च कर रहे हैं। 58 करोड़ खर्च होता है। इसकी वजह से एक स्ट्रोंग बेस बना सके। केरल के अन्दर सबसे ज्यादा खर्च होता है, मद्रास में ही होता है। लेकिन राजस्थान जैसे बेक्वर्ड स्टेट्स में यह समझ कर चलते हो कि एज्युकेशन पर जो खर्चा होता है वह बड़े-बड़े कालेजेज और विश्व-विद्यालयों पर हो रहा है तो यह भ्रम है। जो 21 प्रतिशत खर्चा होता है उसमें बल्कि खर्चा प्राइमरी और सेकण्डरी एज्युकेशन पर है। 24 करोड़ के करीब प्राइमरी और सेकण्डरी एज्युकेशन पर खर्च होता है जो सारे राजस्थान में डिवाइडेड हैं। ये प्रश्न सारे विचारणीय बन जाते हैं। इस बेक ग्राउन्ड के अन्दर हमारे पास टैक्सेज के रिसोर्सेज क्या हों? हम भारत सरकार के पास केवल इस बात को उठाया करें कि अपने पर कैपीटा सबसे ज्यादा दिया फिर भी कुछ नहीं करते और आप सारे कैनाल्स को पूरा करवा दें, सारे कामों को पूरा कर दें, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए उपयुक्त बात नहीं होगी, अपनी एफर्ट्स हमको करनी होगी और भारत सरकार से भी जब हम कहते हैं तब उसका असर होता है। आज चौथी योजना में जो टैक्स एफर्ट्स किए उसके फलस्वरूप, पर कैपीटा टैक्स एफर्ट्स के व्हेटेज में मिला 7 प्रतिशत। उसकी वजह से ज्यादा सहायता मिली है।

वित्त मंत्रीजी टैक्सेज के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में कहेंगे लेकिन मैंने जो राजस्थान की तसवीर है वह आपके सामने रखी ......

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहूंगा। आपने पर केपीटा सेन्ट्रल एसिसटेन्स राजस्थान की ज्यादा बताई है क्या उसका कारण यह नहीं है कि राजस्थान का पाप्युलेशन परसैंटेज अन्य राज्यों के मुकाबले कम है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो है। It is correct.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आपने सेन्ट्रल एसिसटेन्स का जो पर केपीटा इंडेक्स बताया है, राजस्थान को पर केपीटा सेन्ट्रल एसिसटेन्स बाकी राज्यों के मुकाबले में ज्यादा मिलती है, क्या उसका कारण यह नहीं कि हमारी पर पाप्युलेशन परसेन्टेज बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे उसका कोई संबंध नहीं है। पर कैपीटा इज पर कैपिटा। पर माइल कम मिला है वह बात अलग है। लेकिन पर कैपीटा ये फिगर्स होगी कम्पैरेटिवली।

माननीय सदस्य इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस वर्ष खरीफ के मौसम में हमने किसानों से लेवी ले ली और रबी की लेवी के बारे में फिर लेवी लेने वाले हैं। इस प्रकार की चर्चा सामने आई थी। यह सही है कि पिछली खरीफ की फेल्योर के बाद जब इस प्रकार की आशंका पैदा हुई थी कि देश का उत्पादन कम होकर संकट ज्यादा सामने न आ जाय और भारत सरकार भी लेवी के बारे में ज्यादा उत्सुक मालूम होती है, उस समय हमने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विचार किया था, लेकिन अब हमने इस बात का फैसला किया है कि इस रबी की फसल पर कोई लेवी नहीं ली जायगी और फुड कारपोरेशन ओपन मार्केट से खरीदेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज व्यवधान न डालें।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी, मैं इस अवसर पर एक और महत्व-पूर्ण जानकारी सदन को देना चाहूंगा कि बेरी आयोग के संबंध में इस सदन में और सदन के बाहर भी काफी चर्चा होती रही है और मैंने कहा था कि उस अवसर पर बताऊंगा। जहां तक मृत और आहत व्यक्तियों का सवाल है, उनके प्रति काफी हमारी सहानुभूति है और जो पेमेंट किया जाता है उसको एक्स- ग्रेशिया ऐडहॉक पेमेंट समझ कर चला जाय। हमने इस बात का फैसला किया है कि उनको क्या पेमेंट करना वाजिब होगा, किस प्रकार करना वाजिब होगा, उसके लिए एक समिति का गठन कर दिया जाय जो इस सवाल पर विचार करके सरकार को सिफारिश कर दे और उसके अनुसार सरकार इम्पलीमेंट कर देगी। उस समिति के सदस्य होंगे :—

(1) जयपुर हिज हाइनेस।

(2) हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री के० के० शर्मा।

(3) श्री गंगा सहाय।

(4) चीफ सेक्रेटरी।

(5) फाइनेन्स सेक्रेटरी।

इन पांच आदमियों की समिति होगी जो उस पर विचार करके सरकार को सिफारिश करेगी, फिर उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक निर्दलीय सदस्य की स्थिति थोड़ी विचित्र सी होती है क्योंकि वह दलों के दलदल से ऊपर कमलवत् रहती है इसलिए उसे सोच समझ कर निष्पक्ष होकर आपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। कल माननीय श्री रामकिशनजी ने यह कहा था, हालांकि मैं उनके प्रति बड़ा आदर रखता हूं लेकिन जब उन्होंने विनोबाजी के बारे में कहा कि वह क्रांति को दूर ले जा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ। जिस आदमी के लिए गांधीजी ने यह कहा हो और जिन गांधीजी के लिए यह कहा जाता है कि वह संसार के सर्वोपरी आदमी हैं, उन गांधीजी ने कहा था कि अगर हमारे आश्रम में कोई ऐसा आदमी आया है तो विनोबा हैं जो हमें देने के लिए आया है लेने के लिए नहीं। जिसने अखंड भ्रमण किया हो, जिसकी बात हमने अगर मान ली होती तो आज कोई भूमिहीन नहीं रहता। उन्होंने कहा था कि जो भी भूमि वितरण करनी हो ग्राम सभा बुलाये और उस ढंग से वितरण करे कि जितने हाथ से खेती करने वाले भूमिहीन हैं, उन सबको भूमि मिल जाय। विनोबाजी क्या चाहते हैं ? वह चाहते हैं कि जिस तरह से विधान सभा और संसद पावरफुल है उसी तरह से ग्राम सभा पावरफुल हो, वह चाहते हैं कि हर आदमी पैदावार से 40वां हिस्सा अपने ग्राम विकास के लिये

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दे ताकि जितने गांव के काम हैं वे सब हो जाय। वह चाहते हैं कि जो आदमी सुखी है वह समाज के लिऐ कुछ न कुछ उत्पादन का हिस्सा जितनी उसके पास जमीन है या जो कुछ है, उसका 20वां हिस्सा दे और सारा गांव परिवार की की तरह रह सके तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप विनोबाजी और गांधीजी को समझें।

अकाल के संबंध में बहुत कुछ काम हुए हैं। इसलिए हमें मानना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने बहुत काम किया है लेकिन जब हम देखते हैं जिस प्रकार से सरकार ने घास दूसरे प्रांतों से मांगा ठीक उसी प्रकार से उन्होंने शराब भी अन्य प्रान्तों से मांगा। यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जब अकाल नहीं था सुकर था....

(2.58 म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल पदासीन सभापति) साढ़े पांच करोड़ की शराब बिकती थी लेकिन जब अकाल का वर्ष था तो 7 करोड़ से अधिक शराब बिकी हैं। जिस तरह से सरकार ने कोशिश की कि घास व अनाज आये उसी तरह से उसने सोचा कि कहीं लोग शराब से भी वंचित न हो जाय। मुझे दुख है और उन पड़ौसी प्रांतों के लिए भी दुख है। अगर उन्होंने इस प्रांत को आगे बढ़ाने में मदद दी होती तो उन्हें भी धन्यवाद देता लेकिन इस प्रांत को मारने के लिए, स्त्रियों को दुखी करने के लिए यहां के बच्चों के मुंह से रोटी की कौर छीनने के लिए उन्होंने हमें शराब की मदद की इसलिए उन प्रान्तों की भी निंदा करता हूं।

जो टैक्सेज लगाए गए हैं मैं उनका स्वागत कर सकता हूं लेकिन उन टैक्सेज का उपयोग पूरी तरह से जनता के हित में होना चाहिए लेकिन जब टैक्स की एक एक पाई का उपभोग नहीं होता तो पीड़ा होती है। अभी अभी मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर मंत्रियों को कुछ कम करने से 10—20 लाख कम भी हो जायेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सवाल यह नहीं सवाल यह है कि यहां हम जितने भी माननीय सदस्य हैं, वह अपने खर्चे में कमी करे तो उसका असर सब जगह पड़ता है। आप देखें कि क्या होता है, टैक्स देने वाला मालिक है और उसके टैक्स को सारे के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों में चले जाते हैं।

(3 म. प.)

एक एक कर्मचारी को देखिये कि कितना वेतन मिलता है। जो उच्च कर्मचारी हैं उनको $2\frac{1}{2}$ हजार रुपया माहवार मिलता है। बंगला बनाने के लिये कर्ज मिलता है, कार खरीदने के लिये पैसा मिलता है और कई अधिकारी किराये पर मकान दे देते हैं। लेकिन उस किसान को देखिए जो अकाल में बैठा हुआ है। $1\frac{1}{2}$ रुपया उसको मजदूरी मिलती है। मैं नहीं समझता कि आप उसको ज्यादा दे सकेंगे। ऊपर वालों को ज्यादा देते हैं तो दुख होता है। वेतन बढ़ाया आपने अभी। वेतन ही वेतन बढ़ायेंगे कर्मचारियों का या वे कुछ काम भी करेंगे। अधिकार के साथ कर्तव्य भावना भी तो बढ़नी चाहिए।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

"रत्ति काम करे नहीं पड्या उड़ावे मौज ।
भली बढ़ाई देश में अधिकारियों की फौज ॥

क्या फौज बढ़ादी है आपने । काम तो करते नहीं । रिश्वत ली जाती है । मैं कहता हूं कि रिश्वत तो शिष्टाचार हो गयी है । यह तो शिष्टाचार चलता है ।

आज राजस्थान की मवेशी मर गई । जैसलमेर में बहुत मर गई जैसलमेर का अभी का पड़ा हुआ अकाल तो आप जरूर दूर कर देंगे लेकिन कई वर्षों के लिए वहां और राजस्थान में अकाल पड़ गया । राजस्थान सरकार अगर सोचती तो मवेशी को जिन्दा रख सकती थी । जितना महुआ है, मवेशी के लिये खाद्य पदार्थ है, उसको शराब बनाने के काम में न लाया जाता और मवेशी को बचाने के लिए काम में लाया जाता तो आज राजस्थान का दूसरा ही चित्र होता । चाहे आज आप न कहें लेकिन आने वाली पीढ़ी कहेगी कि कितना भयंकर अकाल था, उस समय में भी जितना महुआ था उसका शराब बना कर लोगों को मदहोश किया जाता था जबकि महुआ को मवेशी को देकर अकाल से बचाया जा सकता था। आज भी वक्त है । जितनी भी डिस्टिलरीज हैं, उनमें जो महुआ है उसको मंगवाइये और जितना महुआ नया आने वाला है उसे खरीद कर मवेशी को बचाने में काम लीजिये । मवेशी बचेगी तो राजस्थान बचेगा क्योंकि राजस्थान का इससे गहरा सम्बन्ध है ।

अल्प बचत के लिये निवेदन करना चाहता हूं । कितने ही महकमे ऐसे हैं जिनमें बचत की जा सकती है । 232 पंचायत समितियां सफेद हाथी की तरह जनता की छाती पर मंडरा रही हैं। इन्होंने एक ही काम किया कि जो जनता में पहले काम करने का इनिशियेटिव था वह समाप्त हो गया और सब जगह निराशा ही निराशा छा रही है । आज पंचायत समितियां खत्म कर देंगे तो करोड़ों रुपयों की बचत हो जावेगी । गांधी की छोटी सी बात है वह मैं उन्हीं के शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं । "एक समय मनु बहन गांधी ने एक दिन बापू का लिखने का सामान मेज पर जमाते हुए देखा कि उनकी पेन्सिल लिखते लिखते बहुत छोटी हो गई है । उसने पेन्सिल का वह टुकड़ा हटा कर उसकी जगह नई पेन्सिल छील कर रख दी ।

बापू हरिजन के लिए लेख लिखने बैठे तो देखा कि उनकी छोटी सी पेन्सिल मेज पर नहीं है । उन्होंने मनु को पुकारा । वह आई । उन्होंने पूछा "मेरी छोटी पेन्सिल कहां गई ? "

वह बोली—" वह तो बहुत छोटी हो गई थी इसलिए मैंने उसे हटा कर नई पेंसिल रख दी है । "

" अरे, तूने बेकार समझ कर फेंक तो नहीं दी ? उसी को ले कर आ । यह नई पेन्सिल सम्भाल कर रख दे, फिर काम आयेगी "—बापू बोले ।

"लेकिन बापू, उससे तो आपको लिखने में तकलीफ होती होगी । "

बापू बोले—"मनु अगर मैं इतनी सी तकलीफ भी बर्दाश्त न कर सकूं तो अहिंसा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

की कड़ी कसौटी में से कैसे पार हो सकूंगा ? "

"कभी कभी तो आपकी किफायतसारी कंजूसी की हद तक पहुंच जाती है। "— मनु डरते डरते कह गई।

बापू कुछ देर रुक कर बोले—" आज भारत के लाखों गांवों में ऐसे करोड़ों माता पिता हैं जो स्कूल जाने वाले अपने बालकों को लिखने के लिए पैन्सिल का इतना सा टुकड़ा भी नहीं दें सकते। तू मुझे वही टुकड़ा ला कर दे। "

आखिर मनु वह टुकड़ा लेकर आई। उसे हाथ में लेकर बापू बोले—" इतना सा पैन्सिल का टुकड़ा हमारे कंगाल देश में सोने के टुकड़े का महत्व रखता है। जब तक हम कौड़ी कौड़ी की कीमत नहीं करेंगे, हमारा हिन्दुस्तान गरीबी से और भुखमरी से उबरेगा नहीं। उसकी जनता खुशहाल और सुखी नहीं बनेगी। " एक तरफ राष्ट्रपिता छोटे २ पैन्सिल के टुकड़े के लिए जान देते थे आज दूसरी तरफ करोड़ों रुपये यों ही लुटाये जा रहे हैं। यह राजस्थान का ही सवाल नहीं है। सच बात तो यह है कि यदि अन्य प्रान्तों को देखें तो राजस्थान ने उनके मुकाबले में कुछ कदम उठाये हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं शराब बन्दी के लिये कि यह तो एक निरा धोखा है। मैं ऐसा नहीं मानता। आप किसी प्रान्त में चले जाइये, आप दिल्ली चले जाइये और केन्द्रीय शासन के राज्यों में भी चले जाइये उनमें भी शराब खूब चलती है। चाहे कांग्रेसी प्रान्त हो या गैर कांग्रेसी प्रान्त हो वहां पर शराब खूब चलती है। लेकिन यहां की सरकार ने तीन वर्ष में पूर्ण नशा बन्दी करने की घोषणा की है और सप्ताह में दो दिन शराब बन्दी रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना है कि दो दिन साथ साथ रखिये, जुड़वा रखिये जैसे सोमवार मंगलवार, शुक्रवार शनिवार। अलग अलग मत रखिये। जब भी आप रखें सप्ताह में दो दिन, दोनों दिन जुड़वा रखिये। सभापति महोदय, ये लिख भी रहे हैं या नहीं। मन्त्री महोदय आपने क्या लिखा ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : जो भी लिखने की बात थी वह लिख ली। महुआ के लिये।

श्री मनोहरसिंह : मैंने यह निवेदन किया है कि सप्ताह में शराब बन्दी के दो दिन रखें वे आप जुड़वा रखिये।

मैं आप को बधाई देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपने पड़ौसी राज्य हरियाणा को प्रोत्साहित किया है। वहां पर 31 मार्च, 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी हो जावेगी।

गांधी शताब्दी के वर्ष में आपने कुछ कदम उठाये हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आपने एक कदम तो यह उठाया कि जो मेहतर वगैरा सिर पर मला ढोते हैं वे अब न ढोयें इसके लिये 50 लाख रुपया निकाला है। अच्छा कदम है। 30 लाख रुपया इस बात के लिए निकाला है कि मेहतरों के लिये मकान बना सकें। 20 साल में उस को किश्तों में वसूल करेंगे यह भी स्वागत योग्य है। माण्डलगढ़ का किला उजड़ रहा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है। 20 मेहतरों के परिवार वहां रहते हैं उनको भी कहीं आप बसादें। बिजली की पानी की आपने सुविधा दी उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब देखता हूं कि होस्टल अलग अलग चलाते हैं तो पीड़ा होती है। कृपा करके इन अलग होस्टलों को वन्द कर दीजिये और जितने लड़के हैं उनको स्कोलरशिप देकर उन होस्टलों में भेजिये जहां सवर्णों के लड़के हैं। ये होस्टल सब के लिए चलें। हम में और इनमें कितना फर्क है। मैं धा-बाई-जी की हवेली में रहता हूं। जहां हमको इतना मिलता है वहां एक मेहतर को 15 रुपया माहवार मिलता है। कितना बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को कम करिये।

जमीनों पर कर बढ़ाया उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन हाथ से खेती करने वाले है उन पर इसका असर न हो इसके लिए जरूरी है कि जो आपने 50 रुपये की छूट दी है उसको आप 100 रुपये तक कर दीजिये जिससे सौ रुपया तक का लगान आना है उनसे अधिक नहीं लिया जायगा। केश क्रॉप्स पर भी आपने सैस, टैक्स लगाया है। केश क्रोप्स को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। केश क्राप्स ज्यादा बोयेंगे तो अनाज कम पैदा होगा। कम से कम इतना करिये कि 15 एकड़ जमीन हो 1/3 तक कोई केश क्राप बोता है तो उस पर सेस नहीं लगायेंगे और उसके बाद बोता है तो उस पर लगायेंगे। 5 एकड़ तक किसी पर न लगाय।

जिन पर आपने कर लगाया है, वे ऐसी चीजें हैं जो किसानों के काम में आने वाली है। आप कर लगाइये, जरूर लगाइये। कर लगाइये अंगूर की खेती पर। 25, 30 रुपया फी एकड़ अंगूर की खेती पर टैक्स लगाइये। मुझे अंगूर से भय लग रहा है। जितनी अंगूर की खेती बढ़ेगी, वह शराब के काम में आयेगी। जिस रफ्तार से अंगूर की खेती बढ़ती जा रही है, जहां जहां हिन्दुस्तान में गांधीजी के स्टेच्यू हैं, क्या उनका प्रक्षालन अंगूर की शराब पीकर करेंगे हिन्दुस्तान में 2 अक्तूबर, 69 को? इसलिये अंगूर की खेती पर आप टैक्स जरूर लगाइये। अफीम की खेती पर आप लगाइये। तम्बाकू पर भी वह एक्साइज लेता है लेकिन आप भी इस पर सैल्स टैक्स ला सकते हैं। इन पर भी आप टैक्स का प्रावधान कर सकते हैं तो आप जरूर करियेगा। लिपस्टिक और श्रृंगार का जो सामान है, उन पर इस साल आपने टैक्स नहीं लगाया है। इनके ऊपर आप खूब टैक्स लगा सकते हैं। जिनकी बहुत आमदनी है, जो मेम साहिबा हैं, वे इसको लगाती हैं। साधारण स्थिति के लोग मैं समझता हूं जिनका कि पेट नहीं भरता है, वे इसको नहीं लगाते हैं। इन चीजों पर जितना टैक्स आप लगा सकते हैं, लगाइये और इसके बजाय ग्रामोद्योगों को आप प्रोत्साहन दीजिये। ग्रामोद्योगों के लिये जितनी रियायतें आप कर सकते हैं करिये। गुड़ पर टैक्स छोड़ दें। खाने के लिये आज क्या बचा है? सिर्फ गुड़ की डली ही तो बची है। और है क्या? जितनी ऐसी चीजें हैं उन पर आप टैक्स जरूर बढ़ाइये। शराब पर, बीयर पर आपने टैक्स को बढ़ाया है। देश में बनने वाली विदेशी शराब पर आपने टैक्स बढ़ाया है। इसी तरह से डिस्टीलरी से वेयर-हाउसेज से शराब निकलेगी उस पर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

आपने सैल्स टैक्स को बढ़ाया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मुझे एक भय है। कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से

(3.12 म.प.)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इससे आपकी आमदनी बढ़ रही है, आखिर इतनी बड़ी आमदनी आपकी बढ़ रही है, उसको छोड़ना आपके लिये मुश्किल हो जाये। इस तरह शराब पर जो टैक्स लगा रहे हैं उसकी इतनी बड़ी आमदनी को कैसे छोड़ें? वैसे आप सबको मालूम ही है कि शराब से कितनी परेशानी होती है, नुक्सान होता है। परन्तु इस आमदनी को छोड़ने से जो नुक्सान होगा, भारत सरकार उसका आधा आपको देगी। 80 लाख की आमदनी आपको बढ़े हुए टैक्स से होगी तो इससे 40 लाख का आपको इजाफा होगा। इसलिये जितनी शराब से आमदनी बढ़े वह सबकी सब शराब बन्दी के काम में आप लगा दें। शराब बंदी करने से जो नुक्सान होगा उसका आधा आपको भारत सरकार देगी। इसलिये इस पैसे को आप इसके प्रचार करने में लगावें। माननीय सदस्यों ने कहा कि राज्य कानून बना देगा तब भी क्या होगा? मैं कहता हूं इससे बड़ा फर्क होगा। गांधीजी के शब्दों में सुधारक कितनी भी कोशिश करे जब तक राज्य सरकार की ओर से शराब पीने की इजाजत और सुविधा रहेगी तब तक सुधारक को सफलता मिलना असम्भव है। क्या शराब बन्दी का प्रचार आज से हो रहा है? बुद्ध के वक्त से इसका प्रचार हो रहा है। इसके लिये हमें विशेष प्रयत्न करना होगा। सुधारक को शराबियों के पैरों पड़ना होगा। हम तो यह चाहते हैं कि राज्य सरकार इस व्यापार को बन्द कर दे। इधर आपने शराब बन्दी के लिए कदम बढ़ाये हैं और उधर सब राज्यों ने जुआ शुरू कर दिया है। वह जुआ है, लाटरी। मेहनत से हटाकर आप लोगों को इस पर लगा रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि बिना मेहनत के खाना पाप है और चोरी का अन्न खाने के समान है। दूसरी तरफ आप कहते हैं एक लाख रुपये के साथ एक एम्बेसडर कार मिलेगी। एक लाख रुपया मिलेगा। आप हमें श्रम से हटा रहे हैं। आपने क्या इसका परिणाम देखा? इसलिये कृपा करके इस पर विचार करिये। यह राजस्थान का ही मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद सर्वनाश ही होने को है। युधिष्ठिर जैसे आदमी ने जिसने बड़ी मुश्किल से अश्वत्थामा का नाम लिया, वही युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं और अपनी स्त्री को दाव पर लगाते हैं तो लगता था कि सर्वनाश होने को है। आज वही स्थिति लग रही है। आज लाटरी को प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार के द्वारा। जगह जगह शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही, कालेजों, स्कूलों में शिक्षा कैसी मिल रही है? वह शिक्षा ऐसी मिल रही है, जिससे बेकारी हो रही है। आज की सरकार ब्रह्मचर्य के स्थान पर नसबन्दी और लूप को प्रश्रय दे रही है। इन सब बातों को देख कर लगता है कि सर्वनाश निश्चित है। इतना होते हुए भी हमें चुप नहीं बैठना है। शक्ति भर काम करना है। इन बातों को दृढ़ता के साथ रखना है, गांव गांव में जाकर अलख जगाना है। उपाध्यक्ष

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

महोदय, जल्दी ही आपने शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब ये बालक रूपी तिनके मुसल बन जायेंगे और जैसे यादवों का नाश हुआ था, हम सबके सब उड़ जायेंगे इन लोगों के हाथों से जो कि बेकार रहने वाले हैं। आपने क्या शिक्षा दिलायी है, जिससे बेकारी बढ़ गई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें परिवर्तन करिये।

अकाल के बारे में आपने बहुत ही काम किया है। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। इसके लिये आपने दृढ़ता के साथ काम किया है। परन्तु यह भी देखें कि जंगल अधिक से अधिक लगे। अगर जंगल नहीं लगेंगे तो वर्षा नहीं होने वाली है। आज जंगल के जंगल खाली पड़े हैं। इसमें कोई शंका नहीं हैं कि खेती के मामले में कोई सुधार हो रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हम लोग बाहर से मदद लेकर यह कर रहे हैं। इसलिये राजस्थान में आप ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिये कि हमें बाहर की मदद की जरूरत न पड़े। आप कहते हैं हमने ये उद्योग बढ़ा दिये हैं। किन्तु ग्रामोद्योग कितने बढ़े हैं? उद्योग बढ़े हैं किन्तु क्या यह सच नहीं है कि कितने लोग बेकार होते जा रहे हैं? आपने आटोमैटिक मशीनें लगा दी हैं। भीलवाड़ा में एक डालडा का मिल खड़ा कर दिया है लेकिन डेढ़ करोड़ खर्च करने पर भी कितने आदमी आज वहां काम कर रहे हैं? तीन सौ आदमी तीन पालियों में काम कर रहे हैं। आज धारियां बेकार हैं। बलाई, बुनकर, कतवारी, वेकार हैं। ये लोग अपने गांव छोड़कर कलकत्ता जा रहे हैं। वहां जाकर ये रिक्शा चलाते हैं। योजनाएं ऐसी हों, जो हमारी आबादी को देखकर बनाई गई हों। कितना आश्चर्य होता है, जब आप यह कहते हैं कि आबादी बढ़ गई है। परन्तु इसे क्यों भूल जाते हैं—

एक मुण्डों के साथ में हाथ दिया हरि दोय।

काम देवण्यों होय तो भूखो रहे न कोय॥

आप आबादी को बढ़ती देखकर कहते हैं सन्तति नियमन हो। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य के महत्व को हम समझें। एक एक वीर्य के बिन्दु को बचाना धर्म है और पतन करना पाप है। यह तब हो सकेगा जब हम सबको काम पर लगायेंगे। बेकार आदमी को सिवाय काम वासना के कुछ नहीं सूझता। नसबन्दी, लूप के प्रचार से सिवाय व्यभिचार के और कुछ नहीं होने वाला है। सिनेमा एक एक बजे तक आप चलाते हैं। यह कितनी भयंकर बात है। इसको आप जल्दी से जल्दी बंद करें। एक एक बजे तक सिनेमा लोग देखते हैं। इसकी एक पाली से अधिक मत करें। इससे युवकों की कामवासना जागती है और बेकारी बढ़ती है। श्रम के महत्व को जब तक आप स्थान नहीं देंगे, जब तक शिक्षा और श्रम, दोनों का समन्वय नहीं बैठेगा, सर्वनाश होने वाला है। इन्ही शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने सैलसटेक्स के बारे में छोटे व्यापारियों को 30 हजार तक छूट दी है। मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

यह छूट 40,000 तक आप बढ़ा दें। छोटे किसानों पर लगान आपने बढ़ाया है। मैं निवेदन करूंगा कि यह 100 रुपये से ऊपर जितने आते हैं, उनके ऊपर आप लगावें। केश क्रॉप पर आपने टैक्स लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसान के पास जो थोड़ी सी जमीन है, उसका एक तिहाई भाग या ज्यादा से ज्यादा 5 बीघा से जो अधिक हो, उस पर आप यह टैक्स लगावें। अगर ऐसा करेंगे तो छोटे काश्तकारों को राहत मिलेगी। अधिकारियों की फौज को आप कम करिये। ब्लॉक डवलपमेंट को बंद करके आप बचत कर सकते हैं। इस पर आप जरूर विचार करिये। मैं राज्य सरकार से इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : खेद के साथ कहना पड़ता है........

श्री उपाध्यक्ष : आपके तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्रम से आ रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो निर्णय दे रहे हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जनसंघ के एक भी सदस्य को आज अवसर नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : बारी बारी से सभी पार्टियों का नम्बर आ रहा है। आपको भी समय मिलेगा।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। इस बजट से मालूम होता है कि हमारे राजस्व में घाटा है। 20 करोड़ के करीब घाटा है। यह बात निश्चित है कि पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान में लगातार तीन, चार वर्षों तक अकाल पड़ा है। और यह भी निश्चित है कि अकाल के कारण हमारे बजट पर खराब असर पड़ा है। इस कारण से घाटे का बजट चल रहा है।

मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान का विकास हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है।

मैं चाहूंगा कि राजस्थान के दक्षिणी इलाके में अकाल निवारण के लिये इस प्रकार की कुछ योजनाएं बनाई भी जा रही हैं और उनको क्रियान्वित भी किया जा रहा है मैं इसके लिये तो सरकार को बधाई देता हूं। दक्षिणी राजस्थान में जहां पर पहाड़ी इलाका है और अधिकतर जहां के लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिये भी योजनाएं बनाई जानी चाहियें। मैं वित्त मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे आदिवासियों के लिये विशेष योजनाएं बनायें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आन ए प्रोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। कोरम नहीं है साहब।

(कोरम सूचक घंटी)

(कोरम के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू कर दीजिये।

श्री रतनलाल : मैं यह कह रहा था कि राजस्थान के दक्षिणी इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां आदिवासियों के लिये ब्लॉक चलाये जा रहे हैं और इस कारण से वहां पर जो अकाल की छाया पड़ती है वह कभी नहीं पड़ेगी, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी ब्लॉक में जो हरसाल दो लाख का बजट था वह अब एक लाख का कर दिया है और इसमें से भी चालीस प्रतिशत तो अन्य मदों में खर्च होता है और 60 प्रतिशत विकास में खर्च होता है इससे पूरा विकास वहां नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर में इस योजना से पूरा काम नहीं होगा और न ही अकाल का पूरी तरह से सामना हो सकेगा। वहां हमेशा से अकाल पड़ता रहता है और किसानों के पास दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा और पन्द्रह बीघा से ऊपर जमीन नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर जमीन से भी पार नहीं पड़ सकता है तो हमेशा के लिए अकाल को मिटाने के लिये कुए काफी मात्रा में खुदवाने चाहिये, इर्रिगेशन के साधन इससे काफी मिल सकेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर पहाड़ी और तलहटी इलाका है वहां पर कुए खोदे जा सकते हैं और कुओं पर अधिक से अधिक लोन दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा उस क्षेत्र में बहुत से एनीकट हैं और कई छोटे छोटे तालाब बनाये जा सकते हैं। उनकी सर्वे की जा सकती है और इनकी बड़ी योजनाएं भी हाथ में ली जा सकती हैं। यह इसलिये कहना चाहूंगा कि उस इलाके में जो कार्य किये जा रहे हैं वे बहुत कम हैं तो इर्रिगेशन की दृष्टि से इतना तो ध्यान दिया ही जाना चाहिये।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिये इसके लिए एक मास्टर प्लान कुए, तालाबों और एनीकटों के लिए बनाया जाना चाहिये। अब भी अकाल वहां पर है। पिछले वर्षों में तीन चार बार अकाल वहां पड़ा है। माली हालत वहां के निवासियों की खराब हो गई है। सरकार राहत कार्य कर रही है पर वे भी काफी नहीं हैं। भू-संरक्षण का काम है, इर्रिगेशन का काम है, सड़कों के काम आदि कराये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ इस तरह के कार्य कराये जाने चाहियें जो आगे जाकर हमेशा के उत्पादक हो सके और स्थायी हो।

पिछले अकाल के समय में बनाई गई जो सड़कें अधूरी हैं उन पर पक्का काम किया जाना चाहिये। उनको मैटल्ड बनाई जाना चाहिये और जहां जहां पुलियाएं अधूरी हैं उन पर भी काम पूरा कराया जाना चाहिये। जहां डामर की सड़कें नहीं हैं। उनको पूरा कराना चाहिये। क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है तो इसको देखते हुए भी डामर करवाया जाकर सड़कों को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिये। चाहे वह पश्चिमी इलाका हो या दक्षिण-पूर्वी हो, चाहे उत्तरी हो, पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां डामर की सड़कें की जानी चाहिये।

डूंगरपुर में जो काम किया जा रहा है वह काफी नहीं है और मैं चाहूंगा कि जब जब अकाल पड़ता है तो किसी इलाके में ज्यादा काम रख दिये जाते हैं किसी में कम। बाकी के वर्षों में जैसे जिस विषय की योज-

(श्री रतनलाल)

नाएं बनती हैं इसमें इरिगेशन के मद में भी सड़कों के मद में भी कम पैसा रखा जाता है और वह भी छोटे छोटे तालाबों के लिये होता है तो छोटे तालाबों के लिये जितना पैसा होना चाहिये वह नहीं होता है। इस थोड़े पैसे से न इरिगेशन के काम पूरे हो सकते हैं न तालाब वगैरह अधिक बनाये जा सकने हैं। और इसके अभाव में आसपास के इलाकों में, जमीन में जो तरी आनी चाहिये वह नहीं आ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इस इलाके के लिये एक मास्टर प्लान बननी चाहिये। एनीकट तालाब, सड़कें आदि बनने चाहियें। इरिगेशन के लिए बड़े बड़े तालाब बनाये जाने चाहियें और इनके लिये विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके में इस प्रकार की स्थिति है कि जमीन को जैसा कि माननीय डागा साहब ने कहा कि वहां पर बहुत अधिक मजदूर हैं और खेतिहर मजदूर हैं। राजस्थान के इलाकों में 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती करते हैं बाकी के खेती के काम के अलावा मजदूरी भी करते हैं उनके लिए जरूरी है कि उनको ज्यादा मजदूरी दी जावे।

जहां पर रिलीफ के काम होते हैं और इसके लिये जो कोई हमारे यहां बना हुआ है उसके हिसाब से प्रति आदमी को डेढ़ रुपया दिया जाता है और औरत को सवा रुपया और बच्चे-बच्चियों को एक रुपया दिया जाता है तो औरतों को जो सवा रुपया दिया जाता है बहुत कम है। औरतें आदमी से भी अधिक काम करती हैं तो उनको भी बराबर की मजदूरी मिलनी ही चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि डूंगरपुर के अन्दर राजस्थान में इस प्रकार के नियम हैं कि आदिवासियों की जमीन सवर्ण नहीं खरीद सकते हैं पर होता क्या है कि वहां पर पिछले चार पांच वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है और लोगों की माली हालत खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में बहुत से आदिवासी किसान परेशान होकर अपनी जमीनें दूसरों को देना चाहते हैं और मजबूरन देना चाहते हैं तो इसके लिये यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिये जो कानून बना हुआ है उसका सख्ती से पालन कराया जाय। सरकार यह समझती है कि रजिस्ट्रेशन कराने से उसको आमदनी होगी उसकी आय बढ़ेगी और वहां के स्थानीय तहसीलदार और कलेक्टर या एस. डी. ओ. इस प्रकार की भावना से काम नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगा कि जहां आदिवासियों की जमीनें दूसरे लोग नहीं खरीद सकते हों इस प्रकार के नियम हों तो इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि पिछले वर्षों में हमारे आदिवासी छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती रही हैं और केन्द्रीय सरकार भी चालीस रुपया प्रति छात्र छात्रवृत्ति देती है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजस्थान सरकार इस वर्ष से छात्रवृत्तियां देना मना करने की स्थिति में है। मैं कहूंगा कि राजस्थान में इन आदिवासी

(श्री रतनलाल)

छात्रों की स्थिति इससे दयनीय हो जावेगी, महात्मा गांधी का भी यह कहना था कि सबसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिये जो दरिद्र हैं, पिछड़े हैं। उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में जो आदिवासी क्षेत्रों के लिये शिक्षा के मद में प्रावधान रखा गया है वह रखा जाना चाहिये और ठीक रूप से व्यय किया जाना चाहिये। आज आदिवासी इलाकों में भी गांव गांव में और हर कस्बे में और शहर में स्कूलों का विस्तार किया गया है लेकिन इसके साथ साथ यह भी प्रबन्ध लगातार किया जाना जरूरी है कि आदिवासियों को प्रोत्साहन देने के लिये लड़कों को उधर ज्यादा आकर्षित करने के लिये अधिक छात्रवृत्ति दी जाना जरूरी है और सरकार यह चाहती है कि वहां शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो तो यह जो छात्रवृत्ति हाईस्कूलों तक दी जाने का प्रावधान है उसे बढ़ाया जाना चाहिये।

इस प्रकार मुझे मालूम नहीं राजस्थान के अन्य जिलों की भी हो सकती है। आदिवासियों के लिये ऊंची शिक्षा देने का प्रश्न आता है वहां पर उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में जो छात्र आते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाय। मैं कहता हूं तीसरी श्रेणी को भी दी जानी चाहिये। इसके अलावा मैं यह चाहूंगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कृषि का कम स्कोप है, कम जमीनें हैं तो उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। मान्डव की पाल है वहां क्लोराइट का कारखाना खुलने वाला है। यह आशा ही आशा है। आदिवासी लड़के जो आठवीं और दसवीं पास होते हैं उनको सर्विस नहीं मिल पाती है, कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे आदिवासी छात्र इधर उधर घूमते रहते हैं। वहां कोई औद्योगिक प्रशिक्षण चलाया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह चाहूंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सड़कें सबसे कम हैं। राजस्थान के अन्दर डूंगरपुर ही ऐसा इलाका है जो पहाड़ी है वहां 100 मील से ज्यादा पक्की सड़कें नहीं हुई हैं। इसके लिये बजट में ज्यादा पैसा रखना चाहिये और डामर उन सड़कों पर किया जाना चाहिये। उन सड़कों पर हमेशा गाड़ियां चलती हैं उनको काफी दिक्कत होती है। ऐसी सड़कों के लिये ज्यादा बजट के अन्दर प्रावधान किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जहां पर कुछ सर्वेशुदा तालाब हैं उन पर इस वर्ष बजट के अन्दर ज्यादा प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं चाहूंगा ऐसे इलाके के अन्दर ज्यादा प्रावधान रखना चाहिये तभी वहां के लोगों को सिंचाई की सुविधा हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार। समय सीमा 10 मिनट है।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : उपाध्यक्ष जी, काफी समय इन्तजार करने के बाद आपने जो मेरा नाम पुकारा है उसके लिये मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बजट को देखने से और आज हमारे मुख्य मंत्री जी, का भाषण सुनने

(श्री महेन्द्र सिंह)

के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी राजस्थान सरकार की किसान और राजस्थान के मजदूरवर्ग के प्रति एक प्रकार की जलन है और यही कारण है, उपाध्यक्ष जी, कि आज जिस सिद्धान्त को लेकर हमारी सरकार चल रही है उस सिद्धान्त के कारण हमारे राजस्थान के अन्दर गरीब व्यक्ति अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति अधिक अमीर बनता जा रहा है। जहां तक अमीर व्यक्ति का सवाल है, मैं अमीरों से कोई जेलेसी नहीं रखता लेकिन इस समय जब कि हमारे राजस्थान में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनको आज भरपेट भोजन मिलने की दिक्कत पैदा हो रही है, अकाल पड़ने से बराबर कठिनाइयां हैं उनके लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं वे बराबर कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर अमीर आदमी अपनी आर्थिक प्रगति के अन्दर दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है। ऐसी स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। उनकी जो बढ़ती हुई प्रगति है उसको आज और बढ़ने देना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं समझता हूं। राज्य सरकार उनकी प्रगति को रोक कर उन गरीब किसानों को, जिनकी आज दयनीय दशा है, जिनको आज प्रगति में कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करके उनके साथ सहयोग करे लेकिन, उपाध्यक्ष जी, दुख की बात यह है कि आज तक सरकार ने गरीब व्यक्तियों को और गरीब किसान को जगह जगह रोका है। राजस्थान सरकार और कोई आर्थिक साधन जुटाये, कोई साधन उपलब्ध कराये यह बात तो दूर रही लेकिन उनके साथ इस प्रकार के टैक्स लगा कर, सीधे उस किसान पर टैक्स लगाकर गरीब व्यक्ति पर और ज्यादा बोझ डाला है। जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति उनकी सुधरनी चाहिये उस प्रकार की स्थिति उनकी नहीं सुधर रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बजट, में यह उदाहरण देना चाहता हूं जिस प्रकार वित्त मंत्री जी ने बतलाया है अगले साल हम इतना हजार एकड़ सिंचाई कर लेंगे, इतने ट्यूब वैल्स लगा देंगे, इतने कुये खोद देंगे, इतनी बिजली दे देंगे और इतने औषधालय व स्कूल खोल देंगे और दूसरी तरफ इस बजट में जो टैक्स लगाया गया है जिनके लगने के बाद आज उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। उन साधनों का लाभ किसी गरीब आदमी को नहीं मिलने वाला है, उनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूंगा, उपाध्यक्षजी, इस राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन पर 50 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाया है। एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और कोई उसके पास आमदनी का साधन नहीं है उस किसान को 50 प्रतिशत लगान की दर से अधिक देना पड़ेगा। यदि वह व्यावसायिक फसल करता है जिससे उसकी आमदनी बढ़े तो उन फसलों पर 6 रु० एकड़ से सेस टैक्स देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये हैं वहां 36 रु० बीघा का टैक्स खुशहाली का देना होगा। यदि उसे पॉवर लगाना पड़ता है तो टैक्स देना पड़ेगा, फर्टीलाइजर के लिये उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्स टैक्स है — जहां कपड़ा खरीदने जायगा, जहां लोहा खरीदने जायगा

(श्री महेन्द्र सिंह)

और अन्य वस्तुएं खरीदने जायगा उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इस प्रकार के टैक्स देने के बाद वह किसान अपनी आर्थिक हालत को सुधार नहीं सकता। उसकी स्थिति निश्चितरूप से डाउन होगी। उपाध्यक्षजी, दुःख की बात है सरकार को चाहिये तो यह था कि किसान की प्रगति, मजदूरों की प्रगति में आए दिन जितनी बाधाएं आ रही हैं उनको हटाने की कोशिश करती।

जिन टैक्सों का सीधा असर गरीबों पर होता है उन टैक्सों को सरकार नहीं लगाती, उनको वापिस ले लें और अमीर आदमियों पर ज्यादा टैक्स लगाती उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाय तो उनकी आमदनी में कोई फरक नहीं पड़ने वाला है। वहां पर सरकार अपनी आमदनी के जरिये ढूंढ़ती तो अच्छा रहता। लेकिन आज सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है साथ ही साथ गरीब आदमियों को दिन दहाड़े लूटा जाता है। वहां कोई सरकारी लोग जाते हैं तो उनको आश्वासन देते हैं कि हम तुम को उठायेंगे लेकिन उनकी हालत तो दिन ब दिन गिरती जा रही है।

आज आप शराब की बात को ले लें। जहां तक शराब का सवाल है देशी शराब पर जो आपने 10 परसेन्ट का टैक्स लगाया है उसका मैं विरोध करता हूं और मैं उसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं शराब पीता हूं लेकिन इसलिए करता हूं कि बजाय 10 परसेन्ट टैक्स लगाने के सरकार को चाहिए था कि शराब की बिक्री राजस्थान के अन्दर बिल्कुल बन्द हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जानते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? राजस्थान के अन्दर गांवों में रहने वाले और दूसरे जो मजदूरवर्ग हैं वह पढ़े लिखे नहीं है और आज उनको मालूम नहीं है कि जो वह परिश्रम करते हैं उसका युटीलाइजेशन किस प्रकार परिवार के लिए करना चाहिए। वह दिन भर मजदूरी करके शाम को ठेके पर जाता है और शराब की बोतल पी कर अपनी थकान को उतारता है। उसको होश नहीं है, उसको देश का ज्ञान नहीं हैं शिक्षा के अभाव के कारण और इस कारण क्या होगा कि जो टैक्स आपने इस देशी शराब पर लगाया है वह टैक्स का पैसा मजदूरों की जेब से निकाल कर अपने खजाने में सरकार भरना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता यदि राज्य सरकार इस प्रकार की घोषणा करती कि राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार का देशी शराब या इंग्लिश शराब दुकानों पर नहीं बेचा जायेगा और यदि कोई व्यक्ति पीता हुआ नजर आयेगा तो उस को दण्ड दिया जायेगा। यह तो फिर भी समझ में आ सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने समय केवल 10 मिनट का ही दिया है और उसी के अन्तर्गत मै अधिक समय नहीं लेता हुआ यही बात आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार है और जो रवैया है और जो समाजवाद का नारा लगा रहे हैं यह न तो राजस्थान को और न देश को ऊंचा उठा सकता है और न देश की बहबूदी कर सकता है बल्कि इतना जरूर कर सकता है

(श्री महेन्द्र सिंह)

कि देश के अन्दर जो चीन और रूस के समर्थक हैं और जो इन दोनों देशों की विचारधारा है उसको पनपाने के लिए एक मात्र सहायक हो सकता है बाकी किसी प्रकार से यह विचारधारा समाजवाद की न सफल हो सकती है और न देश के लोगों को, किसानों को किसी प्रकार से राहत पहुंचा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1969-70 का आय-व्ययक अनुमान सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। इस पर माननीय सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की स्थिति स्पष्ट की है। मैं इस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान देखने से यह स्पष्ट है कि राजस्व खाते में प्राप्तियां 144.53 करोड़ है और राजस्व व्यय 174.34 करोड़ है। अकाल सहायता ऋण 12.07 करोड़ और अकाल अनुदान 3.98 करोड़। अन्य केन्द्रीय करों से अतिरिक्त आय 1.27 करोड़ – इन सबका लेखा जोखा करने के बाद बजट की स्थिति यह है कि 20.45 करोड़ का घाटा दर्शाया गया है लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि यह केवल अनुमानिक आधार पर कल्पना है। वस्तु स्थिति यह है कि केन्द्रीय ऋण जो 44.73 करोड़ है, जो देनदारी है उस देनदारी में से केवल 20.73 करोड़ को ही बजट में दिखाया गया है। बाकी इस आशा पर छोड़ दिया गया है कि ऋण की चुकारे की किश्तों में परिवर्तन की भारत सरकार से आशा है। इस प्रकार आशा और कल्पना के आधार पर इस बजट को इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्षजी, जिस स्थिति में आज राजस्थान गुजर रहा है उसका चित्रण बड़ा चिंतनीय है। आज राजस्थान पर 500 करोड़ का कर्ज है और उसके अन्दर 432 करोड़ भारत सरकार का और ऐसा एडहाक ऋण भी राज्य सरकार ने अकाल और बजट के घाटे की पूर्ति के लिए ले रखा है जो एक प्रकार से अनुत्पादिक कार्य के लिए है। इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार के कर्ज की है और इधर राज्य के ऊपर 32 करोड़ का पिछले अर्से में जो भत्ता बढ़ाया गया है लगातार कई बार उसका भार बढ़ा है। अकाल के जो सहायता कार्य किये गये हैं उनका भी एक बड़ा बोझ राज्य के कोष पर पड़ा और इन सब के उपरान्त भी राज्य सरकार यह आशा करती है कि राजस्थान प्रगति कर रहा है। प्रगति की स्थिति यह बनती जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता ने दिल खोलकर धन दिया है करों के रूप में, कर्जे के रूप में और अन्य प्रकार के सहयोग के रूप में लेकिन आज राजस्थान वहीं है जहां राजस्थान स्वाधीनता के बाद से चला था। आपके सामने राजस्थान की आर्थिक स्थिति का कुछ चित्रण पेश करना चाहता हूं। केवल प्राप्तियों का प्रतिशत अगर हम देखें तो कर राजस्व इस वर्ष जो प्रस्तावित है वह 50.55 करोड़ दर्शाया गया है और जो अकर राजस्व दर्शाया गया है वह 22.44 करोड़ है। अकर राजस्व घटता जा रहा है

(श्री दौलतराम सारण)

बराबर । जहां आज 22.44 है वहां 1951-52 में वह 27.23 था, 1955-56 में 36.85-था और 1960-61 में 34.59 था, 1965-66 में 31.39 था और 1969-70 में वह 25.70 था लेकिन आज 22.44 रह गया है । मगर अकर राजस्व घटता जा रहा है और उधर सहायता अनुदान में बराबर बढ़ोतरी चालू है । यह 31 से शुरू हुआ था आज 27.01 पर आया है । इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान का आर्थिक चित्र यह है कि राजस्थान परावलम्बन की ओर बढ़ रहा है । राजस्थान की राजकीय उपक्रम से आमदनी बहुत कम है । 3 परसेन्ट उसको राजकीय उपक्रम से आय है । राजस्थान केवल भारत सरकार की दया पर निर्भर है । भारत सरकार अगर जरा भी हाथ खींच ले तो राजस्थान बिल्कुल परावलम्बी है वह अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य नहीं है । यह स्थिति है ।

व्यय की तरफ देखते हैं तो विकास व्यय दिन प्रति दिन घटते जा रहे हैं और अविकास व्यय बढ़ते जा रहे हैं । 1955-56 में 54.90 विकास व्यय था और 1965-66 में 55.13 था और आज 1969-70 में 53.81 रह गया है । इस प्रकार से अविकास व्यय बढ़ता जा रहा है । जहां अविकास व्यय आज 46.19 है यह बढ़वा जा रहा है । इधर कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि जो बुनियादी प्रगति के आधार हैं राज्य सरकार की नीतियों के अनुकुल हैं उनकी स्थिति यह है कि उनके उपर व्यय कुल व्यय का 6 परसेन्ट मात्र है । इधर पुलिस, सार्वजनिक प्रशासन पर व्यय 10 परसेन्ट के करीब है । ऐसी स्थिति में राज्य का चित्र यह है कि राज्य में व्यय भार की दिशा विकास की तरफ नहीं है, बल्कि उसकी दिशा विपरीत है ।

इधर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर-राजस्व जो है वह केवल कर-राजस्व का पांच गुना बढ़ा है और अप्रत्यक्ष राजस्व सात गुना बढ़ गया है । इधर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास पर व्यय वहां कुल विकास व्यय का 51-52 में 34.91 प्रतिशत था वह 55-56 में 40.05 प्रतिशत था और 65-66 में 44.45 प्रतिशत और 67-68 में 39.73 प्रतिशत था वह 68-69 में 38.40 प्रतिशत आ गया है । इधर हम देखते हैं कि सामाजिक सेवाओं का व्यय कुल विकास-व्यय का प्रतिशत जहां 51-52 में 65.01 प्रतिशत था, 60-61 में वह 67-50 प्रतिशत था वह आज 69-70 में 61-60 प्रतिशत है, और इधर अविकास-सेवाओं पर व्यय अविकास व्यय का कुल प्रतिशत जो है वह भी बढ़ा है वह 46.19 प्रतिशत हो गया है जहां कि 45.10 प्रतिशत 55-56 में था और 60-61 में 41.14 था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास कितनी विपरीत दिशा में है । अनुकूल दिशा में नहीं है । पूंजीगत लागत के हिसाब को देखते है तो कुल पूंजीगत व्यय जहां 60-61 में 2421.27 लाख रुपया था वहां 65-66 में 4073.71 लाख रुपया था और 68-69 में 2455.49 लाख रुपया था अब वह केवल

(श्री दौलतराम सारण)

1964-01 लाख मात्र रह गया है। इस प्रकार 51-52 से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो केवल तीन गुना मात्र बढ़ा है और प्रतिव्यक्ति आय अगर 54-55 के स्थिर मूल्यों पर देखते हैं तो उसमें अग्रिम अनुमानानुसार 264 रुपया और प्रारम्भिक अनुमानानुसार 243 रुपया मात्र है। आज प्रतिव्यक्ति कर-राजस्व 64.67 रुपया है और हिन्दुस्तान के अधिकांश राज्यों से अधिक है और उधर हम देखते हैं कि प्रति-व्यक्ति व्यय जो है वह 78.29 रुपया है जो कि अधिकांश राज्यों से कम है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति विपरीत दिशा में जा रही है। राजस्थान में विकास-व्यय की जगह अविकास-व्यय बढ़ रहा है, और प्रशासनिक खर्चे बढ़ रहे हैं। पूंजीगत व्यय घट रहा है। यह स्थिति राजस्थान में बढ़ती जा रही है। यह क्यों है ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस सारी स्थिति पर विचार करते हैं तो हमको यह लगता है कि राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण किन्हीं विशेष मुद्दों पर नहीं है। अगर राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण योजना-बद्ध विकास का होता, अगर राजस्थान के नागरिकों की बेहबूदी और उनके विकास का दृष्टिकोण होता तो आज जो राजस्थान की स्थिति हुई है इन तीन योजनाओं के योजना-बद्ध विकास के पश्चात् भी आज चौथी योजना को नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए साधनों की समस्या हो गई है, और यह स्थिति इसलिए आगई है कि योजना में जो प्राथमिकता का क्रम था वह उपयोगिता और समाज की आवश्यकताओं और अनिवार्यता का दृष्टिकोण रख कर नहीं किया गया। पूंजीगत नियोजन ऐसा होना चाहिए था जिस पूंजी विनियोजन की क्षमता योजनाओं द्वारा पैदा होती पर वह पैदा नहीं हो सकी। हमारा आधार जो रहा उनसे आज बेकारी, बेरोजगारी बढ़ गई और विनियोजन में कमी पैदा होगई और एक जगह आकर खड़े हो गये हैं। आज न पीछे जाने की स्थिति में हैं और न आगे जाने की स्थिति में हैं। आज चिन्ताजनक स्थिति में आकर खड़े हो गये हैं, और इस स्थिति को लाने के अनेक कारण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन कारणों में से कुछ कारणों पर विचार करना चाहता हूं।

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि योजनाओं के आरम्भ में उन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई और ऐसी योजनाओं को जो सामाजिक अनिवार्य आवश्यकताओं की है और ऐसी योजनाओं को जो रोजगार देने वाली योजनाएं हैं उनको अधिक नहीं देखा गया है। हमारे साधनों को, हमारी क्षमता को और राजस्थान की मानवीय शक्ति की उपेक्षा की गई। हमारी परिस्थितियों और हमारे साधनों की उपेक्षा करके योजनाएं बनाई गई। हमने योजनाओं के बनाने में अपनी क्षमता को नहीं देखा, हमने योजना बनाने में अपने साधनों को नहीं देखा हमने योजनाएं बनाने में अपनी आवश्यकताओं को नहीं देखा है। अगर हम अपने देश में और राजस्थान में योजनाएं बनाने में अपनी परिस्थितियों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी स्थिति को देखते

(श्री दौलतराम सारण)

तो आज यह स्थिति नहीं आती। 80 प्रतिशत खेती करने वालों के देश में 13 प्रतिशत खेती करने वाले देश अमेरिका से अन्न मंगा मंगा कर पेट भरते हैं। आज 80 प्रतिशत खेती करने वालों का देश अनाज के दाने दाने के लिए तरसता है। हमारे यहां योजनाओं में खेती की उपेक्षा की गई, पशु-पालन की उपेक्षा की गई जहां कि बड़ी तादाद में जन-संख्या उस पर निर्भर है। अब खेती और पशु पालन की बात कही जाती है। लेकिन आज भी, उपाध्यक्ष महोदय पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज थोड़ा प्रचार इस साईड में जरूर होता है। लेकिन जो वास्तविक किसान हैं उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया है। कुछ धनाढ्य किसान जरूर इस शासन से लाभ उठाने में समर्थ हुए हैं और उनकी तरफ जरूर शासन का ध्यान गया है, जरूरतमन्द और छोटे किसानों की तरफ शासन का ध्यान नहीं गया है। जो ऋण की व्यवस्था की गई है और जो दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं खाद, बीज की, उनसे साधारण किसान को लाभ नहीं पहुंच सका है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है, उनकी व्यवस्था इतनी जटिल है कि साधारण किसान की क्षमता से बाहर है। और फिर सरकार किसी एक एजेन्सी और किसी एक तरीके पर भी टिकती नहीं है। आये दिन सरकार अपनी व्यवस्था बदलती है। कभी पंचायत-राज का नारा देती है। उस के माध्यम से, विकास की प्रक्रिया चलाती है; और फिर पंचायत-राज से ऊब जाती है तो इससे सारे साधन वापस ले लिये जाते हैं। उसको छोड़ दिया जाता है और सहकारिता का नारा दिया जाता है और सहकारिता में भी सफल नहीं होती हैं और उस पर इसको भरोसा नहीं है। कभी लार्ज स्केल सोसाइटीज बनाई जाती है, कभी गांव गांव में सोसाइटी हर गांव में स्कूल, हर गांव में सहकारिता और हर गांव में पंचायत का नारा दिया जाता है, और उसके मुताबिक उनका गठन किया जाता है। उसमें असफलता होती है तो फिर पुनर्गठन के नाम पर पंचायतों या सहकारी समितियों का पुनर्गठन हो रहा है। इस प्रकार सरकार को किसी अपनी नीति पर भरोसा नहीं है। सरकार किसी एक निश्चित प्रणाली पर स्थिर नहीं है। इन अनिश्चित नीतियों के कारण अनिश्चितता और दृढ़ता की कमी की वजह से पंचायत-राज को सारे देश में बदनामी की संज्ञा हो गई है। पंचायतों को बेकार बना दिया गया है। पंचायतें केवल स्कूल मास्टरों और नौकरों को पगार देने वाली मात्र संस्थाएं रह गई हैं। उनका कोई महत्व आज समाज के जन-जीवन पर नहीं है। पंचायत समितियां मास्टरों और नौकरों को तनख्वाह चुकाने वाली एजेन्सियां मात्र रह गई हैं। उनका कोई दूसरा काम नहीं है। एजेन्सियां बनाते जाते हैं और उन पर टिकते नहीं हैं। पहले सामुदायिक विकास योजना का नारा दिया तो वह फेल हुई; पंचायत राज का नारा दिया तो वह फेल हुआ है; सहकारिता का नारा दिया वह फेल हुआ है और अब निगम का नारा हो रहा है। बोर्ड बन रहे हैं, निगमों की स्थापना हो रही है। एक तरफ राज्य व्यापार की बात चल रही है; एक तरफ पब्लिक सेक्टर की बात चल रही है,

(श्री दौलतराम सारण)

एक तरफ प्राइवेट सेक्टर की बात चल रही है, एक तरफ सहकारी सेक्टर के नारे की बात सुनी गई है।

(4 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस सरकार का विश्वास न तो पब्लिक सेक्टर में है, न प्राइवेट सेक्टर में है और न सहकारी सेक्टर में है। इस सरकार का विश्वास डांवाडोल है। किसी में जमता नहीं है। यह पूंजीवादी दृष्टिकोण में आती तो भी अच्छा होता। इसका अपना दृष्टिकोण ही नहीं है। ये रूस जाते हैं तो वहां से योजना ले आते हैं। जापान जाते हैं तो वहां से योजना ले आते हैं। अमेरिका जाते हैं तो वहाँ से योजना ले आते हैं। जहां जाते हैं, एक योजना पकड़ लाते हैं। इस प्रकार अपने सांधन और क्षमता का बिना खयाल किये हुए यह सरकार योजनाएं बनाती है। उसका जो परिणाम आना चाहिए था, वह परिणाम देश भुगत रहा है। अगर कांग्रेस और गांधीजी की नीतियों के अनुसार यह काम किये जाते तो भुखमरी और बेरोजगारी नहीं होती। लेकिन गांधी जी के निर्देश और मार्ग दर्शन के अनुसार इस सरकार ने काम नहीं किया है। इस सरकार ने काम किया है केवल खयाली पुलाव में, केवल कल्पना लोक में। इसीलिए यह देश अर्थ संकट में पड़ा हुआ है। मैं नमूने के रूप में बताऊंगा, जब योजना फेल हो गई है, तो पंचायत राज पकड़ लिया। फिर सहकारी नारा दिया। वह फेल हो गया है तो अब सारे भारत में जनसंख्या बढ़ गई है। सब बातों का एक ही इलाज है, बच्चे पैदा करना बन्द करो। तो भी समस्या हल नहीं होगी। आंखें बन्द करके मोटरें दौड़ रही हैं, जीपें दौड़ रही हैं। पेट्रोल खर्च हो रहा है। राजस्थान के दो तिहाई हिस्से में जहां जनसंख्या बहुत कम है, जहां 6 व्यक्ति प्रति मील रहते हैं वहां भी नसबन्दी का प्रचार हो रहा है। जीपें दौड़ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से राष्ट्र के धन का दुरुपयोग क्यों किया जाता है ? यह निर्दयतापूर्ण और अविवेकपूर्ण व्यय है। मैं यह सरकार पर चार्ज लगाता हूं। गाय पालने वालों को मुर्गी पालने की शिक्षा। भैंस पालने वालों को सूअर पालने की शिक्षा दी जाती है। मुर्गी पालना और सूअर पालना इण्डस्ट्री माना जाता है। गाय पालना इण्डस्ट्री नहीं है। मुर्गी पालने के लिए जगह जगह पिंजरे बने हुए हैं। खाली पड़े हैं। अर्थ संकट आयेगा ही। देश के अन्दर इस तरह के एक नहीं अनेकों निर्माण हैं। निर्माण और विकास के नाम पर अनेकों काम आरम्भ कर दिये गये। लेकिन उनको पूरा करने का कोई ध्यान नहीं है। अधूरे काम पड़े हुए हैं। कुवे और पानी के लिए कहते हैं तो कोई धन नहीं देते हैं। सिंचाई, कुंड पानी के लिए और पक्के तालाबों के लिए कोई धन नहीं है। उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत सरकार नहीं समझती है। छोटे छोटे उद्योग धन्धे खोलने के लिए कोई ध्यान नहीं है। इस सरकार का ध्यान एक बात की तरफ है। वह यह कि खूब प्रचार। पैसा देने वाले जिस काम के लिए पैसा देते हैं उसी तरह की योजना उनको बनानी पड़ती है। कहीं केन्द्र का सहयोग लेने के लिए योजना प्रारम्भ

(श्री दौलतराम सारण)

कर दी जाती है । कहीं अमेरिकन सहयोग से योजना प्रारम्भ करते हैं । दलिया खाओ । पहले दूध वाला पाउडर था । अब दलिया चल रहा है । आज कल दलिया मिल रहा है । अमेरिकन दलिया सब जगह स्वास्थ्य पुष्ट करने के काम में आ रहा है । इस प्रकार के काम चलाकर यह देश का स्वाभिमान गिराते हैं । मैंने भाषण में पढ़ा है, वित्त मन्त्रीजी ने भाषण में कहा है, गांधी शताब्दी के अन्दर हमें चिन्तन और क्या शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हां मनन की प्रेरणा मिलेगी गांधी शताब्दी के अन्दर । अगर गांधीजी के विचारों पर चिन्तन और मनन करते, अनुकरण करते तो आज ऐसी स्थिति में देश नहीं होता । आज गालियां निकाल कर स्वागत नहीं किया जाता । काले झण्डे नहीं दिखाये जाते । पत्थरों से स्वागत नहीं किया जाता । आपने इस देश में गांधी जी के नाम को कलंकित कर दिया है । गांधीजी का नाम लेने वालों की लड़कियों की शादी में दस दस हजार की भीड़ इकट्ठी नहीं होती । एक तरफ गांधी जी की बात कही जाती है । एक तरफ जीपों से गांव गांव में शराब पिलाने की बात की जाती है । यही गांधीजी का चिन्तन, मनन और मार्गदर्शन है ? इस प्रकार गांधीजी के नाम को लेकर मखौल किया गया है । भंगियों के मैला ढोने के तरफ अब बीस बर्ष बाद ध्यान दिया गया है । हरिजनों को 750 और 11 सौ रुपये मकान बनाने के लिए देते हैं । ढाई हजार पाने वाले को 20 हजार और 30 हजार देते हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : और कार के लिए ऋण अलग ।

श्री दौलतराम सारण : यह हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण है । हरिजनों को जमीन देते है तो 15 बीघा जमीन देते हैं । उसको भी दस किश्तों में । उसकी जमीन की कीमत 500 रु० बीघा ली जाती है । किश्त अग्रिम मांगी जाती है । 15 वर्ष पूर्व घर वालों से अलग था यह साबित कराना होता है और परिवार में किसी के पास भूमि नहीं है यह भी साबित कराना पड़ता है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of information Sir,

श्री दौलतराम सारण : बैठे रहिए ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of information, Sir,

श्री रामसिंह कूडी : गलती करें और सुनें भी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है कि हरिजनों को $6\frac{1}{2}$ सौ या हजार देते हैं और ढाई हजार पाने वाले को 25 हजार 30 हजार देते हैं । इस सम्बन्ध में मैं जानकारी के लिए बताता हूं कि हरिजनों को जो देते हैं वह अनुदान होता है और उनको मुफ्त दिया जाता है । दूसरे लोगों को जो दिया जाता है, वह लोन होता है, उसको वापिस वसूल किया जाता है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं जानता हूं सरदारशहर में क्या हुआ ? वहां सरकारी पैसे से कुआ बना हुआ है । कांग्रेस का एक गुर्गा है, उसको 4 हजार रुपया मंजूर करके दिया गया है । यह पद का दुरुपयोग करते हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मंजूर कर लिया है। बरनसर के उस कुवे का प्राव-धान मंजूर कर दिया है। आपकी जान-कारी में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे जानकारी है लेकिन जैसा कि कहने के लिए आपने रुपया मंजूर किया है, वह दुरुपयोग है। अब तक सारे हरिजन बस्ती के लोग एक कुए से पानी भरते हैं। हरिजनों का कुआ सरकारी खर्च से अलग बना हुआ है। आप एक आदमी को अलग कुआं बनाने हेतु 4 हजार रुपया देते हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सरपंच ने मांग की थी। तब हमने अलग से दिया है।

श्री दौलतराम सारण : गलत है। कोई सरपंच ने मांग नहीं की है। एक आदमी है। वह सही है कि वह कांग्रेस का पेड नौकर था। आज गांव और सारा इलाका उसके खिलाफ हो गया है। वह इनका नौकर था इसलिए यह पैसे देते हैं। गांव में पानी है, कुआ है राज के पैसे से बना हुआ है, हरिजनों की बस्ती राज्य के पैसे से बसी हुई है। फिर भी अलग कुआ बनाने के लिए एक व्यक्ति को पैसा देकर इस तरह राज्य का पैसा दुरुपयोग करने के लिए है।

मैं कह रहा था, योजना का नियोजन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, योजना का नियो-जन प्राथमिकता के हिसाब से नहीं हुआ है, योजना का नियोजन अनिवार्यता और आव-श्यकता के हिसाब से नहीं हुआ है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, योजना बद्ध विकास, समाजवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरह के निष्पक्ष निर्मल और कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। जिस देश के अन्दर निर्मल, कुशल और निष्पक्ष प्रशासन नहीं होता है, वहां कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। उस देश में कभी भी योजनाबद्ध विकास नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए और योजनाबद्ध विकास के लिए कुशल प्रशासन की एजेंसी सबसे ज्यादा कारगर होती है। ट्रेण्ड, प्रशिक्षित और कर्त्तव्यपरायण प्रशासन जनतंत्र की आवश्य-कता है और यह सबसे पहली आवश्यकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि आपने पिछले बीस वर्ष में क्या निष्पक्ष, निर्मल और कुशल प्रशासन दिया है? आप हमेशा कहते हैं, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हम पैसे की कमी की बात मान लेते हैं। लेकिन प्रशासन को निष्पक्ष, निर्मल और कुशल बनाने के लिए तो पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। वह आप कर सकते थे। लेकिन आज क्या हालत है प्रशासन की? क्या आज का प्रशा-सन क्षमताशील है? क्या आज का प्रशासन निष्पक्ष है? क्या आज का प्रशासन एते-बार करने लायक है? आज जनता का विश्वास इस प्रशासन में नहीं है क्योंकि आज का प्रशासन जनता की तकलीफों को, शिकायतों को सुनने की क्षमता नहीं रखता है। आज का प्रशासन जनता को परेशान करता है, हर काम में पक्षपात करता है, भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार के तरीकों को पनपाता है। यह जो जनता का राज्य कहलाता है इसमें जनता की सुनवाई

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं होती है, जनता के साथ न्याय नहीं होता है, जनता के साथ ईमानदारी का व्यवहार नहीं है। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं। हमें और बात नहीं चाहिए। आप विकास भी अपने पास रखें। अगर विकास करने के लिए पैसा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। जब पैसा होगा तब इस सम्बन्ध में बात करेंगे। लेकिन आज हम प्रशासन की बात कर सकते हैं कि आप कुशल प्रशासन दें, निर्मल प्रशासन दें, निष्पक्ष प्रशासन दें, क्षमताशील प्रशासन दें। वह क्या आप दे पाये हैं? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज ईमानदार अधिकारियों की हालत यह है कि उनको फुटबाल बना कर रखते हैं, उनको पग पग पर बेइज्जत किया जाता है और उनके काम में राजनैतिक हस्तक्षेप किया जाता है। जब कि बेईमान, मक्कार और धूर्त लोग मजे उड़ा रहे हैं। इस कारण से प्रशासन में इनीसियेटिव, इन्सेंटिव मर गया है। आज सब लोगों का ईमान डांवाडोल हो चुका है। जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वह कर नहीं सकते हैं। कल एक मित्र, माननीय सदस्य कह रहे थे कि राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हो गया है। राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हुआ नहीं है बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास किया गया है। यह मेरा चार्ज है। यह मेरा आरोप है और वह इस प्रकार किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में शासन का दखल जीवन के हर क्षेत्र में होता है। लोकतंत्र के जीवन में शासन आता है और मरण में भी शासन आता है, हर काम में बीच में शासन आता है। चाहे कोई नौकरी करे, चाहे कोई व्यवसाय करे या चाहे और कोई काम करे। आज जीवन के हर क्षेत्र के अन्दर शासन का दखल है। जब ऐसा है तो शासन जैसा होगा वैसी ही उसकी प्रतिछाया जीवन पर पड़ेगी। आज व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आज ईमानदारी से व्यापारी व्यापार करने में स्वतंत्र है? आज उसके पीछे पग पग पर इन्सपेक्टर लगा रखे हैं, जो दिन भर उनको तंग करते हैं। उस के कागज बार बार ले जाये जाते हैं। उस के कागज पहले वाला छोड़ कर जाता है तो दूसरा आकर ले जाता है। आज जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है, आज हर व्यापारी ने हर इन्सपेक्टर का महीना तय कर रखा है। जो आपने टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्सों की वसूली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। फिर भी आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। हम टैक्स लगाने की बात मानते हैं। हम पागल नहीं हैं जो टैक्स का विरोध करें, राज्य की आमदनी का विरोध करें। लेकिन हम केवल यह कहना चाहते हैं कि आप एकांगी दृष्टि से नहीं देखें, आप सर्वांगीण दृष्टि से देखें। आप को यदि आमदनी चाहिए तो आप आमदनी लें, जनता आपको टैक्स के रूप में देगी। लेकिन जो टैक्स आप लेते हैं, जिससे लेते हैं उस टैक्स पेअर की शिकायतें तो सुनें, उसकी परेशानी को तो देखें और उसके साथ जो हरसमेंट किया जाता है, उसको तो दूर करें, उसकी इज्जत और आबरू का तो ध्यान रखें, उसके मान सम्मान का तो ध्यान रखें। आज उसका मान सम्मान और

(श्री दौलतराम सारण)

इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं हैं। आज टैक्स पेयर परेशान हैं। आज टैक्स पेयर की हालत अत्यन्त दयनीय है इसलिए ही वह प्रशासन से नाराज हैं।

आज आपकी योजनाओं ने क्या स्थिति पैदा करदी है ? अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी विकास कर लिया है। हम मानते हैं कि शिक्षा के अन्दर प्रसार का कार्य हुआ है लेकिन क्या आप इतना खर्च करने के बाद में वह भी नहीं करना चाहते थे। उसके बावजूद आज शिक्षा की स्थिति क्या है ? आज आपकी शिक्षा का स्तर क्या है ? आज आपकी शिक्षा की व्यवस्था क्या है ? आज पैसे लेकर लड़के पास किये जाते हैं, आज भ्रष्टाचार को आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी घुसा दिया है। आप तो गांधी जी की दुहाई देने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस की रीति नीति को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि गांधीजी का शिक्षा के बारे में क्या दृष्टिकोण था ? और क्या आपने गांधीजी के दृष्टिकोण को अपनाया है ? गांधीजी चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा श्रम और विवेक का समन्वय किया जाय तभी वह जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन आपने गांधीजी का दृष्टिकोण उठा कर ताक में रख दिया। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को फेल कर दिया है। आपने गांधीजी की शिक्षा के दृष्टिकोण की उपेक्षा की है और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं इसमें दो राय नहीं है। गांधीजी की सारी बातों के अन्दर आपने सेबोटेज किया है। गांधीजी ने जो आर्थिक कार्यक्रम दिया था उसकी आपने उपेक्षा की है। उन्होंने जो सामाजिक कार्यक्रम दिया था उसकी उपेक्षा की है। जो उन्होंने शिक्षा का कार्यक्रम दिया था उसकी उपेक्षा आपने की है। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण की बात कहीं, अछूतोद्धार की बात कही थी। लेकिन आपने इस दिशा में क्या किया ? आज भी राजस्थान में यह स्थिति है कि आज राजस्थान के चौदह पर्सेन्ट लोगों को छोड़ कर बाकी बहुसंख्यक सब अंगूठा लगाते हैं। बीस साल के बाद भी बहुसंख्यक अंगूठा लगाते हैं। आज राजस्थान के नागरिकों की यह स्थिति है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता का एक व्यापक अभियान लेकर काम करते तो निरक्षरता उन्मूलन हो गया होता। लेकिन गांधीजी की इस बात की ओर आपने ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का जो छोटा सा सवाल था, उसकी तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया एक तरफ ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिसमें केवल पैसे वालों के लड़के जा सकते हैं.......

श्री मनोहरसिंह मेहता : पब्लिक स्कूल।

श्री दौलतराम सारण : एक तरफ पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिन पर न छप्पर है, न टीन है, न जिनमें टाट-पट्टी हैं। इस तरह के स्कूल आप चला रहे हैं। आखिर यह विषमता कौन पैदा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह विषमता शासन पैदा कर रहा है या और कोई कर रहा है ? आपकी योजनाओं में, शिक्षा की योजनाओं में कोई संगति नहीं है। एक जिला ऐसा है जिसमें दस पन्द्रह हाईस्कूल

(श्री दौलतराम सारण)

है, और एक पूरी तहसील बिना हाई स्कूल की है। एक जिले में चार-चार कॉलेज हैं और दूसरे में बिल्कुल नहीं हैं। एक जगह आप यूनीवर्सिटी और दूसरी संस्थायें खोल रहे हैं, जब कि दूसरी जगह की बिल्कुल उपेक्षा है। इस तरह से आपने राजस्थान में एक असंतुलन पैदा कर दिया है, राजस्थान में आपने विषमतायें पदा कर दी हैं। राजस्थान के अन्दर आपने इस तरह का क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर दिया है जो कि आने वाली पीढ़ियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके अन्दर जो कमियां हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आज शिक्षा की यह स्थिति आपने करदी है कि शिक्षित लोगों में भयंकर बेकारी है, आज शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। दो साल पहले आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते थे। टेक्निकल एजुकेशन योजनाबद्ध विकास के लिए आवश्यक है। आज से दो साल पहले बजट अधिवेशन के दौरान मैंने टेक्निकल एजुकेशन के सम्बन्ध में जो कहा था उस पर मुख्य मंत्री जी नाराज हुए थे। लेकिन आज दो साल के बाद में मेरी बातें बिल्कुल सत्य निकली है। आज टेक्निकल एजुकेशन का दिवाला निकल चुका है वह केवल इसलिए कि आपकी योजनाओं की संगति जीवन के साथ नहीं है, शिक्षा का समन्वय जीवन की आवश्यकताओं के साथ नहीं है, इसलिए आपकी शिक्षा की नीति फेल हो रही है। केवल नौकरी के योग्य बनाने के लिए शिक्षा नहीं हुआ करती है, उसकी जीवन की आवश्यकताओं के साथ संगति होनी चाहिए। जीवन को संस्कार युक्त और उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा का सहारा होता है। लेकिन मुख्य मंत्री जी, वह आपने नहीं किया है। उसका ही परिणाम है कि आज की शिक्षा जो है वह बेकारी का, असंतोष का, अनुशासनहीनता का वायस बन गई है, कारण बन गई है। ऐसी शिक्षा को अंधाधुन्ध बढ़ाने से और उसका विस्तार करने से सभ्य, शिष्ट और अनुशासित और कर्तव्यपरायण नागरिक पैदा नहीं हो सकते। जब तक शिक्षा के अंदर चरित्र निर्माण करने की क्षमता, जीवन को संस्कारयुक्त बनाने की क्षमता नहीं आयेगी तब तक शिक्षा उपयोगी नहीं होगी। इसकी ओर आप ध्यान दें, जो कि आज तक नहीं दिया है।

इसी तरह से मैं कह रहा था कि आपने धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये करों का प्रावधान किया है, सेस भी लगाया है, आपने और भी कुछ प्रावधान किये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता से त्याग की अपेक्षा करते हैं। हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम जो कर का विरोध कर रहे हैं वह न करें। आप हमसे कहते हैं कि एक तरफ हम विकास चाहते हैं और दूसरी तरफ हम कर का विरोध कर रहे हैं। हम कर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपकी अदूरदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपको कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप आज प्रशासनिक खर्च और वित्तीय स्थिति को देखें, आपकी स्थिति क्या है? मैं थोड़े में आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको प्रशासन की बात बताई कि प्रशासन में आज फिजूल खर्ची होती है, प्रशासन में आज अनावश्यक पदों का निर्माण किया जाता है। एडीशनल आई. जी., एडी-

(श्री दौलतराम सारण)

शनल फलां, एडीशनल फलां। मैं आपसे पूछता हूं, इसकी आप उपयोगिता को देखें। जोइन्ट डाइरेक्टर, फलां जोइन्ट डाइरेक्टर, फलां जोइंट डाइरेक्टर— यह पद लोगों को एडजस्ट करने के लिए निर्मित किये गये हैं। इनकी कोई प्रशासनिक उपयोगिता नहीं है— यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसी तरह से अनेक सुपरफ्लुअस पदों का निर्माण आपने किया है वह केवल लोगों को एडजस्ट करने के लिए किया है। इन पदों के कारण ही आज पब्लिक पर, एक्सचैकर पर बहुत भारी बोझ है। इसी प्रकार से आज अंधाधुन्ध जीपों का दुरुपयोग होता है, अंधाधुन्ध तरीके से राज्य की सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है। जहां देखो वहां सड़कों पर सरकारी जीपें दौड़ रही हैं, जहां देखो सरकारी जीप जा रही है। कहां जा रही है? किस काम के लिए जा रही है? यह कोई देखने वाला नहीं है। इस पर कोई सुपरवीजन या कंट्रोल नहीं है। आज यह स्थिति है। आज शासन में पोस्ट क्रियेट की जाती हैं वह वर्कलोड के हिसाब से नहीं की जाती हैं। वर्क लोड के हिसाब से अगर आज प्रशासन की पोजीशन को देखें तो दूसरी ही स्थिति सामने आयेगी आज अनावश्यकरूप से भारी खर्चा प्रशासन पर हो रहा है। आज प्रशासन की बात क्यों कहें, आपके इस मंत्रिमण्डल का हाल ही देखें। आज लोग भूख से कराह रहे हैं, रोटी मांगते हैं, रोजी मांगते हैं लेकिन उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। प्यासा पानी मांगता है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आपके पास पैसा है। मंत्रियों के लिए नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। नये नये अनुत्पादक कार्यों के लिए और भवन निर्माण के लिए आपके पास पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इन सब कामों के लिए एक साल और नहीं ठहर सकते हैं? तीन साल नहीं ठहर सकते हैं? आप नहीं ठहर सकते। क्योंकि आपका दृष्टिकोण है ही नहीं। आप योजनाओं में प्राथमिकता तय करने में असमर्थ हैं। आप सामाजिक और जीवन की उपयोगिता और आवश्यकताओं को महसूस करने में असमर्थ हैं। अब आपने एक नया नारा दिया है। जब केन्द्रीय सरकार आपको पैसा देने में गुरेज करने लगी, जब रिजर्व बैंक आपको ओवर ड्राफ्ट एलाऊ करने में गुरेज करने लगी तो आपने एक नया शिगूफा निकाला, बोर्ड बनायेंगे, निगम बनायेंगे ताकि केन्द्रीय सरकार से सहायता मिले और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह ले रहा था उससे दुगुनी और चौगुनी तनख्वाह देकर उनमें अपाइन्ट कर दिया जाय। आपने देखा कि इससे आपके दो पर्पज सर्व होंगे एक तरफ तो उनमें अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया जाय, जनता के द्वारा तिरस्कृत हुए और हारे हुए लोगों को इनमें एडजस्ट करने के लिए मौका मिलेगा। तो इस प्रकार राजनैतिक पराजित लोगों के शरण स्थल क्रियेट किये जा रहे हैं। जहां देखो बजट में वहां निगम है, जहां देखो वहां बोर्ड बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो निगम और बोर्ड बना कर प्रशासनिक और संस्थागत व्यय बढा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास विकास और नव-निर्माण के लिए पैसा नहीं है। एक तरफ आप कोपरेटिव बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप

(श्री दौलतराम सारण)

निगम स्थापित करना चाहते हैं। एक तरफ आप डिपार्टमेंट भी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बोर्ड भी रखना चाहते हैं। आखिर यह दोहरा खर्चा क्यों ? अगर आप निगम को वाकई ठीक समझते हैं तो हम मान सकते हैं लेकिन यह दुहरा खर्चा चलता है हर मामले में। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि मैंने निगम और बोर्ड की एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अन्दर शायद कुछ और निगम और बोर्ड बच गये हों लेकिन पन्द्रह निगम और बोर्ड अब तक अनाउन्स हो चुके हैं। वित्त निगम तो है ही, लघु उद्योग निगम है ही, यातायात निगम है ही, होटल कॉर्पोरेशन है ही, एग्रो-इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है ही। अब एक और नया एग्रीकल्चर निगम का हो रहा है ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कोर्पोरेशन।

श्री दौलतराम सारण : एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कोर्पोरेशन हो रहा है। आपको कोपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक पर यकीन नहीं रहा है। आप कहते हैं कि जहां पर कोऑपरेटिव बैंक कमजोर है वहां हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन के द्वारा कोआॅपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ायेंगे, उससे सहयोग दिलवायेंगे। आपका अजीब नजरिया है। अगर आप कोआॅपरेटिव मूवमेंट के ऊपर भरोसा रखते हैं तो इस विचार को वाश आउट क्यों नहीं करते हैं ? अगर भरोसा नहीं करते हैं तो सहकारी ऋण आप पंचायत समितियों के मार्फत क्यों नहीं देते हैं ? पंचायत समिति की एजेंसी बनी हुई है, फिर आप जनता के ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हैं ? लेकिन आप इस पर विचार नहीं करेंगे। इसी प्रकार राजस्थान मिनरल एण्ड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है। विद्युत बोर्ड है ही, खादी बोर्ड है ही। जब मौका आयेगा तो विद्युत बोर्ड की कहानी बताऊंगा, खादी बोर्ड की कहानी भी अलग है। अब एक ऊन बोर्ड अलग से बन रहा है। भेड़ और ऊन विभाग में संयुक्त राष्ट्र से सहायता के रूप में जो राशि मिल रही है और उससे जो सामान की खरीद फरोख्त का काम होता है उसमें भयंकर घोटाला हुआ है। उस पर नियंत्रण करने में आप असमर्थ हुए हैं, इसलिए उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप कहते हैं कि ऊन बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। उसमें अपने किसी और व्यक्ति को लाकर बिठा देंगे। इस तरीके से आज बोर्ड बन रहे हैं, निगम बन रहे हैं। इसके साथ ही वन निगम और बन रहा है वनों का विकास करने के लिए। आपका जो अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड है उसकी हालत तो अत्यन्त दयनीय है। आप कहते हैं कि उसको हम नो लोस, नो प्रोफिट के बेसिस पर चला रहे हैं, मगर उसमें लाखों रुपयों का घाटा है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है, आज तक उसके अकाउन्ट्स तैयार नहीं हुए हैं। यह स्थिति है, आप जनता की किसी बात की ओर ध्यान दें, इसका सवाल नहीं है। ऐसे बेहूदे तरीके से काम होता है कि जिसकी हद नहीं है। जो कृषि वर्कशाप है, उसको भी अब निगम के सुपुर्द किया जा रहा है। वह भी नो लोस, नो प्रोफिट के बेसिस पर चलता है लेकिन उसकी भी खस्ता हालत है उसके भी अकाउन्ट्स की हालत दयनीय है। उसमें भी लाखों का घाटा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यह

(श्री दौलतराम सारण)

जो न लाभ, न हानि के सिद्धांत पर चलने वाली योजनाएँ हैं, इन सब योजनाओं में घाटा है। न लाभ, न हानि के आधार पर चलने वाली दुग्ध वितरण योजना है, भूतल जल योजना है, बीज और खाद वितरण योजना है, कृषि वर्कशाप है टूरिस्टों के लिए आवास की व्यवस्था है यह सब की सब घाटे में चल रही हैं। यह घाटे में क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं कि उनकी देखभाल नहीं है। कोई भी योजना बनाने से पूर्व उसके बारे में सोच विचार नहीं किया जाता है। ऊन की योजना बनाने के आधार के ऊपर चिन्तन नहीं किया जाता है। इसलिए ही आखिर में योजना फेल होती है। जब उसमें घाटा होता है और जब वह उपयोगी साबित नहीं होती है तो नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। इसी तरह से नमक उत्पादन और बिक्री का कार्य है। नमक उत्पादन और बिक्री का काम एक बहुत अच्छा क्षेत्र है इस राजस्थान सरकार की आमदनी का। लेकिन सरकार ने क्या किया? सबसे अधिक जो प्योरिटी का नमक का क्षेत्र था, जो खाद्य योग्य नमक का क्षेत्र था उन क्षेत्रों को इस राज्य सरकार ने प्राइवेट लोगों को दे दिया, मामूली रेट से दे दिया, और इस प्रकार अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्राइवेट लोगों को यह नमक क्षेत्र देकर एक कम्पीटीशन खड़ा कर दिया। यह नमक उत्पादन और बिक्री का काम राज्य सरकार के बजट में आमदनी का एक अच्छा जरिया था, उसकी ओर राज्य सरकार समुचित ध्यान देती और नमक उत्पादन क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर अधिक नमक पैदा करके उसकी बिक्री का इन्तजाम करती तो उससे अच्छी आमदनी का जरिया मिल सकता था। लेकिन वह नहीं किया। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्रामीण परियोजना चालू की। उसके अन्तर्गत ऊन मिलों को चालू किया गया। लेकिन उनकी स्थिति क्या है। उन ऊन मिलों की हालत आप देखिये। उनके लिए मशीनें खरीदने में घोटाले हुए। जो मशीनें खरीदी गईं, उसके अन्दर जो मशीन जैसी चाहिए थी उस मेक की, उस तरह की मशीन नहीं खरीदी गई, इसका परिणाम यह है कि आज वह सब घाटे में चल रही हैं। आज उनका माल स्टोर में पड़ा है क्योंकि जो प्लान्ट पहले लगाना चाहिए था वह नहीं लगा है। ऊन की कताई हो रही है लेकिन ऊन की सफाई और ऊन को पूनी बनाने के काम का प्लान्ट अभी तक गायब है, अभी तक चालू नहीं है। अब उन मिलों को बेचने की या किसी को ठेके पर दे देने की बात सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी प्राइवेट आदमी के गले उन्हें डाल दें, किसी को ठेके पर दे दें या बेच दें क्योंकि आज वह घाटे में चल रही हैं। आपको रा-मेटिरियल का इस्तेमाल करना चाहिए उसके पहले ऊन की सफाई और ऊन की पूनी बनाने के लिए उचित तरह का प्लान्ट लगाना चाहिए उसके बाद में ऊन की कताई बुनाई का सवाल पैदा होता तो ऊन का उपयोग होता। लेकिन वह नहीं हो रहा है। आज लुधियाना और बम्बई से कच्चा माल मंगाया जाता है और फिर उसको कातकर दूसरी जगह, पंजाब में भेजा जाता है। आज यह ऊन मिलों की स्थिति है यह द्रविड़ प्राणायाम की तरह की है। यही नहीं, उपाध्यक्ष

(श्री दौलतराम सारण)

महोदय, उद्योग विभाग के अन्दर कई योजना बनीं उसके बाद में वह बन्द हो गई। पंचायत समितियों के अन्दर प्रशिक्षण की योजना बनी वह भी ठप्प हो गई। उनके लिए जो सैंटर बने उनमें लाखों रुपये खर्च हो गए। उनमें जो ट्रेण्ड स्टाफ रखा वह बेकार हो गया। और सारी योजनाएं करीब करीब बन्द कर दी गईं। पहले के जो ट्रेनिंग सैंटर चल रहे थे, उनमें काम अच्छा हो रहा था, बीकानेर, जोधपुर आदि में, लेकिन उन ट्रेनिंग सैन्टर की इनके हाथ में आने के बाद में दुर्गति हो गई। आज उनकी हालत दयनीय है। मैं बताना चाहता हूं कि जो चूरू का सैन्टर था, राजगढ़ का सैन्टर था वह नफे में चल रहा था लेकिन वह बन्द हो गया इसलिए कि उनको नया रूप दिया गया। पहले वह कारीगरों को ट्रेनिंग देता था, फिर उसमें ऊन की रंगाई, कताई और उसमें ऊन के सम्बन्ध में नई नई जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग की शाखा खोली गई। ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी गई और मशीनें खरीद ली गईं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि बिजली का कनेक्शन उसे दो तीन साल तक नहीं मिला। फिर जब उनको बन्द करने का हुक्म हुआ तो वहां बायलर आ गया जो आज भी पड़ा हुआ है। जो बीकानेर से बन्द करने के समय भेजा गया, वहां मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। माल हजारों रुपयों का पड़ा है। मैं जब वहां गया, मुझे उसको देखकर आश्चर्य हुआ। एक तरफ तो पैसे पैसे की खोज होती है और दूसरी तरफ हजारों रुपये का माल सड़ रहा है। एक तरफ गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य का रुपया इस प्रकार से बरबाद हो रहा है यह व्यवस्था की स्थिति है शासन की।

कहते हैं हम उद्योगों में आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन का नम्बर जरूर बढ़ रहा है लेकिन उनमें उत्पादन की क्या स्थिति है? कितनी ही कम्पनियां कोटा लेकर ब्लैक में बेच रही हैं। कितनी फैक्टरियां वास्तव में चालू हैं यह आपने कभी देखा है? जिलों के अन्दर इन्डस्ट्रियल इस्टेट खोले थे उनकी हालत बड़ी खराब है। हट्स जो बनाये थे वे खाली पड़े हैं कोई किराया नहीं आ रहा है। उसके लिए जो वातावरण बनाना चाहिए वह नहीं बना पा रहे हैं और जो फाइनेन्सेज इसमें लगा रहे हैं उनका उपयोग सही मायने में नहीं हो पा रहा है।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो बातें कहीं जा रही हैं, मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा हम यहां उद्योगों के लिए रियायतें नहीं देंगे तो कौन आयगा उद्योग खोलने के लिए और उसके बिना हम औद्योगीकरण कैसे कर पायेंगे? यह मैं भी मानता हूं कि प्रारम्भ में हम उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए मदद दें। उद्योगपतियों को जब आप कलकत्ता, बम्बई जाते हैं तो उनको सरसब्ज बाग तो बहुत बताते हैं लेकिन जब वे बेचारे यहां उद्योगों के सम्बन्ध में बातचीत करने आते हैं तो वे द्वारद्वार भटकते हुए गालियां देते हुए चले जाते हैं। उनको यहां टैक्नीकल एडवाइस नहीं मिलती और इस तरह से आते तो हैं उद्योग खोलने के लिए लेकिन भटक कर चले जाते हैं। जो कुछ इम्प्रेशन लेकर जाते हैं उससे वे वापिस आने की सोचते तक नहीं हैं।

एक मा० सदस्य : एक दो नाम तो बतलाइये ऐसे कौनसे उद्योगपति आये और चले गये ?

श्री दौलतराम सारण : आप तसल्ली रखिए एक दो नहीं काफी नाम बता दूंगा। चूरू जिले के लोग इस बारे में मुझ से मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योगों के खोलने का विरोध नहीं कर रहा हूं। उद्योग खुलने चाहिए इसका मैं हामी हूं। उद्योगों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने प्रशासनिक कठिनाइयां, तकनीकी ज्ञान का अभाव आदि जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप उनको सहयोग नहीं देंगे तो कोई उद्योगपति यहां बेइज्जत होने के लिए नहीं आयगा। जो उद्योग धन्धे खोलने वाला है वह परेशान होने के लिए, चक्कर लगाने के लिए नहीं आयगा। इसलिए उनके अनुकूल स्थिति आप बना नहीं पाये हैं।

इसी प्रकार ग्रामोद्योगों की स्थिति है। पुराने जो उद्योग धन्धे हैं, जो परम्परा से चले आ रहे हैं उनको राज्य सरकार को चाहिये संरक्षण दे, उनको बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग दे, उनका मार्ग दर्शन करे, उनके लिए अच्छे बाजार की व्यवस्था करे तो वे ज्यादा पनप सकते हैं लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण ये उद्योग धन्धे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग अपना धंधा छोड़छोड़ कर शहरों की ओर चले आ रहे हैं। इससे शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। उसका एकमात्र कारण यह है कि उन उद्योग धन्धों को वे खोलने में असमर्थ हैं। आप ग्रामोद्योगों की तरफ ध्यान दीजिये। आपको छोटे छोटे उद्योग धन्धे खोलने चाहियें सहकारी क्षेत्र में या अन्य तरह से ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। बड़े धन्धे भी खोलें लेकिन वह सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं, सहकारी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे धन्धे खोलिये जिसमें पन्द्रह, बीस आदमी काम कर सकें, जिसमें थोड़ी पूंजी लगे। उनको तकनीकी सहयोग देकर के, उनके माल की खपत के लिये बाजार मुहैया करके इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप राजस्थान का मुकाबला पंजाब से करना चाहते हैं तो उद्योग धन्धों में करिये। मुख्य मंत्री ने उद्योग धन्धों में, खेती में पंजाब के साथ मुकाबला नहीं किया। व्यक्तिगत हैसियत का वहां से मुकाबला नहीं किया सेस की बात जरूर कह दी। राजस्थान के मुकाबले पंजाब में सेस ज्यादा है लेकिन पंजाब में प्रतिव्यक्ति कितनी आमदनी है यह भी देखा है? राजस्थान में प्रतिव्यक्ति इनवेस्टमेंट कितना है, पंजाब में प्रतिव्यक्ति इनवेस्टमेंट कितना है? पंजाब में कृषि उपज कितनी है प्रति एकड़ वहां राजस्थान में कितनी है? इसका मुकाबला कर देखें। पंजाब के छोटे छोटे उद्योग धन्धों का मुकाबला करके देखें वहां लोगों का कितना कन्ट्रीब्यूशन है। ये बातें सारी देखते तो आप मानेंगे राजस्थान और पंजाब की तुलना नहीं हो सकती।

इसी प्रकार जो आपने कर भार बढ़ाया है उसका भार अधिकांश में गरीबों पर पड़ेगा। आपने राजस्व अधिभार लगाया 50 रुपया तक तो छूट दे दी, उसके बाद पचास के बाद में स्टेजेज में बढ़ाया है पचास पैसा, 75 पैसा इस तरह से स्टेजेज में बढ़ाया

(श्री दौलतराम सारण)

है। लेकिन यह नहीं देखा, पचास रुपया लगान देने वाले और दस एकड़ तक की भूमि रखने वाले को छूट दी है। यह तो आपको पता है कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा असिंचित है, दो तिहाई हिस्सा रेगिस्तानी है। अभी आपने जो समरी सैटलमेन्ट करवाया है वहां भू-राजस्व की दर बहुत अधिक आई है। एक तरफ लगान बढ़ गया दूसरी तरफ आप अधिभार बढ़ा रहे हैं। जब आप यह मानते हैं, हर चौथे वर्ष यहां अकाल पड़ता है उस अनुपात में आप देखेंगे क्या यह आपकी लगान की दरें हैं उसके अनुकूल हैं, क्या इस अनुपात में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई देती है? यहां अकाल का चार साल का सरकल चलता है।

जब आप राजस्थान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, उनको स्थायी रोजगार नहीं दे सकते, उनको अकाल से बचाने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो यह जो अधिभार आपने लगाया है वह आखिर अकाल पीड़ितों के ऊपर ही पड़ेगा, अल्प आय वालों पर पड़ेगा, जो लोग भूखे हैं जीवन-यापन करने में असमर्थ हैं उन पर पड़ेगा। इसलिये यह किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। न आर्थिक, न सामाजिक और न समाजवाद की दृष्टि से ही यह उपयुक्त कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा हम जो बान्धों पर खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न भी ठीक नहीं आ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी जनता पर नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उस समय रिटर्न जैसा कि सरकार कहती है उसके अनुसार होने चाहिए किन्तु वह वास्तव में तो कुछ और ही होते हैं। जो योजनाएं आप बनाते हैं वह ठीक प्रकार से बना नहीं पाते, न वह टेक्निकली ठीक होती है और न वित्तीय पहलुओं से ही उनको एग्जामिन करके बनाया जाता है। मेरे ध्यान में तो ऐसी एक भी योजना नहीं जो आपके रिटर्न्स के अनुसार रिटर्न देती हो, प्लान के मुताबिक रिटर्न देने वाली हो।

दूसरी तरफ निर्माण में प्रशासनिक कमजोरियों के कारण, प्रशासनिक भ्रष्टता के कारण जो खर्चा होता है उसमें से पचास प्रतिशत से अधिक खर्चा फिजूल चला जाता है। उसका भार आप जनता पर डालना चाहते हैं। खेतों में पानी भी नहीं दिया और कह दिया गया बैटरमेन्ट हो गया, उसकी लेवी बढ़ा दी, सेस बढ़ा दी। व्यावसायिक फसलों पर सेस लगादी जो किसी भी सूरत में समझदारी का काम नहीं कहा जा सकता।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। एक तरफ तो आप जीवन निर्वाह की स्थिति को उन्नत करने की बात करते है वहां सैकड़ों वर्षो से जो लोगों ने मीलों दूर से पानी लाकर अपने खेतों की रक्षा की है, खेतों को पानी देते रहे हैं आप उन पर लगान बढ़ा देते हैं, बैटरमेण्ट चार्जेज वसूल करना चालू कर देते हैं। खेतों में पानी देने से बैटरमेन्ट हो गया दूसरी तरफ जहाँ आपने करोड़ों रुपया इनवेस्ट किया, सड़कें बनायीं,

(श्री दौलतराम सारण)

बिजली लगाई, आराम के सब साधन उपलब्ध कराये उन पर आपने बैटरमेन्ट की सेस नहीं लगाई।

आपने अपने बंगलों की जमीन जो 2 दो ढाई रुपये गज में ली उसकी कीमत आज एक सौ रुपया गज हो गई। आपका बैटरमेंट नहीं हुआ? आप पर कोई टैक्स प्रपोज करने की हिम्मत नहीं लेकिन वह गरीब आपके ध्यान में आ गया कि वहीं प्लान का पैसा चला गया। आप 6 प्रतिशत कृषि, पशु पालन, सहकारिता पर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत कर रहे हैं और किसान से कह रहे हैं कि वह मालामाल हुआ है, उसकी हैसियत सुधरी है। अगर हैसियत सुधरी होती तो वह एक ही अकाल पड़ने से मालवा नहीं जाता। आप क्यों नहीं गए खानाबदोश बनकर? अगर उसकी हैसियत सुधर गई होती तो लाखों पशु और लाखों इन्सान मारे मारे हजारों मील यात्रा करके यू० पी० मध्य प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में नहीं जाते। लेकिन आप पीने के लिये पानी नहीं दे सकते। आप उनकी हैसियत सुधार नहीं सकते, अकाल से बचाने के लिए कोई स्थाई उपाय नहीं निकाल सकते। पशुओं की जीवन सुरक्षा करने में आप असमर्थ हो। आपको पता नहीं कि कितने पशु मर गए, कितने जिंदा हैं, आपको पता नहीं कि कितना पशु धन संकट में है और फिर आप कहते हैं कि लाओ टैक्स। टैक्स देने के लिए वह तैयार है, विरोधी पक्ष के लोग भी तैयार हैं लेकिन जब टैक्स लेते हो तो उसका सदुपयोग करो, एक एक पाई ठीक तरीके से खर्च करो, जो आज नहीं है। आप फिजूलखर्ची कर रहे हो। आपने सारे बजट में कोई बचत का प्रावधान नहीं रखा। मैं जानता हूं कि आप बचत नहीं कर सकते। आपको 15 लाख सेक्रेटेरियट में सुधार निर्माण के लिए याद आ गए, आपको खश के पर्दे लगाने, रेफ्रीजिरेटर, रूम कूलर और हीटर इस्तेमाल करने के लिए, मंत्रियों को ज्यादा पानी, ज्यादा बिजली देने के लिए पैसा हो गया वह प्रावधान तो फौरन कर दिया लेकिन गरीबों के पानी पीने की आपको याद नहीं या जब सवाल आया तब थोड़ा पैसा लगाया। एक तरफ विषमता बढ़ रही है योजनाओं के जरिए, पाइप लगाने के लिए पैसा नहीं, एक तरफ नल योजनाएं बना रहे हैं तो दूसरी तरफ कुए नहीं, कुंड पानी के लिए नहीं। पहली जरूरत पहले पूरी करो, दूसरी बात दूसरे नंबर पर करो, तब राजस्थान का आर्थिक विकास सही दिशा में ठीक तरह से होगा। और राजस्थान का आदमी खुशहाल हो सकेगा, प्रगति कर सकेगा ''

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, आपके दल का समय भी समाप्त हो गया।

श्री दौलतराम सारण : मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त कर रहा हूं।

श्री अमीलाल यादव। (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से बजट पर वादविवाद चल रहा है....

श्री रामसिंह कुंडी : किसका समय है ?

श्री श्रवणलाल : दल बदलू का ।

श्री अमीलाल यादव : देखने में आया है और यह तथ्य है कि अपना देश कृषि प्रधान देश है, खासतौर से ...

श्री श्रवणलाल : आपकी खरीद पर कितना खर्च हुआ ?

श्री अमीलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री श्रवणलाल : आपकी खरीद के खर्च का बजट में प्रावधान है या नहीं ?

श्री अमीलाल यादव : यह सही है कि हम लोग एक ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां 5–6 जिलों में हरवर्ष ही अकाल पड़ता आया है और बाकी जिलों में 5 साल के अन्दर तीन बार तो अकाल पड़ता ही है । इसका मुकाबला करने के लिये सरकार बराबर राहत कार्य शुरू करती आई है और अकाल को दूर करने के लिये पूरी कोशिश करती रही है लेकिन उसका स्थाई इलाज जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक यह अकाल का दुःख किसान का दूर नहीं हो सकता । इसलिये जो अकाल के लिये 21 करोड़ रुपये बजट में रखे हैं वह तो सराहनीय है लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जिलों में जो ग्राम अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं, वहां बराबर अकाल राहत कार्य चालू होने चाहिए । अलवर जिले में 164 गांव अकालग्रस्त घोषित हुए हैं वहां अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हुए हैं । वहां भी काम शुरू होने चाहिए ।

इसके साथ साथ यह भी देखने में आया है कि किसी भी वेल्फेयर स्टेट में टैक्सेज लगते हैं लेकिन उसी तरीके से लगे जहां टैक्स लगाना जरूरी है, इसमें कोई हमें ऐतराज नहीं लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जिन पर टैक्स लगाया जाता है उनकी राहत के लिए हम कितना कार्य करते हैं । आप देखेंगे कि किसानों पर जो टैक्सेज लगाए हुए हैं और बैटरमेंट लेवी और दूसरे सेस लगाए हैं उनके अन्दर कोई तकलीफ नहीं लेकिन यह भी देखना है कि देहातों के लिए और किसानों के लिए जितना परसेन्टेज बजट का उन लोगों पर खर्च किया जा रहा है, आंकड़ा देखने से यह पता चलता है कि 8 प्रतिशत बिजली और 8 प्रतिशत किसानों के लिये रखा, यह नाकाफी है । बल्कि यही देखना चाहिए कि यदि किसानों को पूरा पानी और खाद व बीज समय पर मुहैया किया जाय तो सेस की कोई परवाह नहीं । यह जरूरी है कि जो खासतौर से कामर्शियल क्राप्स पर सेस लगाया है 6 और 2 प्रतिशत, यह काम पटवारी के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह भी देखने में आया है कि जो मिक्स्ड क्राप्स होती है उसके साथ और भी कई तरह की जिसे आड़ कहते हैं सरसों और दूसरी चीजें बोई जाती हैं । तो इन मिक्स्ड क्राप्स के बारे में वित्तमंत्री जी विशेषतौर से गौर करें और कम से कम एग्जेम्पशन या इस प्रकार का तरीका निकालें जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मिक्स्ड क्राप्स करप्शन का अड्डा न बने । इसका वाया मीडिया यह भी हो सकता है कि जो बड़े उद्योग हैं और वे प्राइवेट सैक्टर के हाथ में हैं उसमें मेरा सुझाव है कि जो एक करोड़ से

(श्री अमीलाल यादव)

ऊपर वाले उद्योग है वे स्टेट सेक्टर में आने चाहिए । इससे दो फायदे होंगे । एक तो जो बिक्री कर व आयकर की चोरी होती हैं वह बचेगी इससे सीधा सरकार को फायदा होगा और जो पैसा बचे वह किसानों के काम में आना चाहिए ।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ रूट्स हैं जो नेशनेलाइज्ड हुए हैं वहां काफी बचत हुई है और सुधार आए हैं, इसके साथ साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जितने टार्ड रोड्स हैं उनको नेशनेलाइज्ड किया जाय जिससे और भी ज्यादा फायदा होगा ! जो अपने पड़ोसी राज्य हैं वहां जितने रूट्स हैं सब नेशनेलाइज्ड हैं और उसके कारण किसानों को और प्रदेश को काफी फायदा हुआ है ।

सहकारिता में भी पंचायत राज की तरह स्लैकनेस आ गई है और उसमें ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इस बजट भाषण में आया है कि ट्रैक्टर्स के लिए किसानों को रुपया दे रहे हैं लेकिन किन किसानों को मिल रहा है ?

जो नयी जमीन ब्लेकमनी से खरीद कर ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं उन्हीं लोगों को मिल रहा है । जो वास्तव में छोटे किसान हैं, रीयल कल्टीवेटर्स हैं उनको इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है । इसलिये कोओपरेटिव्ज के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये । यह लोन बांटने का जो तरीका है वह भी इतना काम्पलीकेटेड बन गया है कि जो रीयल किसान है उसको तो लोन नहीं मिलता और जो लोग तिकड़मबाजी कर लेते हैं उनको मिल जाता है । पटवारी के चक्कर में डाल कर और लम्बा प्रोसिजर करके परेशानी पैदा कर दी है इससे किसानों को बड़ी भारी तकलीफ होती है । इसलिये सुलभ और साधारण तरीका होना चाहिये । जैसे पंचायतों में पहले लोन था तो आसानी से किसानों को क़र्ज मिल जाता था । अब वह तरीका समाप्त हो गया है । इससे जो नीडी है उसको कर्ज नहीं मिलता है । या तो पंचायत समितियों को बिलकुल ही खत्म कर दीजिये, नहीं तो सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे उनको पावर्स दीजिये । जब तक पंचायती राज मजबूत नहीं होता है तब तक लीडरशिप देहात में नहीं पनप सकती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा—इनको पावर-फुल बनाइये । ज्यादा से ज्यादा ग्रान्ट इन एड व ऋण इनको दीजिये ताकि किसानों को लोन दे सके । मेरा सुझाव है कि या तो आप इनको पावर फुल बनाइये या फिर इनको समाप्त ही कर दीजिये और तहसील पर ऐसी योजना बनाइये ताकि डाइरेक्ट तहसील में आकर लोन उनको मिल जाय । सरपंच को कमेटी का मेम्बर बना दीजिये । कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिये या स्टेट बैंक के जरिये उनको जो लोन मिलता है उसमें तकलीफ होती है और नीडी किसान को लोन नहीं मिलता है ।

नल योजना बना रखी है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । यह बात ठीक है कि चालीस पचास मील दूर से पानी आ रहा है । लाना भी चाहिये । मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि शहरों को इतना पानी

(श्री अमीलाल यादव)

क्यों मिले। शहरों के मैं खिलाफ नहीं हूं। लेकिन देहात को देखना चाहिये दूर से पानी आता है, कुंए गहरे हैं, खारा पानी है। उन सब को देखना चाहिये और बजट में उसका प्रावधान भी रखना चाहिये था। मैं आपको बेहरोड़ क्षेत्र के बारे में मिसाल कोट करता हूं। एक रोड़वाल गांव है जहां पर खारा पानी है। पब्लिक कान्ट्रीब्युशन से एक साल हो गया रुपया जमा कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार कुतीना गांव है वहां भी गहरा पानी है। पब्लिक ने रुपया जमा कराया लेकिन न तो कोई सर्वे हुआ है और न कोई नल योजना की स्वीकृति हुई है। इसलिये कोई भी क्षेत्र हो नल योजना के लिये जहां पैसा जमा हो तो सरकार की ओर से भी गांवों में जहां खारा पानी हो, कुंए में पानी गहरा हो और जनता को तकलीफ हो तो उस जगह को प्रायोरिटी होनी चाहिये।

इस बजट में कहा गया है कि बिजली को प्राथमिकता दी गयी है।

श्री श्रवणलाल : एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

व्यवस्था का सवाल है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अमीलालजी जैसे दल बदलूओं के लिये बजट, में कोई प्रावधान रखा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री अमीलाल यादव : बिजली की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा वहां होनी चाहिये जहां पर ज्यादा से ज्यादा कुए हों, जहां ज्यादा से ज्यादा पानी हो, जमीन अच्छी हो और दो तीन फसल पैदा होती हों और किसान पैदावार करते हों, इस तारीफ में भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और सीकर आते हैं। इसलिये इन जिलों में सबसे ज्यादा बिजली का प्रावधान रखना चाहिये। खासतौर से इसलिये भी कि अड़ोस पड़ोस में हरियाणा, पंजाब और यू. पी. लगते है वहां तो इलेक्ट्रिसिटी आ गयी और राजस्थान को देखते हैं तो लोग चर्चा करते हैं वहां तो चन्दाना और राजस्थान में आये तो अन्धेरा। इसलिये बिजली के माने में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना चाहिये। रोड्स का भी यही है। पंजाब और यू. पी. और हरियाणा में तो सड़क और यहाँ नहीं। इसलिये कुओं में पानी हो, अच्छा हो खारा न हो वहां पाइप लगाने के लिये बिजली देनी चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है बेरोजगार की समस्या के बारे में। आज अनएम्पलॉयमेन्ट 'टेक्नीशियन्स और डिप्लोमाहोल्डर्स' में है। डाक्टर्स में इतनी अभी समस्या नहीं आयी हैं यह भी आखिर आने वाली है। जो अनएम्पलॉयमेन्ट नौजवानों में फैल रहा है, चाहे किसी पार्टी का राज्य हो यह एक बड़ी समस्या है और सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस अनएम्पलॉयमेन्ट को मिटावें। इसके लिये

(श्री अमीलाल यादव)

कोई न कोई इस प्रकार का तरीका निकालना चाहिये कि जिससे जो भी लड़का स्कूल और कालेज से निकले उसको रोजगार मिलना चाहिये। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में पहले कहा था कि इन्जीनियर्स को प्रोजेक्ट्स में जमीन अलाट की जावेगी और डिप्लोमा होल्डर्स को लाइसेन्स होल्डर बनायेंगे और उनको एम्पलॉयमेन्ट मिलेगा। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। मेरा सुझाव यह है कि एक करोड़ की जो इन्ड-स्ट्रीज हैं उनको आप स्टेट सेक्टर में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री अमीलाल यादव : एक करोड़ की इन्डस्ट्रीज को स्टेट सेक्टर में लेने से आज जो अन एम्पलॉयमेन्ट फैल रहा है वह दूर होगा और दूसरे भी साधन बढ़ेंगे।

पब्लिक सर्विस कमीशन आदि में जो साक्षात्कार होता है वास्तव में यह देखना चाहिये कि जो उम्मीदवार अच्छे नम्बर से पास हुआ है उसको प्रायोरिटी मिले।

(5 म० प०)

इस बारे में प्रशासन की ओर से जो शिथिलता है, उसके अन्दर में, कहूंगा थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है। उनके माइन्ड से यह निकालना चाहिये। कार्यकर्ता, जनता के जो आदमी हैं उसकी हैसियत को जब तक वे रिलाइज नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक उत्थान में वे बाधक हैं। इसी वजह से भ्रष्टाचार की बातें हम करते हैं। हमारा आज कोई माप-दण्ड नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि हम अपनी जिम्मेवारी को महसूस नहीं करते पहले हम सोचें कि हम सिटीजन हैं। उसके बाद कुछ और हैं। हम सिटीजन की जो ड्यूटी है, उस पर पाबन्द रहें। हम अपनी ड्यूटी को प्रोपरली डिस्चार्ज करें चाहे किसी भी स्थान पर हो। ऑफिशियल हों या नान ऑफिशियल हों। यह हरेक नागरिक का फर्ज होना चाहिए। इसके बाद जो हम हैं, वो हों। हम गरीब और अमीर का भेद-भाव देखते हैं। दूसरे का पव्वा है, हमारा पव्वा नहीं है। यह लोग मससूस करते हैं। यह इसलिये है कि हम अपनी ड्यूटी को प्रापर ड्यूटी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन जब ही ठीक हो सकता है जब कि हरेक नागरिक चाहे वह किसी भी स्टेज पर हो, वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से समझे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के पहलू पर भी निवेदन करना चाहूंगा। यह सही है कि राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की है। जितनी तरक्की की है, उसके साथ साथ यह भी देखना है कि जहां पर सबसे ज्यादा हाई स्कूल हैं, जहां सबसे ज्यादा लड़के पढ़ते हैं, एक एक हाई स्कूल में आठ-आठ सेक्सन हों और जिस जगह पर 13 हाई स्कूल एक तहसील में हों, उस जगह पर कालेज का भी प्रावधान होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा सरकार को आपके जरिये उपाध्यक्ष महोदय, कि बहरोड़ तहसील में 13 हाई स्कूल हैं। प्रत्येक हाई स्कूल के अन्दर, कोई ऐसा हाई स्कूल नहीं हैं जहां कि एक हजार

(श्री अमीलाल यादव)

से कम लड़के हों, और उसके पास में कोट-पूतली जो जयपुर जिले के अन्दर है, नजदीक है। फिर भी वहां एडमीशन में तकलीफ होती है। इसलिए वहां के स्टूडेन्ट्स की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए, वहां के हाई स्कूलों की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए, वहां पर कॉलेज खोलना अनिवार्य है। इसलिए निवेदत करूंगा कि शिक्षा के ऊपर पिछले साल यह कहा गया था कि ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, फिर भी देहातों की तरफ़ आप देखें। देहातों में जो हाई स्कूल भवन, हायर सेकेन्डरी भवन हैं, कालेज भवन हैं, वे तमाम के तमाम जनता के बनाये हुए हैं। बड़े सेठों के बनाये हुए स्कूल भवन इने गिने होंगे और वे ज्यादा शहर में होंगे। अलवर जिले में तो ज्यादातर स्कूल भवन हैं वे जनता के, गरीब आदमियों के बनाए हुए हैं। इसलिए वहां शाला भवन हैं, स्कूल कालेज के लिए भवन की कमी नहीं हैं। इस स्थिति में वहां कालेज का होना बहुत जरूरी है।

कई वर्षो से उपाध्यक्ष महोदय यह बात चल रही है

(5.4 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

कि साबी नदी पर बांध बनाया जावे। एक अर्से से इसकी योजना बन रही है। लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि साबी नदी पर बांध बनाया जावे। बहरोड़ से अलवर को जो सड़क जाती है, बसेज जाती हैं उसके ऊपर, बरसात में इस पर जाने में तकलीफ होती हैं वह इस के बन जाने से दूर हो जाती हैं वाटर लेविल भी नजदीक आ जाता है। और उसके पेटे में काश्त की जा सकती है। गांव को जो नुकसान होता हैं, वह बचेगा। इस बजट के अन्दर इसका प्रावधान नहीं है। इसलिये खासतौर पर इसका प्रावधान रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब को निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कमर्शियल क्राप्स पर सैस लगाया है, उस पर हमारे वित्त मन्त्री महोदय गौर करेंगे और इसका कोई वाया मीडिया निकालेंगे, पटवारी के हाथ में किसान को न दीजिए। जो पेटा उसका काश्त में आयेगा, उससे उसको नुकसान होता है। उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अन्त में मै यही निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय कमर्शियल क्राप्स के टैक्स के बारे में मिक्स्ड क्राप्स के बारे में जो सैस लगाया है, उस पर गौर करें।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है उसके अन्दर आदिवासी, गरीब किसानों पर सैस टैक्स लगाया है। सभापति महोदय, जब बजट बनाया जाता है तो उसके पहले राजस्थान की जनता यह आशा लगाती है कि इस वर्ष के बजट में किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा के लिए पैसा रखा जायेगा या किसानों की उन्नति के लिए ज्यादा साधन देने के लिए बजट बनाया जायेगा।

(श्री महेन्द्र कुमार)

परन्तु यहां पर बजट घाटे का आता है। वहां पर किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात ही बात है। यह एक बहुत बुरा काम है। सभापति महोदय, हमारे डूंगरपुर जिले में सभी आदिवासी किसान रहते हैं और उनके पास बहुत कम जमीन होती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर लोग साल भर में खाने के लिए गन्ना, तिल, कपास ये चीजें पैदा करते हैं और केवल अपने साल भर के लिये खाना उपलब्ध हो सके इतना ही पैदा करते हैं। उस पर अगर सैस कर लगेगा, तो जो आदिवासी किसान हैं, उनकी हालत बड़ी खराब हो जायेगी। इसके साथ साथ डूंगरपुर जिले में बिजली की कमी है। इसके अलावा वहां दूसरे साधनों की कमियां हैं। डूंगरपुर जिले में बिजली की बहुत कमी होने की वजह से लोग जितना अधिक अन्न उत्पादन करना चाहिए, उतना नहीं कर पाते हैं। यहां से डूंगरपुर के लिए चम्बल की बिजली जाती है और चंबल की बिजली डूंगरपुर से होती हुई बांसवाड़ा गई है। डूंगरपुर से बांसवाड़ा जो बिजली की लाइन गयी है, उसके बीच में लगभग 25-30 गांव बड़े बड़े पड़ते हैं। इन गांवों में, एक एक गांव में करीब 50-50, 100-100 कुंए हैं। और इन कुंओ में पानी भरा हुआ है। किसानों की हालत बड़ी खराब है, वे रेंहट नहीं लगा सकते और न कोई दूसरा साधन ऐसे लगा सकते हैं जिससे कि कुओं से पानी निकाल कर अधिक अन्न का उत्पादन कर सकें। इसके लिए हमारे यहां बिजली की कमी है। यहां बिजली की पूर्ति होना चाहिए मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां कई जगह बिजली के थम्भे लगे हुए हैं लेकिन अभी तक गरीब आदिवासी किसान को बिजली नहीं मिली है। उन्होंने बिजली लेने के लिए पैसा भर दिया है फिर भी बिजली नहीं मिल सकी है। इसलिए इसकी व्यवस्था हमारी सरकार को करना चाहिए। एक तरह किसान की जमीन जहां कड़ाना बांध बना रहे हैं. डूब में जायेगी और एक तरफ बिजली बांसवाड़ा तक पहुंच जाय और बीच में बिजली नहीं दी जाय, यह अन्याय है। सरकार को यह देखना चाहिए। कड़ाना बांध बनाकर उसके एक एक गांव की जमीन को डुबा कर, हमारे यहां की जमीन को खतम करके, किसान को बरबाद किया जा रहा है। इस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो यह अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति महोदय कड़ाना बान्ध बांधा जा रहा है। वैसे यह सोम नदी पर बनता तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले की जनता को काफी लाभ हो सकता था। हमारी सरकार को यह सोचना चाहिये। जिस से यहां कि जनता को अधिक लाभ हो वहां बान्धने की योजना को हाथ में लेना चाहिये।

इस कड़ाना बान्ध से गुजरात सरकार को अधिक लाभ होगा। गुजरात सरकार ने वहां के लोगों के लिये जमीन की व्यवस्था की है। रहने के लिये मकानों की व्यवस्था की है। हर तरह की व्यवस्था की है। पर हमारी राजस्थान-सरकार चुपचाप बैठी है। वहां के किसानों को राजस्थान सरकार जमीन कहां देगी जो बांध से उठेंगे उनको आप कहां पर बसायेंगे ? वहां मुसलमानों का तीर्थस्थान है। बहुत मशहूर स्थान है,

(श्री महेन्द्र कुमार)

लोग विदेशों तक से वहां आते है। माताजी का भी मन्दिर है। जो वहां के रहने वाले आदिवासियों का धार्मिक स्थान है। हमारे आदिवासी एरिया के लोग तो माताजी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं. तो इन धार्मिक स्थानों को डुबाया नहीं जावे। यह भी मेरा सरकार से निवेदन है।

इस तरह से सरकार को सोचना चाहिये कि गरीबों को डुबा कर सरकार को क्या लाभ होने वाला है। सरकार के लिये और एक करोड़ रुपयों का भी घाटा आवेगा तो सरकार नहीं मरने वाली है। पर गरीबों को अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो किसान की हालत पांच साल तक ठीक नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह से किसानों की जमीन को न डुबाया जावे। इसको रोका जावे। और जो ऊंचाई बान्धी जाने की है उसको कम किया जावे ताकि किसानों को अधिक से अधिक जमीन बच जावे। हमने इसका नक्शा भी देखा है। जहां कडाना बान्ध से तीस चालीस मील ऊपर पानी आता है वहां गलियाकोट नहीं डूबे मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। सरकार जब कभी कहीं बान्ध बान्धती है तो पहले कहती है कि इतना इतना डूबेगा, बाकी के लोगों की जमीन डूब में नहीं आवेगी पर जब वह बान्ध भर जाता है तब मालूम होता है कि वाकई उनकी जमीन तो डूब गई, और इस तरह से जहां कहीं भी किसानों की जमीन डूब में आई है उन किसानों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था नहीं की। सरकार ने कहा, कहीं जाओ, जमीन ढूंढलो। मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, किसान जमीन देखने को कहां जावे और कौन उसको बतावेगा और फिर जहां वह देखे, और बतावें, वहां देता कौन हैं? अगर डूंगरपुर से बांसवाड़ा जावें तो इतनी जमीन नहीं है कि उसको वहां बसाया जा सके। उदयपुर में भी जावे तो किसान को कहीं भी जमीन मिलने वाली नहीं है। इसलिये सरकार से निवेदन है कि इस बान्ध के लिये सरकार को भी यह कोशिश करनी चाहिये कि वह एरिया डूब रहा हैं उसको नहीं डुबोया जावे।

इसके साथ साथ बिजली के लिये निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर जिले में बिजली कम है। सलूम्बर से बांसवाड़ा तक तो आई है पर कई आस पास के गांव हैं उनको नहीं मिली। बिजली के तार वहां गांवों के ऊपर होकर जाते हैं पर नीचे देते नहीं। तो वहां ट्रान्सफोर्मर लगा कर आस पास के सारे ही एरिया में लोगों को बिजली सरकार को देनी चाहिये। सरकार समाजवाद की तो बात करती हैं पर समाजवाद इस तरह से नहीं आवेगा। इसके लिये सरकार को गरीबों को ऊपर उठाना पड़ेगा और उनके लिये काफी साधन उपलब्ध कराने होंगे।

सेस कर लगाये जाने को हैं, नहीं लगाना चाहिये। बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों पर ही लगाने चाहिये (हीयर हीयर की आवाज) एक तरफ बड़े बड़े अफसर हैं हजार हजार पन्द्रह पन्द्रह सौ रुपया तनख्वाह पाते हैं और ऊपर से भी बहुत बटोरते हैं उनकी तनख्वाहों में तो वृद्धि की है पर गरीबों का शोषण आप करते

Page No.119

(श्री महेन्द्र कुमार)

हैं, उन पर टैक्स लगाते हैं जो जनता के लिये अनाज पैदा करते हैं। खाने की तमाम चीजें पैदा करें और स्वयं रात दिन भूखे रहे, सर्दी को बर्दास्त करें, गर्मी को बर्दास्त करे ऐसे लोगों पर सेस कर लगाकर सरकार अपने घाटे को पूरा करना चाहती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का सेस कर नहीं लगाना चाहिये और इसके एवज में जो पूंजीपति हैं बड़े बड़े जागीरदार जमीन्दार हैं बड़े बड़े अफसर हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगावें। और जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं सरकार को चाहिये कि सीलिंग कानून को जल्दी से जल्दी लागू करे (करतल ध्वनी एवं हीयर की आवाज में) गरीब लोग ज्यादा हैं, अमीर कम हैं, वे अमीर गरीबों को गरीब बनाये रख कर अपनी अमीरी बढ़ाना चाहते हैं इसलिये जनता की सरकार को और कम से कम कांग्रेस सरकार को चाहिये कि वे गरीबों की रक्षा करें और समाजवाद को अमल में लावें।

गरीब किसानों को जहां जमीन नहीं हैं तो उसको जमीन दिलानी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

एक तरफ आप कहते हैं कि गरीबों की उन्नति हम कर रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं तो यह जो टैक्स लगाये हैं उनको लगाने से गरीबों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है इसलिये निवेदन है कि इस तरह का सेस कर नहीं लगावें और हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर जिलों में इस वर्ष भी भयंकर अकाल है। अकाल दो तरह की हालत में होता है। कभी तो अतिवृष्टि से होता हैं, कभी अनावृष्टि से होता है। यहां हमारे इस वर्ष राजस्थान में करीब करीब सब जगह अतिवृष्टि के कारण पहली बार और बाद में पानी काफी बरसा तो फसल अच्छी हो गई पर आखिर में जाकर एक वर्षा के नहीं बरसने के कारण सारी फसल ही सूख गई और भंयकर अकाल हो गया। हमारे यहां आज कल लोग भूखों मर रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है उनको। मजदूरों की संख्या कम कर देने से लोगों को ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती हैं इसलिये, सभापति महोदय, मेरा यह आपसे निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि डूंगरपुर जिले में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की संख्या बढायें।

इसके साथ साथ हमारे वहां कई सर्वे शुदा योजनाएं पड़ी हैं। पांच पांच सालों से पड़ी हैं। उन पर अभी तक काम चालू नहीं हुए हैं। वे काम जल्दी से जल्दी चालू करने चाहिये और उनको पूरा करना चाहिये ताकि लोगों को जल्दी से ज्यादा मजदूरी मिले।

सरकार शहरों में सर्वे करके योजनाएं बनाती हैं तो उनको जल्दी से जल्दी एक साल दो साल में पूरा कर देती है और गरीब किसानों के हित के लिए कोई छोटी मोटी योजनाएँ भी होती हैं तो पांच पांच साल लगा देते हैं। दस दस साल लगा देते हैं तब भी योजनाएं पूरी नहीं होतीं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री महेन्द्र कुमार)

करोड़ों की योजनाएं होती है सरकार वादे के अनुसार उनको पूरा करती है पर गरीबों की भलाई के लिये जो योजनाएं बनायी जाती हैं जो एक लाख से पचास लाख तक की होती हैं वे भी दस दस लाख में पूरी नहीं होती हैं। तो सभापति महोदय में यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की जितनी योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये और फेमिन में जो भूखों मर रहे हैं उनको मजदूरी मिलनी चाहिये।

एक बात मैं कहूंगा फेमिन में औरतों को और आदमियों को मजदूरी देने में भेद भाव रखा जाता है। मैं कहता हूं आदमी से औरतें ज्यादा काम करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप हम सब जानते हैं। औरतें सुबह घर का सारा काम करती हैं। खाना बनाती हैं और काम करके फिर मजदूरी करके फिर घर आती हैं और घर आती हैं और घर के लिये खाना बनाती हैं। तो औरते बहुत काम करती हैं। इनमें मजदूरी का भेद नहीं रखना चाहिये। यह मैं निवेदन करता हूं। इतना कहकर के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती मदनकौर।

श्री लाभचन्द वैद् : मेरा निवेदन है इनके बाद में मेरा नम्बर था। उपाध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि आपको इसके बाद समय मिल जावेगा।

श्री खेतसिंह : आपका समय नजदीक ही है।

श्री लाभचन्द वैद् : वह दिन भी आपका आ जायेगा, घबराइये नहीं। आपका वक्त भी रहने वाला नहीं है। पर इस चुनाव तक तो आपकी छाती पर रहूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : उनके पैर भी कबर में लटक रहे हैं। खेतसिहजी आपकी तो बहुत हालत खराब हो रही है।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बजट में रेगिस्तानी इलाके के लिये पहली बार विकास योजनाओं का ठीक तरह से प्रावधान किया गया है। इसके लिये वित्तमंत्रीजी को में बधाई दूंगी कि उन्होंने कम से कम रेगिस्तानी इलाके का अपने बजट में पहली बार नाम तो लिया है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस अपर्याप्त धनराशि को भी बहुत ही सूझ बूझ के साथ खर्च करें। हालांकि यह राशि भी जो रखी है बहुत अपर्याप्त है, फिर भी और सूझबूझ के साथ इसे खर्च किया गया तो इससे कुछ लाभ होगा और भविष्य में और अधिक धनराशि राजस्थान के इस रेगिस्तानी हिस्से के विकास के लिये उपलब्ध की जा सके।

सभापति महोदय, पिछली तीन योजनाओं में और इसके बीच में बहुत बड़ी धनराशि विकास कार्यों के लिये खर्च की गई है। लेकिन उस धनराशि का फायदा जन साधारण को नहीं मिला इससे बहुत निराशा होती है। अगर इसका सबसे मुख्य

(श्रीमती मदनकौर)

कारण है तो वह है प्रशासन का तरीका। यह प्रशासन पद्धति जो सदियों पूर्व लागू की गई थी उसके अपने उद्देश्य थे, उसे साम्राज्य को प्रबल बनाना था। भय और आतंक को बनाये रखकर शासन करना था उस समय विकास का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। लेकिन आज आजादी के बाद हमारे राज्य के उद्देश्य बदले हैं। वेलफेयर स्टेट स्थापना का संकल्प कर लिया है। एकतंत्री शासन के स्थान पर लोकतन्त्र की स्थापना हुई है लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन में व्यापकरूप से सुधार नहीं हुआ है इसलिये जनसाधारण को विशेष लाभ नहीं मिल सका। सभापति महोदय, आज भी अगर गांव में हम जाकर देखें पटवारी और पुलिस के कान्सटेबिल का राज्य है। वास्तविकरूप में वे ही वहां के शासक हैं। आज ग्रामीण लोगों को अपने विकास की बात करने में डर लगता है।

और इसी तरह शहर के दफ्तरों में बाबुओं का राज है बड़े बड़े अधिकारियों का नहीं है। कितना ही न्यायसंगत काम क्यों न हो ऊंचे अधिकारी नहीं कर सकते और न ही काम एक छोटा बाबू करने में समर्थ हैं। सभापति महोदय, ऐसी शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार पनप रहा है असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। कहते हैं हमारे देश में crises of character आगया है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं इस धरती और खासतौर से हिन्दुस्तान में ईमानदार, योग्य और चरित्रवान व्यक्तियों की कमी कभी नहीं रही है और न आज है लेकिन जो स्थिति आज हमारे सामने है उसका कारण हमारी शासन प्रणाली है। ईमानदार, कुशल और चरित्रवान अधिकारी है वे दिनबदिन असहाय बनते जा रहे हैं। सभापति जी, मैं मानती हूं कि राज्य सरकार का प्रशासन की कमियों की ओर ध्यान गया है राज्य सरकार इससे चिंतित भी है। इस वजह से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की नियुक्ति की है लेकिन उन्होंने अपनी जो सिफारिशें दी हैं वह केवल उच्चस्तरीय प्रशासन के बारे में है। प्रशासन में मन्त्रियों की संख्या क्या हो उनके काम का विभाजन क्या हो केवल इन्हीं बातों पर रिफॉर्म कमीशन ने सुझाव दिये हैं लेकिन जो रोजमर्रा की कठिनाइयां हैं वह नीचे के प्रशासन की कमियों के कारण आती है इसलिए मैं चाहूंगी कि नीचे के स्तर पर सुधार किया जाय। जिला प्रसासन को सुधारा जाय, उसे मजबूत किया जाय।

सभापति जी, मैं मुख्य मन्त्रीजी को आपके द्वारा निवेदन करती हुं कि उन्होंने गत 15 वर्षों से सामान्य प्रशासन का विभाग सीधा अपने पास रख रखा है। मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से कि वे अपने अनुभव का अपने व्यक्तित्व का, अपने कुशल नेतृत्व का लाभ प्रशासन सुधार के माध्यम से इस राज्य की जनता को दें। इसके लिए जनता आपका युगों तक आभार मानेगी।

इसी प्रसंग में मैं पंचायती राज के सम्बन्ध में सभापति महोदय, कुछ कहना चाहूंगी। इस पंचायत राज संस्था ने बहुत थोड़े से समय में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। लेकिन इस संस्था को इस प्रशासनिक प्रणाली ने ऊंचा नहीं आने दिया, इसको पूरा जमने नहीं दिया इसके आर्थिक अनुदान में और अधि-

(श्रीमती मदनकौर)

कारों में कमी की गई है। आज जो राजनैतिक, सामाजिक, और आर्थिक क्रान्ति आई है अगर उसकी नींव है तो वह पंचायत राज पर है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि धीरे-धीरे इसको और अधिक सशक्त बनाया जाय ताकि आर्थिक क्रान्ति सफल हो सके।

आज जो कृषि क्रान्ति हमारे गांवों में आई है इसका अगर श्रेय दिया जाय तो केवल पंचायती राज संस्था को ही है नहीं तो वैज्ञानिक ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित रह जाता। लोगों का कहना है कि पंचायत राज फेल हो गया। सभापति महोदय, कब इस संस्था का मूल्यांकन किया गया है जो लोग इसके फेल और पास का नतीजा निकाल रहे हैं। जो कुछ खामियाँ इस संस्था में हैं मैं नहीं मानती जो सफलता मिलनी चाहिए वह मिल चुकी हैं। कुछ खामियां हैं उनको दूर करने के लिए और अधिक आर्थिक मदद देनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकार भी व्यापकरूप से दिये जाने चाहिएं।

सभापति महोदय, आज बिजली के उपलब्धि के लिये सर्वत्र सन्तोष व्यक्त किया जा रहा है लेकिन मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कुल बिजली की उपलब्धि का कितना हिस्सा कृषि उत्पादन में लगा रहे हैं? शायद नहीं के बराबर है और एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में दे रहे हैं वह भी सस्ती दरों पर। बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे राजस्थान की सारी व्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और उसके स्थान पर उद्योगों को पनपाया जा रहा हैं।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं उद्योगों के कतई खिलाफ नहीं हूं लेकिन थोड़े पूंजी वाले उद्योग पनपने चाहिएं और ज्यादा लोगों को मजदूरी मिल सके, ऐसी परम्परा राज्य सरकार को अपनानी चाहिए और यह भी criteria अपनाये कि एक करोड़ तक की पूंजी लगने वाले उद्योग प्राइवेट सेन्टर में लगाये जाये और उनसे अधिक धनराशि के होंगे तो वे पब्लिक सैक्टर में लगेंगे। आज औद्योगीकरण की बात हम करते हैं, राष्ट्रीयकरण की बात हम करते हैं, उद्योगों को पनपाने की बात करते हैं लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा में नमक उद्योग काफी समय से चल रहा है जिसको खारवाल लोग खुद करते हैं वे ही बनाते थे, वे ही बेचते थे लेकिन राज्य सरकार ने नमक उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर रखा है। सरकार ने नमक को अपने अधिकार में कर रखा है। नमक की खरीद और बेचान बाला-बाला ठेकेदार के मार्फत करने दिया। इसके भावों में काफी चढ़ाव उतार होता है। मैंने बार बार कहा है कि नमक उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। ये ठेकेदार समय पर नमक नहीं उठाते हैं बहुत सा नमक ढेर पड़ा रहता है और आँधी वर्षा से वह खराब हो जाता है। सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण की नीति को मैं खराब नहीं मानती लेकिन छोटे छोटे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कुछ आदमियों के हाथ में न आये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस उद्योग

(श्रीमती मदनकौर)

को फ्री कर दिया जाय। जो नमक बनाये उनको बेचने की छूट होनी चाहिये। राज्य सरकार उनसे रायल्टी के हिसाब से कुछ पैसे ले ले। मैं समझती हूं इससे नमक का उत्पादन बढ़ेगा और नमक उत्पादकों की माली हालत में सुधार आयेगा।

सभापतिजी, वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के शुरूआत में किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाई। उन्होंने शुरू शुरू में भाषण में कहा है कि किसान आज खेती केवल गुजारे के लिए करते हैं। जब किसान खेती गुजारे के लिए करते हैं तो फिर उसकी व्यावसायिक फसल पर टैक्स किस बात का लगाया गया है ? हमारे बाड़मेर में स्थिति यह हैं कि तिल की बुआई बाजरा, मोठ, मूंग और गवार के साथ की जाती है। जब अच्छी बरसात होती है तभी तिल का उत्पादन होता है वर्ना दूसरे अनाज ही पैदा होते हैं। परन्तु आपके अनुसार तो जितनी भूमि में काश्त की जायेगी उस सारी भूमि पर सेस लगेगा और जिस भूमि का लगान 2 आना और 4 आना है उसका 2½ रुपया और 3 रुपया देना पड़ेगा और इसी के साथ पटवारी इन भोले किसानों को लूट लेंगे। जो उनकी जेब में कुछ दे देंगे उनकी भूमि में तिल की काश्त नहीं बतायेंगे और बाकी जो नहीं देंगे उनकी सारी भूमि में ही काश्त बता देंगे और सेस रकम किसानों को राज्य सरकार को पे करना मुश्किल होगा और साथ ही साथ पटवारी की illegal आमदनी बढ़ जायेगी और किसान तबाह हो जायेगा।

इसी प्रकार वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि 10 एकड़ की भूमि के मालिक को लगान से मुक्त किया है। सभापतिजी, इसमें तो कुछ जिलों के ही किसान आ सकेंगे जिनके पास स्माल होल्डिंग्स हैं और उपजाऊ भूमि है। मैं थोड़ा गलत समझी हूं, मैंने इसका लगान से मतलब समझा था लेकिन फिर भी 10 एकड़ के बजाय 10 स्टेन्डर्ड एकड़ इसकी जगह लिखा जाना चाहिए। जब सीलिंग के लिए 10 स्टेन्डर्ड एकड़ है तो सरचार्ज के लिए भी 10 स्टेन्डर्ड एकड़ ही रखना उपयुक्त होगा।

सभापतिजी, वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए जहां पहले 1 करोड़ 15 लाख रुपया था वह बढ़ाकर 2 करोड़ 64 लाख कर दिया है। वह सचमुच इसके लिए बधाई के पात्र हैं लेकिन जितनी विकट समस्या यह है उसको देखते हुए यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए अन्त में, सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगी कि पीने के पानी की समस्या का समाधान थोड़ा उदार दिल से करें।

अंत में मै दो शब्द पंचायती राज्य को कायम रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं और पहले भी मैंने कहा कि जो आर्थिक, राजनैतिक, और सामाजिक क्रांति हमारे देश में आई है उसका एकमात्र आधार पंचायती राज्य है। सभापति महोदय, अगर गणतंत्र

(श्रीमती मदनकौर)

का दावा हम कर सकते हैं तो केवल पंचायत राज्य के ऊपर ही कर सकते हैं। एक ग्रामीण मतदाता को संसद सदस्य के चुनाव में विशेष दिलचस्पी नहीं और विधान सभा सदस्य के लिए थोड़ी बहुत उसके लिए तो चुनाव है सरपंच का। उसके लिऐ वह बहुत ही सोच समझ कर वोट देता है। देश में जो आर्थिक क्रांति हो रही है उसकी ग्रामीण को कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आप उसके आर्थिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक ग्रामीण मतदाता को आपके बोकारो, भिलाई और एच० एम० टी० के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको तो दिलचस्पी है पानी कैसे मिलेगा, सीमेन्ट और चद्दर कैसे मिलेगा, रहट और पम्प कैसे लगेगा, बिजली कैसे मिलेगी। उसकी दिलचस्पी इन कामों से है। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि पंचायती राज्य संस्था को और अधिक सशक्त बनाया जाये ताकि हमारी जनता जागरूक बने, सशक्त बने और ऐसी जनता होगी तभी हमारा राज्य शक्तिशाली और सशक्त बन सकेगा।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द

श्री लाभ चन्द वैद (सुजानगढ़) : माननीय सभापतिजी, वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया मैंने उसको अपनी समझ के अनुसार समझने की कोशिश की है। बजट को देखकर मुझे भारी आश्चर्य और निराशा हुई। आप फरमाते हैं कि हमने बीस साल में यह किया वह किया। मैं भी मानता हूं की आपने कुछ किया है। परन्तु आपने अपने कार्यों का विश्लेषण करके देखा हैं कि आपने क्या किया? हरे भरे खेतों को, हरे भरे इलाके को और ज्यादा हरा भरा किया जो राजस्थान रेगिस्तान के नाम से पहचाना जाता है उसके लिए आपने क्या किया? आपने चम्बल बांध बनाया और कुछ किया लेकिन रेगिस्तान के लिए क्या किया? मैं आपका ध्यान चूरू जिले की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने चूरू जिले की उन्नति के लिए इस बजट में न शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान रखा, न कोई कृषि के लिए पैसा रखा, न सड़कों के लिऐ पैसा रखा, न कोई चिकित्सा की उन्नति के लिए आपने कोई प्रावधान रखा।

(5.35 म० प०)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं अब आपके सम्मुख वहां की समस्याओं का विश्लेषण करता हूं। रतनगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में रतनगढ़ का हास्पिटल एक प्रमुख स्थान रखता है। वहां पर डी० एम० एच० ओ० रहता है और हमारे डी० एम० एच० ओ० बहुत ही न्यायप्रिय, अनुशासनात्मक और बहुत ही ईमानदार और सुचिकित्सक हैं लेकिन चूरू जिले की जनता उनका पूरा लाभ नहीं उठा सकती। (सरकार की लापरवाही के कारण से) इसका प्रमुख कारण है कि वहां की जो एक्सरे मशीन है वह बरसों से खराब पड़ी है। जब से वह आई है कभी भी काम में नहीं आई और उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है उसके लेने में

(श्री लाभचन्द वैद)

और वहां पर रोगी एक्सरे मशीन के अभाव में रोज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, सैंकड़ों आदमियों की जानें जाती हैं और उनको समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर कभी आकृष्ट नहीं होता है। आपने कॉटेज वार्ड का किराया बढ़ाया। पहले वह 2½ रुपया था और उसको बढ़ाकर 3½ रु० कर दिया लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं दी। आप उन वार्ड्स की हालत देखिये वहां कमरों में बिजली के बल्ब नहीं है, रोगी स्वयं लाते हैं और वही ले जाते हैं और साइड रूम में पंखे भी नहीं है। रसोई में चूल्हा नहीं है और पाखानों में टट्टी के गमले टूटे पड़े हैं।

अब आप शिक्षा की तरफ देखिये। रतनगढ़ में 35 हजार से ज्यादा की आबादी है और वहां पर सरकार की तरफ से सिर्फ एक मिडिल स्कूल है और वह स्कूल भी ऐसी है कि जहां लड़कों को बैठने की जगह नहीं है। उसमें दो दो शिफ्ट चलती है और बच्चे 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। सर्दी के मौसम में गरीबों के पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं है और वह सवेरे सवेरे ठिठुरते हुए स्कूल में जाते हैं तो एक करुणाजनक दृश्य उपस्थित होता है। मैं इस ओर जब भी सरकार का ध्यान दिलाता हूं तो कहते हैं बजट में पैसा नहीं है।

रतनगढ़ से छापर की जो सड़क है वह टूटी फूटी अवस्था में है उसकी मरम्मत करने का या उसको वापिस ठीक कराने का कोई प्रावधान नहीं है। रतनगढ़ से फतहपुर जाने वाली सड़क दस वर्षों से बन रही है लेकिन वह पूरी नहीं हो रही है। रतनगढ़ से चूरू जो कि जिले से संबंधित है वह सड़क भी आज अधूरी है। सुजानगढ़ पोलीटेक्निक कॉलेज के लिये चुनावों के पहले बहुत शोर किया गया कि बहुत जल्दी ही इसका निर्माण हो जाएगा लेकिन आज तक उसका कहीं पता नहीं है। सुजानगढ़ की वाटरवर्क्स की योजना है। सुजानगढ़, चूरू जिले में दूसरे नम्बर का कस्बा है और वहां की जनसंख्या 40 हजार की है लेकिन पेयजल के अभाव में वहां की जनता त्रस्त है और जानबूझकर उसमें ढिलाई बरती जा रही है। जब चुनाव का समय था और जहां से पानी आने वाला था वहां कुए नहीं खुदे और उसकी पाइपलाइन को सुजानगढ़ नहीं लाया गया और उसके पहले सुजानगढ़ की जो संकड़ी गलियां हैं वहां से मोटरें आमने सामने से पास नहीं होतीं वहां सड़क फोड़कर पाइपलाइन डाली गयी और आज जनता ऊबड़खाबड़ रास्तों से बहुत परेशान है और अब गर्मियां आने वाली हैं सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि वह गर्मी आने से पहले पहले वहां के वाटर वर्क्स का निर्माण कराके जल देकर लोगों को राहत पहुँचाये। रतनगढ़ में आन्त्रशोथ की बीमारी चल रही है और आज तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों चल रही है। मैं एक उदाहरण निवेदन करूंगा कि रतनगढ़ शहर का सारा पानी बह कर एक नाले के जरिये बाहर जाता है। वह शहर के बीच में पड़ता है, और उससे महान् गंदगी होती है, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। जब भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तो सरकार कहती है कि म्युनिसिपैलिटी का काम है। जो म्युनिसिपेलिटी साधन विहीन

(श्री लाभचन्द वैद)

है और जिस म्युनिसिपेलिटी के पास में पैसा नहीं है तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उनको आर्थिक सहायता देकर उस समस्या को हल किया जाय और वहां की जनता स्वस्थ रह सके उसके लिए साधन बनाये जायं और उस गंदे नाले को बाहर निकाल कर दूसरी जगह पहुंचाया जाय।

आज चूरू जिले में अकाल की छाया है। वहां अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं लेकिन वहां पर बिरमसर के ऊपर एक टेकरी है वहां पर बान्ध बनाने के लिए पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया, जिला समिति ने प्रस्ताव पास किया, कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, जनसंघ ने प्रस्ताव पास किया, लेकिन आज तक उस टेकरी पर काम शुरू नहीं हुआ है। वहां पर 20 गांव ऐसे लगते हैं जो कि एक एक, डेढ़ डेढ़ मील की दूरी पर है और वहां का पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस ओर नहीं जाता है जिससे कि वहां की यह एक स्थाई समस्या हल हो जाय। अगर यह बान्ध बना दिया जाय और थोड़े से पैसे में उसका निर्माण कर दिया जाय तो उससे 22 गांवों की पेयजल की समस्या हल होने वाली है लेकिन सरकार का उस ओर कतई ध्यान नहीं है।

रतनगढ़ से कनवाड़ी की सड़क अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत हो रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भाटे निकाले हैं। वहां पर क्या धान्धली हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि वहां काम कराने वाले रामकुमार नाम के सुपरवाइजर हैं जो कि वे इतने छंटे हुए बदमाश हैं कि हरिजन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं लड़कियां जो मजदूरी पर आती जाती हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनकी एस० डी० ओ० से शिकायत की गई तो एस० डी० ओ० ने उनका तबादला किया, परन्तु वहां के ए० ई० एन० महोदय हैं उन्होंने उनको वापिस लगा दिया और उन्हें वहां पर मजदूरों पर अत्याचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। रोशनलाल ओवरसियर और भंवरलाल रोड़ इन्सपेक्टर हैं वे वहां पर मजदूरों को तब तक नहीं लगाते हैं जब तक कि उनका वह मुआवजा पूरा नहीं करते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। जो कोई मजदूर छुट्टी पर चला जाता है, जो कोई पगार के समय हाजिर नही हो सकता है— किसी के यहाँ शादी होती हैं तो वह हाजिर नहीं हो सकता है तो उसकी मजदूरी बकाया रह जाती है और आज तक बकाया मजदूरी कोई मजदूरों को नहीं मिली है। पगार के समय खुदरा रेजगारी साथ में नहीं रहती है तो मजदूरों को पूरा पैसा नहीं देते हैं। इस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। मजदूरों को सस्ता अनाज नहीं मिलता है। मजदूरों के लिये न तो टीन के छप्पर हैं और न सिरकियों का इन्तजाम है और बड़ीभारी दुर्व्यवस्था वहां पर चालू है।

अब आपको सेजूसर कैम्प की घटना बताता हूं। वहां पर मजदूरों को अनाज नहीं मिलता है और दो दो दिन तक मजदूरों को कार्य पर नहीं लगाया जाता है। जब तक वह शख्स जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं उनको मना नहीं लेता है तब तक वे अधिकारी उसको काम पर नहीं लगाते हैं। मजदूरों को तंग करते हैं। आज यहां तो कल

(श्री लाभचन्द वैद)

10 मील दूर दूसरे कैम्प में लगाते हैं। इस तरह से मजदूरों को तंग करते हैं। अभी दो दिन पहले ही मजदूरों ने जिलाधीश के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन दुःख है कि आज तक उनके कष्ट–निवारण का कोई उपाय नहीं सोचा गया।

एक सवाल मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं।······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो समय दें।

सरकार ने गृहकर अनिवार्यरूप से सब नगरपालिकाओं पर लगाया लेकिन सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि जहां पर व्यापार नहीं हैं और जहां के किसान खुशहाल नहीं है, जहां कि मकानों की मरम्मत भी कर्ज करके की जाती है, आपने ऐसे स्थानों पर गृहकर लगाकर जनता में असन्तोष पैदा किया है और जनता के रोष को आप बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिये सरकार को जनता के आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब गांधी शताब्दी के ऊपर वित्त मंत्री महोदय ने फरमाया है कि हरिजनों के माथे पर मैला उठाने की प्रथा को बन्द कर देंगे और सब जगह फ्लश की टट्टियां कायम कर देंगे। क्या वित्तमंत्री जी, आप यह कह सकते हैं कि फ्लश की टट्टियां होने के बाद हरिजनों का मैला उठाना बन्द हो जायगा? हरिजन मैला वहां से उठाते हैं जो कि घरों से जाकर टट्टियां साफ करके लाते हैं। उसको सिर पर ले जाते हैं। जबतक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा तब तक समस्या का हल नहीं कर सकेंगे।

आप फर्माते हैं कि गांधी शताब्दी का समय आत्मनिरीक्षण करने का है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि क्या आपने आत्म-निरीक्षण करके लौटरी का सिस्टम चालू किया है, जुआ खिलाना शुरू किया है? यह आपने आत्म निरीक्षण किया है?

श्री मथुरादास माथुर : यह पहले कर दिया था। आत्म-निरीक्षण के पहले।

श्री भैरोंसिंह : गांधीजी की इजाजत से हो रहा है।

श्री लाभचन्द वैद : हमारी सरकार अहिंसा का बहुत बड़ा नारा देती है। गांधी का मूल सिद्धान्त अहिंसा का था, और अहिंसा ऐसा विषय है जो कि मन, वचन और काया से किया जाता है। लेकिन यहां का रोल देखते हैं, जब शासकों की प्रवृत्ति देखते हैं तो अहिंसा कहां है? एक दिन विदेशी सरकार को भगाने के लिए गांधीजी ने यह नारा दिया था कि एक गाल पर यदि तुम्हारे कोई तमाचा लगाए तो दूसरा गाल सामने कर दो, लेकिन आज वही सरकार जो गांधी जी के चेले हैं आज अपनी बात मनवाने के लिए गोलियों से शिकार करते हैं। उनके सामने वह अहिंसा कहां गई?

श्री मथुरादास माथुर : आप इतना सुनाते हैं और चुपचाप बैठे बैठे सुनते हैं इससे ज्यादा क्या अहिंसा चाहते हैं?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यहां भी गोली मारने का विचार है क्या ?

श्री लाभचन्द वैद : टैक्स द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन वह टैक्स की रकम जनता के काम आती है या सरकार की फिजूलखर्ची के काम में आती है ? जनता का यह प्रश्न है कि जब तक एक एक पैसा जनता के काम नहीं आये तब तक जनता को टैक्स देने में कोई आनन्द, कोई भी मजा नहीं आता है । इसलिए आप प्रशासनिक खर्च को कम करें, आप फिजूल खर्ची को कम करें फिर जनता के ऊपर टैक्स लगायें तो जनता का भला होगा और जनता भी कापको टैक्स देने में नहीं हिचकिचायेगी ।

आप राजा महाराजा लोगों की बात करते हैं कि राजा लोग यह करते थे वह करते थे जिस समय गंगासिंहजी का राज्य था तो एक शासक की हैसियत से उन्होंने 21 लाख की स्टेट को दो करोड़ की रियासत बना दी थी, जिसने अपनी जनता के लिए गंग कैनाल लाकर भगीरथ प्रयत्न किया था । आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हरेक व्यक्ति के पास हुण्डी लिखकर पैसा इकट्ठा किया और बाहर से गंगनहर लाये और यहां की जनता को खुशहाल किया···

श्री हंसराज आर्य : एक राजस्थान कैनाल ही 10 गंग कैनाल के बराबर है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : लेकिन गंग कैनाल में जितना उत्पादन होता है वह वहां नहीं होता है ।

श्री लाभचन्द वैद : उनकी सामर्थ्य क्या थी ? आप आज सारे राजस्थान को लिये हुए बैठे हैं और आपकी सामर्थ्य क्या है ? उस दृष्टिकोण से विचार करें कि उन्होंने क्या काम किया ? उन्होंने जनता को राहत दी । उनके प्रशासन की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं । वे चाहे डिक्टेटरशिप के रहे हों, लेकिन उन्होंने जो शासन दिया वह आज आपके जनतन्त्र के शासन से लाख गुना अच्छा था । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

जिस समय जर्मनी की वार चली, उस समय हमने देखा उन्होंने दिल्ली में वृद्धिचन्द जी नाजिम को वहां बैठाया । अपनी जनता को कष्ट नहीं हों । खाने का कष्ट नहीं हो । रेल के डिब्बों का प्रबन्ध कराया ।

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान नहर में 600 करोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल, कांग्रेस

(अनुपस्थित)

श्री डूंगाराम

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल (स्वतन्त्र पार्टी)

श्री देवीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व खाते में 134 और 144 इसी तरह से बजट में 31.81 का घाटा है। इसमें से 12.7 अकाल सहायता के रूप में है और रेकार्ड 17.74 का घाटा है । 3 करोड़ 52 करोड़ पूंजी खाते को लेकर 72 करोड़ का घाटा बताया गया है । इसी तरह से 20.45 (विराम) जब कि पूंजी खाते में प्राप्त पाइन्ट 4 करोड़ है । जिस में 8 करोड़······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय यह कौनसे खाते की बात कर रहे है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : भाई, आंकड़ों के झगड़े में मत पड़ो।

श्री देवीलाल : माननीय वित्त मंत्रीजी ने 69-70 का बजट पेश किया है। उससे जनता पर भार अधिक पड़ेगा। उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स उद्योगों पर छोड़कर, किसानों पर लगाया है। उन्होंने किसानों पर खर्चा खुशहाली कर लगाया है। पहिले भी उस पर टैक्स लगा हुआ है। जिससे कि किसान दबते दबते दब ही जायेंगे। उद्योग धंधों पर नहीं लगाया है। बेकार लोगों को रोटी रोजी देने का कोई जिक्र नही किया गया है। जबकि राजस्थान में हजारों आदमी बेकार हैं। हालत यह है कि नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको सिफारिश बिना नौकरी नहीं मिलती हैं। अस्पताल में भरती होने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस में एस० एच० ए० की भरती होती है, तो 10 हजार की रिश्वत देनी पड़ती है।

श्री मथुरादास माथुर : एस० एच० ए० या एस० एच० ओ० ? किस की भर्ती के लिए रिश्वत मांगी जाती है ?

श्री देवीलाल : मुझे खुशी है कि चुंगी खत्म की जावेगी। यह खुशी है लेकिन जो चुंगी मुहर्रिर थे उनको क्या सरप्लस कर दिया जायगा ? मैं आपको बताऊं कि कृषि के लिए जो दवाईयां मिलती है। जब कि दवाईयों का रेट 24 रु० है पर 30 रु० और 35 रु० कट्टा वसूल किया जाता है। जिसकी रसीद मैं बाद में पेश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता में, सहकारी खेती कितनी फैली हुई है ? सहकारी खेती के नाम से 4-5 सौ बीघा जमीन दबा लेते हैं। फिर 40-50 बीघा अलग अलग करके बोते हैं। जबकि हमने कलेक्टर अजमेर को लिखा यह खेती सहकारी न करके वैसे ही करवायें। गांधी शताब्दी मनाने के लिए जो प्रोग्राम रखा है, मैं उससे सहमत हूं। परिगणित जाति के लिए जो 50 लाख रुपये का धन रखा है इसके बारे में मैं कहूंगा कि अधिकारी लोग यह धन लोगों को नहीं मिलने देते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक हजार मकानों की जो तजवीज की है वह हरिजनों के लिए बनाये जायें। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी नहीं बनें। आपने फलश टट्टियों का प्रावधान किया है। स्वतन्त्र भारत में 20 साल हो गये हैं। तब भी हरिजन सिर पर मैला उठाते हैं। कई दफा म्युनिसिपलटियों को अनुदान किया गया था, मैला ढोने की प्रथा समाप्त की जाय। पर जो कार्य करने के ठेले दिये गये थे, वह इतने कमजोर थे कि एक दफा ले जाने के बाद दुबारा काम में नहीं आते थे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी पैसा दें वह उचित कार्य के लिए दें। जो कार्य-रूप में हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आये दिन अकाल पड़ता रहता है। इस समय घोर अकाल है। और हमारा अजमेर डिस्ट्रिक्ट काफी इससे प्रभावित हैं। हम यह नहीं कहते है कि दूसरे जिलों को इतना पैसा दिया गया है। पर अजमेर जिले को पैसा भारी मात्रा में कम दिया गया है। हमारे केकड़ी पंचायत समिति

(श्री देवीलाल)

में अब तक कुछ नहीं मिला है। वहां की जनता काफी अकाल ग्रस्त है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने आंकड़े रखे हैं कि 111 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में और 196 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। मेरे यहां 3-4 स्कूलों की मांग थी। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह जितने भी स्कूल खोले गये हैं, वह राजनैतिक स्थितियों से किया गया है। सब राजनैतिक दृष्टिकोण से किया गया है। यह जो कुवों के लिए ऋण दिया जाता है। वह काश्तकारों को डायरेक्ट न देकर काश्तकारों को कुए खुदवाने के रूप में दिया जाये तो बड़ा अच्छा हो। जबकि पहली किश्त ले जाते है। पहली किश्त जाने पर दूसरी किश्त तभी दी जाये जब पहली खर्च हो जाये। नहीं करतें हैं तो दूसरी लेने का सवाल ही नहीं उठता हैं। इसलिए इसका जो हजार बारह सौ रुपया खर्च होता है वह बेकार जाता है। पंचायत समितियों में दुबारा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय 5 मिनिट के लिए बढ़ाया जाता है, उसके बाद भाषण समाप्त समझा जायगा।

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्रीजी ने फसलों पर कर लगाया है 6 रुपया प्रति एकड़ सिंचित पर और 2 रुपया असिंचित पर, यह भी सीधा कर किसानों पर जायगा। जबकि काफी जमीन राजस्थान में मूंगफली और दूसरी कैश क्रोप्स के योग्य जमीन है, जिससे ज्यादातर किसान मूंगफली, तिल की पैदावार करते हैं, इस कारण ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को यह टैक्स देना पड़ेगा।

आपने जो 25 लाख रुपया पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिया है और उनमें 100 नलकूप और 500 कुए बनाने का प्रावधान किया है, उससे मैं सहमत हूं, पर ये सही ढंग से बगैर किसी के राजनैतिक हस्तक्षेप के किया जाना चाहिये, प्रशासन के द्वारा ही यह काम किया जाना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शराब के लिए भी कह दो दो चार शब्द।

श्री देवीलाल : शराब बन्दी का जो एक सप्ताह में दो दिन का रखा है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक सप्ताह में लगातार दो दिन शराब की बिक्री बन्द रखी जाय तो अच्छा रहेगा जिससे हमें मालूम हो सके और यदि कोई दुकान उन दिनों में खोलता है तो उसको दुकान बन्द रखने की हिदायत दिला सकें, उसकी शिकायत कर सकें। एक सप्ताह में दो दिन लगातार बिल्कुल बन्द किया जाय ताकि हम आपको शिकायत तो कर सकें, कोई दुकानदार अपनी शराब की दुकान बन्द नहीं करता है तो उससे बन्द करवा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं।

शराब की बिक्री कतई बन्द कर दें तो मेरी तरफ से तो बड़ी खुशी की बात होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोगों में जुआ की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने लाटरी सिस्टम चालू

(श्री देवीलाल)

किया है। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लाटरी सिस्टम चालू किया है पर लाटरी के पारितोषिक ज्यादा से ज्यादा लोगों में वितरित करने की व्यवस्था रखनी चाहिये, तीन महीने में एक लखपति बन जाता है, इस व्यवस्था के स्थान पर दूसरे 4–5 आदमियों में वह पारितोषिक बांटा जाय तो ठीक होगा, इससे एक ही व्यक्ति के पास धन जमा न होकर लोगों में बंटेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि लाटरी सिस्टम को और सुधारा जाय।

इस बजट को मैं तो किसानों का कमर तोड़ बजट ही कहूंगा। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बज कर 4 मिनट पर दिनांक 15-3-69 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 147 की सूची)

कमेटी के अधिकारियों की नामावली एवं परिवर्तन आदि का विवरण

प्रश्न संख्या 1

प्रथम आदेश के अन्तर्गत 24-2-68

1. श्री ए० वी० शर्मा, ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जयपुर।
2. श्री पी० वी० भावे, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री नारायण सिंह, ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जोधपुर।

द्वितीय—

जो कि श्री ए० वी० शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर परिवर्तन पर विचार करने के उपरान्त गठित की गई। आदेश दिनांक 20-3-68.

1. श्री पी० वी० भावे।
2. ,, नारायण सिंह
3. ,, भगवान सिंह, पर्यवेक्षक, प्रसार केन्द्र, उदयपुरवाटी।
4. ,, जे० एन० त्रिवेदी, इन्सट्रक्टर, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।

तृतीय—

श्री जे० एन० त्रिवेदी के प्रार्थना-पत्र पर विचार करके दिनांक 19-4-68 को परिवर्तन आदेश के अन्तर्गत।

1. श्री पी० वी० भावे।
2. ,, नारायण सिंह।
3. ,, भगवान सिंह
4. ,, आर० एस० सक्सेना, बिन निरीक्षक, ऊन वर्गीकरण केन्द्र, जयपुर।

चतुर्थ—

श्री पी० वी० भावे के उपार्जित अवकाश पर चले जाने के कारण उनके स्थान पर श्री दलेल सिंह जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, बाड़मेर को 10-5-68 से सदस्य नियुक्त किया गया।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 148 की सूची)

1. राजस्थान में भेड़ पालन के लिए कितनी भूमि किन किन को कहां कहां दी गई है । उसकी जिलेवार सूचना निम्न प्रकार है:—		गोपालन (केटल ब्रीडिंग) के लिए जो भूमि दी गई है, उसकी जिलेवार सूचना इस प्रकार है :—
(1) जयपुर	नहीं	संलग्न है
(2) नागोर	नहीं	नहीं
(3) चूरू	नहीं	गोपालन के लिए 194½) बीघा
(4) सीकर	नहीं	नहीं
(5) भीलवाड़ा	नहीं	नहीं
(6) अजमेर	व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन केकड़ी में 20 बीघा और भिनाय में 15 बीघा भूमि भेड़ व ऊन प्रसार विभाग, राजस्थान, को दी गई है।	
(7) झालावाड़	नहीं	केवल- 583।4 दी गई है ।
(8) गंगानगर	नहीं	नहीं
(9) सिरोही	नहीं	नहीं
(10) सवाई माधोपुर	नहीं	नहीं

Page No.134

(11) झुंझनूं	नहीं	नहीं
(12) बून्दी	नहीं	नहीं
(13) बांसवाड़ा	नहीं	नहीं
(14) बाड़मेर	नहीं	नहीं
(15) पाली	नहीं	नहीं
(16) कोटा	नहीं	नहीं
(17) टोंक	नहीं	नहीं
(18) चित्तौड़गढ़	तीन ग्रामों में भेड़ पालन को दी गई है :— 1. बोजून्दा 982¾) 2. राठौला —198) 3. बराड़ा 1150¾)2	
(19) डूंगरपुर	नहीं	नहीं
(20) उदयपुर	नहीं	नहीं
(21) जैसलमेर	नहीं	1500 एकड़ भूमि दी गई है ।
(22) जालौर	नहीं	नहीं
(23) जोधपुर	नहीं	नहीं
(24) बीकानेर	नहीं	नहीं
(25) अलवर	नहीं	नहीं
(26) भरतपुर	सूचना एकत्रित की जा रही है ।	

Page No.135

क्र. सं.	नाम तह०	नाम ग्राम	किसको आवंटित की गई	रकबा	विवरण
1	सांभर	पनिवा	गोशाला सांभर	115)43	पूर्व से है
2	बस्सी	बस्सी	केटिल ब्रीडिंग फार्म	326½)	सरकारी केटल
3	बस्सी	ढिढाल	,, ,,	900)	ब्रीडिंग फार्म
4	जयपुर	नाहरगढ़	,, ,,	3½)	
		श्री रघुनाथ प्रसाद अजेय			
5	जयपुर	बृजेलालपुरा	मेजर श्री मोहनराम	9½)	मुर्गी पालन व डेयरी फार्म हेतु
6	जयपुर	बदनपुरा	श्री इलाही बक्स पुत्र अब्दुल रहमान	2॥)3	मुर्गी पालन व डेयरी फार्म हेतु
7	जयपुर	विजयमल	श्रीमती शांती देवी धर्मपत्नि श्री रामनारायण टिमाणी		
8	जयपुर	नाहरगढ़	श्री पी०के० चौधरी	10)	,, ,,
9	जयपुर	खातीपुरा	श्री मोती लाल एवं अन्य	150)	डेरीफार्म मयशिप
				2565॥)3	ब्रीडिंग सेन्टर राजस्व विभाग आदेश दिनांक 16-2-54 द्वारा आवंटन किया है ।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)

क्रम सं०	नाम आसामी	खसरा नम्बर	रकबा	सम्वत्
1.	श्री हजारी लाल वल्द रासी कुम्हार छीपाबड़ोद	1020	1 बिस्वा	2024
2.	,, रामचन्द्र पुत्र रूपा माली छीपाबड़ोद	1020	1 ,,	,,
3.	,, पन्ना मेहर छीपा०	1020	1 ,,	,,
4.	,, धुलीलाल पुत्र दल्ला लश्करी छीपाबड़ोद	1020	1 ,,	,,
5.	,, जुगल पुत्र रतना नाई छीपा०	1020	1 ,,	,,
6	,, पाव्या पुत्र अमरा काछी छीपा०	1020	1 अभी नींव भर रहा है	
7.	,, राधाकिसन पुत्र मूल्या पटवा छीपाबड़ोद	1020	1 ,,	,,
8.	,, महमूद अमी लीलगर मास्टर छीपाबड़ोद	1040	1 ,,	,,
9.	,, ननगा वल्द किशनलाल जाटव छीपाबड़ोद	1040	1 ,,	,,
10.	,, हरीचन्द वल्द माधो ,,	1040	1 ,,	,,
11.	,, हीरालाल पुत्र किशनलाल जाटव छीपा०	1040	1 ,,	,,
12.	,, तुलसीराम वल्द मूलचन्द्र जाटव छीपा०	1040	1 ,,	,,
13.	,, कंवरलाल पुत्र गुलाबाला जाटव छीपा०	1040	1 ,,	,,
14.	,, किशनलाल भटरूवाला	1159	1 ,,	,,
15.	,, लक्ष्मीनारायण कुम्हार ढौलमवाला	1159	1 ,,	,,
16.	,, मोतीलाल पुत्र गंगाराम जाटव	1159	1 2020 में मकान बनाया है	
17.	,, मांगीलाल पुत्र मूलचन्द जाटव	1159	1 ,,	,,
18.	,, पूरन व मोहन जाटव	1159	1 ,,	2020
19.	,, घासी लाल	1040	1 ,,	2020

किसान छात्रावास सांचोर

163. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर सार्वजनिक किसान छात्रावास को अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है, जब कि छात्रावास समिति का रजिस्ट्रेशन काफी वर्षों पहिले हो चुका है ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह सत्य है कि हायर सैकण्डरी स्कूल्स बोर्ड अधिनियम लागू होने के पूर्व इस छात्रावास को सरकार की ओर से अनुदान मिलता था ? अगर हां, तो कितना और वह अनुदान कब तक मिला ! अनुदान बाद में बन्द क्यों किया गया ?

उत्तर

1. जी हां, छात्रावास का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23-4-59 को हुआ है। इसे अब तक अनुदान नहीं मिला क्योंकि छात्रावास को विभाग द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गई थी।

2. जी, हां। 688) रु० वर्ष 56–57 तक। रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद छात्रावास द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराये जाने के कारण अनुदान बन्द कर दिया गया।

रासायनिक खाद की खरीद

164. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. इस समय राजस्थान में कितनी टन रसायन खाद प्रदेश के बाहर से विभिन्न स्थानों से मंगाई जा रही है तथा किस किस स्थान से किस एजेंसी की मारफत ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

2. राजस्थान राज्य क्रय–विक्रय सहकारी संघ की मारफत कितनी टन खाद सालाना मंगाई जाती है ? सहकारी संघ उक्त खाद कहां से तथा किस किस कम्पनी से किस भाव से खरीदता है ? तथा जिलों में किस भाव से देता है ? क्या सभी जिलों में एक दर से बेची जाती है ?

3. क्या सरकार का कृषि विभाग भी सीधी खाद खरीद कर सप्लाई करता है ? यदि हां, तो किस किस कम्पनी से तथा किस किस भाव पर ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे। क्या कृषि विभाग तथा क्रय विक्रय सहकारी संघ के खरीद के भावों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

Page No.138

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) इस वर्ष राजस्थान भी नत्रजन व पोटाशिक खाद भारत सरकार के पूल से प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुआ। केवल इस वर्ष प्रदेश के बाहर से 1008 मै० टन यूरिया गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी, बड़ौदा से संघ द्वारा खरीदा गया है।

(2) क्रय-विक्रय संघ ने इस वर्ष निम्न कंम्पनी से खाद खरीदा है जो उनके आगे दिया हुआ है—

कम्पनी का नाम	खाद का नाम	मात्रा	खरीद की दर
1. हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर लि० देवाडी (उदयपुर)	सुपरफासफेट	10000 मे०टन	रु० 333) प्रति मे० टन
2. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी लि० बड़ौदा	यूरिया	1008 ,,	773) ,,
3. मैसर्स श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० कोटा	,,	200 ,,	790) ,,

संघ द्वारा सभी नत्रजन खाद भारत सरकार की निर्धारित पूल रेट पर ही बेचे जा रहे हैं। सभी जिलों में एक ही रेट है। सुपरफासफेट की बेचान दर प्रत्येक जिले में अलग अलग है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर डिवीजन की अनिवार्य शिक्षा शालाएं

165. श्री रावतराम (छापर-सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर डिवीजन में कुल कितनी अनिवार्य शिक्षा शालायें कहां कहां है और उनमें कितने कितने टीचर किस किस ग्रेड के नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन शालाओं पर स्थानीय नगरपालिकाओं का नियंत्रण होने के कारण सम्बन्धित स्कूलों का टीचिंग स्टेन्डर्ड बिल्कुल गिर चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

(3) उक्त शालाओं के अध्यापकों के लिये पैन्शन, प्रमोशन, महंगाई, स्थानान्तरण आदि के कौन से नियम हैं ? क्या विभागीय अध्यापकों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे इन अध्यापकों को भी दी जाती हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) उक्त शालाओं के लिये सरकार कितनी प्रतिशत सहायता देती है और किन नियमों के अन्तर्गत ?

(5) क्या सरकार इन शालाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया।)

तहसील निवाई में भूमि के एलॉटमेन्ट के लिए आवेदन-पत्र

166. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील निवाई में सन् 67-68 में सवाई चक भूमि अलॉट कराने के लिए हर पंचायत क्षेत्र से कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये ?

(2) क्या यह भी सच है कि समय पर नियमानुसार भूमि अलॉटमेन्ट के लिए तहसील में हजारों प्रार्थना-पत्र पेश होने पर भी अलॉटमेन्ट नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या प्रार्थना-पत्र पेश करने में किसान को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(4) क्या वे प्रार्थना-पत्र खारिज समझे जावेंगे या अगले साल उन पर विचार हो सकेगा :

(5) क्या यह भी सच है कि सरकार की इस लापरवाही के कारण भूमि अलॉट नहीं किये जाने पर किसानों ने सवाई चक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिन पर केस कायम कर उनको परेशान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) तहसील निवाई क्षेत्र के हर पंचायत क्षेत्र में किस किस नम्बर की कितने बीघा सवाई चक भूमि है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(7) किस की गलती से समय पर अलॉटमेन्ट नहीं किया गया ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारी को सजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. तहसील निवाई में वर्ष 67–68 में भूमि आवंटन हेतु 1375 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना-पत्रों की पंचायत वार सूची की प्रति संलग्न है।

2. वर्ष 67-68 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवंटन नहीं किया गया इसका कारण यह था कि तारीख 31–5–67 तक प्रार्थना-पत्रों को प्राप्त करने की अवधि थी। माह जून 67 में तहसीलदार के अस्वस्थ हो जाने और माह जुलाई 67 में उनके स्थानान्तरण हो जाने और उसके पश्चात् वर्षाकाल प्रारम्भ हो जाने से आवंटन का कार्य नहीं किया जा सका।

3. प्रार्थना-पत्र पेश करने में किसानों को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है वे डाक द्वारा भी आवेदन-पत्र तहसीलदार को भिजवा सकते हैं।

4. वर्ष 67–68 में जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उन पर अगले वर्ष 68–69 में भी विचार नहीं किया गया और वे अमान्य समझे गये।

5. यह सही नहीं है कि किसानों ने अलॉटमेन्ट न होने के कारण अतिक्रमण कर लिया है वरन् किसानों ने सिवाय चक भूमि पर आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने से पूर्व ही अतिक्रमण कर रखा है।

6. तहसील निवाई की 31 पंचायतों में 20527 एकड़ भूमि सिवाय चक है जिसके पंचायत वार सूची संलग्न है।

(7) वर्षा हो जाने व तहसीलदारों के तबादलों के कारण समय पर आवंटन नहीं हो सका।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 153 की सूची)

राजस्थान राज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के वर्षवार आंकड़ों की सूची ।

वर्ष	
1961	1,19,925,00
1962	1,59,850 00
1963	2,33,862,50
1964	2,07,100.00
1965	3,24,550.00
1966	4,79,650.00
1967	5,78,975.00
1968	4,50,000.00
योग	25,83,912.50

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्र, सं. 156 की सूची)

—सूची—

क्र. सं.	नाम	ग्राम	रकबा	परिवर्तन शुल्क	विशेष
1–	श्री शिव चरण माथुर पिता दुर्गा प्रसाद माथुर सा० भीलवाड़ा	पाटल	2	१०)	यह भूमि जब पुनः राजकीय मान ली गई हैं।

एफ–२(१२) राज० स० । ६८
दिनांक- २७–१२–६८ आदेश द्वारा

Page No.143

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची)

पासरित सिवायचक भूमि वर्ष 1967-68 पंचायत वार

क्रमांक	नाम पंचायत	सिवाय एक पड़त भूमि एकड़ों में	क्रमांक	नाम पंचायत	सिवाय एक पड़त भूमि एकड़ों में
1.	राहोली	570	17.	सिढनी	2111
2.	मुहिया	2057	18.	लन्धवा	525
3.	घनानी	414	19.	सिरए	2456
4.	सुखारा	219	20.	नटयड़ा	110
5	गरेड़ा	158	21.	रय	122
6.	पुरक्या	2030	22.	चतुरनुम्पुरा	1041
7.	दगवास	836	23.	गुनारा	586
8.	नयागांव	201	24.	दली	478
9.	इलोड	916	25.	इमराली	154
10.	माड़ी	2996	26	सांगरमल	982
11.	पेनपुरा	794	27.	एटसदेफा	150
12.	भिलाय	1127	28.	घीदड़ा	57
13.	सिरोही	31	29.	रणवाश	389
14.	परखला	512	30	पहाड़ी	266
15.	नोंऐटा	421	31.	आडीकुशलपुरा	207
16.	नाभडोली	211		योग कुल रकबा	20427 एकड़

सूची पंचायतवार भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्रों की वर्ष 67–68

तहसील निवाई जिला टोंक

क्रमांक	नाम पंचायत	सा० प्रा० पत्र	क्रमांक	नाम पंचायत	सा० प्रा० पत्र
1.	साहोली	43	17.	सिलगी	39
2.	एडिना	28	18.	भदवा	38
3.	घनानी	56	19.	सिरस	33
4.	सुखारा	57	20.	नटवाड़ा	26
5.	करेला	63	21.	वसड	34
6.	तुरच्या	53	22.	चतुरनुन्पुरा	47
7.	दगवास	87	23.	सुगारा	39
8.	नयागांव	53	24.	सुनारा	51
9.	लुनाड़ी	58	25.	मलई	53
10.	दरलीद	63	26.	सांनरमल	57
11.	चैनपुरा	59	27.	नंदलठी	11
12.	फिलाय	53	28.	सम्पेक्स	27
13.	सिरोही	23	29.	सोमुला	36
14.	भरला	77	30.	रवाड़	28
15.	नोलटा	57	31.	ढाणीकुशलपुरा	36
16.	नागडोली	43		योग कुल	1375

परिशिष्ट–8

(आ. प्र. संख्या 88 की सूची)

सत्र 1968-69 में चालू प्रशिक्षणालयों के नाम तथा विद्यार्थियों की संख्या:—

	प्रशिक्षणालय का नाम	नियमित परीक्षार्थियों की संख्या
1–	शिवाना	99
2–	बीकानेर (पुरुष)	98
3–	बीकानेर (महिला)	100
4–	सरदारशहर	148
5–	सुजानगढ़	98
6–	गंगानगर	255
7–	संगरिया	194
8–	जसवन्तपुरा	100
9–	महिला जोधपुर	100
10–	विद्याशाला जोधपुर	115
11–	जैसलमेर	68
12–	बगड़ी सज्जनपुर	97
13–	शिवगंज	99
14–	कुचामन सिटी	105
15–	हुड़ंडी	60
16–	पीसागंन	99
17–	सरस्वती बालिका विद्यालय, अजमेर	111
18–	महिला अलवर	80

	प्रशिक्षणालय का नाम	नियमित परीक्षार्थियों की संख्या
19–	राजगढ़	97
20–	डीग	128
21–	धौलपुर	68
22–	अमरसर	98
23–	जयपुर महिला	113
24–	सांगानेर	100
25–	शाहपुरा जयपुर	96
26–	सामोद	97
27–	बगड़	99
28–	खेतड़ी	71
29–	डिग्गी	96
30–	सवाई माधोपुर	74
31–	डूंगरपुर	98
32–	परतापुर	100
33–	कपासन	100
34–	बदनोर	99
35–	गुलाबपुर	139
36–	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	96
37–	बून्दी (पुरुष)	98
38–	बून्दी (महिला)	94
39–	इन्द्रगढ़	96
40–	झालरापाटन	98
41–	गोवर्धन विलास	94
42–	बेदला	93
43–	महिला उदयपुर	109

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्र० सं० 89 की सूची)

भूतपूर्व रियासत कोटा के द्वारा निर्मित बन्धों की सूची

ग्राम का नाम	बन्धों की संख्या	ग्राम का नाम	बन्धों की सूची
पंचायत समिति लाडपुरा		**पंचायत समिति अन्ता**	
देवारा	1	चान्दा	1
राजनगर	1	प्रेमपुरा	1
कोलीपुरा	1	अयानी	1
बनेटिया	1	अपाना	1
खेडाभाट	1	काकरा	1
पचनपुरा	1	श्रीपुरा	2
जंगपुरा	1	डावरी दौलतपुरा	3
रावठा	1	इटावा	7
कोलाकारणी	1	रामपुरा	1
ठडावरा	1	**पंचायत समिति, छीपाबारोद**	
खेडा रसूलपुर	1	गगवाना	1
पंचायत समिति इटावा		गोरधनपुरा	2
गेंता	10	**पंचायत समिति चेचट**	
कुसोत	1	अमजार	1
गुजामा	3		
चावदा	2	**पंचायत समिति अन्ता**	
सवातदा	5	सीसवाड़ी	6
खाताली	4	शाहपुरा	1
फतेहपुर	1	पटपडा	1
सिनोताड	1	अरडा	1
लुनावदा	1	बापुडा	1
गनेश खडा	2	रिफा	2
अरली	1	अजूरना	2
मुगेना	3	बम्बूलिया	2
बिनायका	1	पलायथा	21
मुरली	1		

1	2	3	4
पंचायत समिति, शाहबाद		**पंचायत समिति, छबड़ा**	
रिचवा	1	घागोड़ा	1
बनहूदा	1	छबड़ा	1
पीपल खेडी	1	दीलोद	3
मोहनपुरा	1	सुवा खेड़ी	1
कटका	2		
काजी तालाब	1	**पंचायत समिति, सुल्तानपुरा**	
कस्बा थाना	1		
मामूरी	1	खेरला	1
राजपुरा	1	जागीरपुर	1
कालोनी	1	कोटस्वा	2
खडला	1	गुरना	1
नारायण खेडा	1	भान्डाहेडा	1
		भोलाई	1
पंचायत समिति, अटरू		कंवरपुरा	1
		मोरेपा	1
वुम्देद	1	नरपतखेडी	1
बमोरी	2	नयागांव	1
गईया	2	लही खेडी	1
आटोन	1	टहारोली	1
विछालस	1	बमोरी	1
		रूपदा	1
पंचायत समिति, सांगोद		धनवा	2
		सिमल्या	1
मोई कला	1	टाकरवाड़ा	3
खोबरा	1	रामनगर	2
कोलाना	1	चावल हेडी	2
नया गांव	1	भमदपुरा	2
गलोती	1	बरगू	1
मुलेट	2	तौरन	1

1	2	3	4
किशनगंज	1	रेल	2
बनेटिया	1	मल्हावरा	1
डावा	2	जियाखेड़ी	2
शोली	1	दीगोद	1
खतव गोसव	1	त्रिपुरा	1
खैरली कलां	3	हरीपुरा	2
चार	1	कोठरा डीगसिंह	2
निमोदा	1	नामाहेड़ा	2
सुल्तानपुरा	1	कोटड़ा	2
घारोली	1	बूढादीत	5
कूमला	1	आलीमपुरा	3
पाली	1	नदारिया	2

परिशिष्ट 10

(अ. ता० प्र० सं० 12 की सूची)

सूची

क्रम संख्या	नाम आसामी
1.	श्री दुलीचन्द ग्राम सेवक मथूर ।
2.	,, देवराज पंजाबी मथूर
3.	,, सोहनलाल आ० फुन्द लाल मीना मथूर
4.	,, सत्यनारायण मूदीलाल मथूर
5.	,, मोहनलाल आ० पन्ना लाल खाती मथूर ।
6.	,, फून्दीलाल आ० भंवरलाल आ० मथूर (बुन्दी)
7.	,, प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल कलाल सा० मथूर ।
8.	,, छीतर लाल आ० भंवर लाल कलाल मथूर ।
9.	,, नाथू चमार चतरगंज ।
10.	,, रूपला गूजर
11.	,, बाबू लाल जैन मथूर ।
12.	,, जगदीश महाजन मथूर ।

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1969

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7	2	वडिक्ट	वडिक्ट
10	16	उपयुक्त	उपर्युक्त
,,	20	सटिफिकेट	सर्टिफिकेट
16	6	श्री जयकृण	श्री जय कृष्ण
19	7	कैपिटल	कैपिटल
24	5	ध्योग विभाग	उद्योग विभाग
20	12	वितने	कितने
36	अन्तिम से 3	मनोपोली	मोनोपोली
40	2	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्ण कुमार
43			
44	7	मोनीपोलाइज्ड	मोनोपोलाइज्ड
50	19	श्री गंगारामचौधरी	श्री गंगाराम चौधरी
51	19	वतमान	वर्तमान
54	अन्तिम से 5	सकिल	सर्किल

1	2	3	4
67	1	निधंन	निर्धन
74	18	निमाटा	निर्माण ।
80	18	एक्सीन्ट	एक्सीडेन्ट
85	12	खच	खर्च
87	10	एलाठ	एलाट
88	11	डॉक्टर	डाक्टर
92	14	आथिक	आर्थिक
,,	अन्तिम	बहत	बहुत
96	अन्तिम से 10 व12	कन्सेसन	कन्सेशन
100	11	आकषित	आकर्षित
102	9	आकषित	आकर्षित
,,	19	मन्जरी	मन्जूरी
108	अन्तिम से 12	दुर्भाग्य पूर्ण	दुर्भाग्यपूर्ण
,,	3	रिओगेनाइज	रिओर्गेनाइज
110	अन्तिम से 10	उपाप्यक्षजी	उपाध्यक्षजी
112	अन्तिम से 9	आकपित	आर्कषित
114	अन्तिम से 7	पुनविचार	पुनर्विचार
118	1	कतंव्य	कर्तव्य
119	16	अनावृष्टि	अनावृष्टि

1	2	3	4
123	5	श्री कृणकुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
134	4	पुनर्विचार	पुनर्विचार
135	अन्तिम से 2	श्री हरिवलभ शर्मा	श्री हरिवल्लभ शर्मा
136	6	पार्टीं	पार्टी
139	अन्तिम से 5	कोर्पोरेट	कार्पोरेट
143	5	सर्विसेज	सर्विसेज
145	5	फामूला	फामूला
146	अन्तिम से10	सेन्ट्रल	सेन्ट्रल
148	14	इन्डस्ट्रीज	इन्डस्ट्रीज
149	अन्तिम से10	माकेट	मार्केट
151	2	रिसोर्सेज से	रिसोर्सेज
„	16	इर्रिगेटेड	इर्रिगेटेड
153	अन्तिम से 9	इकोनोशी	इकोनोमी
154	7	इन्स्ट्रूमेंट	इन्स्ट्रूमेंट
„	अन्तिम से 9	फर्टीलाइजर	फर्टीलाइजर
„	अन्तिम से 8	प्ला-ट	प्लान्ट
158	9	सं।य	संख्या
„	18	मद्दोदय	महोदय
„	अन्तिम से 2	अ-दर	अन्दर
159	4	हण्ड्रेड	हण्ड्रेड

1	2	3	4
162	अन्तिम से13	पर कैपीटा	पर-कैपीटा
164	5	निद्लीय	निर्दलीय
166	16	टंक्स	टैक्स
174	अन्तिम से 7	ब्रह्मचर्म	ब्रह्मचर्य
177	अन्तिम से 2	पार्टिया	पार्टिया
184	4	सर्विग	सर्विस
193	अन्तिम से 4	फर्टीलाइजर	फर्टीलाइजर
198	17	खर्चे	खर्चे
198	11	नदयतापूर्ण	निर्दयतापूर्ण
202	2	बद	बद्ध
,,	अन्तिम से 8	न ही	नहीं
206	अन्तिम से 8	छपर	छप्पर
207	4	यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी
210	22	पंपज सर्व	पर्पज सर्व
211	21	सोसाइटी	सोसायटी
214	अन्तिम से 2	दिाड	द्रविड
218	12	मे	में
222	8	रेफ्रीजिरेटर	रेफ्रीजिएटर
249	10	वाड्सं	बाड्स
251	अन्तिम से 3	निकरो	निकाले

1	2	3	4
255	2	मारने	मारेन
256	9	जमंनी	जर्मनी
259	6	परिवर्तित	परिवर्तित
,,	17	खचं	खर्च
269 से 273	शीर्षक	आयव्यक पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद	परिशिष्ट 4
269	2	श्री गमनारायण चौधरी	श्री रामनारायण चौधरी
274	3	तहसीलवार	तहसीलदार